खण्ड-186, अंक-10
शुक्रवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(30 अगस्त, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 186 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
बड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	८७९
उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ (संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया)	८७९
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापित किया गया।)	८७९
उत्तर प्रदेश मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (विचारोपरान्त पारित)	८७९–९२४
मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना	९२४–९२५
घत्थियां	९२६–९६२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३० अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३०२)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस०अहमद हसन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री

चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बूजबासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री

महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द्र, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेंद्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुबीरसिंह, श्री (एटा)
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्रशर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
राजेंद्रसिंह, श्री
राजेंद्रसिंह यादव, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री

शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३० अगस्त, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आगरा केंद्रीय कारागार को हटाने पर विचार

**१—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा केंद्रीय कारागार जमुनापार कब तक हटाया जायेगा?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फरहसन)—आगरा केंद्रीय कारागार को हटाये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक वह हट जायगा।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या सरकार बतायेगी कि यह कहां हटाया जायगा?

श्री मुजफ्फरहसन—अभी इसका फैसला नहीं हो सका है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय कारागार आगरा से क्यों हटाया जा रहा है?

श्री मुजफ्फरहसन—एक ऐसी तजवीज थी कि इस वक्त जो सेंट्रल जेल है वहां पर मार्केट बनाया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार केंद्रीय कारागार के वर्तमान स्थल को प्लाट बना कर बिक्री करने जा रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने तो अर्ज किया कि वहां बाजार बनाने की तजवीज है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मार्केट बनाने की तजवीज किसकी थी?

श्री मुजफ्फर हसन—गालिबन यह तजवीज सन् १९४६ में हुई थी और गालिबन डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से आयी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस केंद्रीय कारागार को हटाने में कितना रुपया लगेगा?

श्री मुजफ्फरहसन—सन् ४६ में एक स्कीम बनायी गयी थी जिसमें ५३ लाख का एस्टीमेट लगाया गया था। उसको बहुत दिन हो गये, इसलिये एक नयी योजना पी० डब्ल्यू०डी० से मांगी गयी है, वह अभी तक आयी नहीं है।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसका कोई मुआवजा आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सरकार को देगा?

श्री मुजफ्फर हसन—इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३-५४ में भी आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपल प्रशासन ने इस मारकेट को बनाने की योजना का समर्थन किया था तथा सरकार के पास सुझाव भेजा था कि उसको अमल में लाया जाय?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह कारागार हटा कर जमुनापार ले जाया जा रहा है?

श्री मुजफ्फर हसन—मैं इसका जवाब दे चुका हूं।

जिला जेल प्रतापगढ़ में सोशलिस्ट बन्दियों द्वारा अनशन करने का कथित नोटिस

**२—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल प्रतापगढ़ में सोशलिस्ट सत्याग्रही बंदियों ने किन कारणों से ३१ जुलाई, १९५७ से अनशन करने का नोटिस जेल अधिकारियों को दिया था?

श्री मुजफ्फरहसन—जिला जेल प्रतापगढ़ में सोशलिस्ट सत्याग्रही बंदियों ने ३१ जुलाई, १९५७ से अनशन करने का कोई नोटिस जेल अधिकारियों को नहीं दिया।

श्री नन्दराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जेल में सोशलिस्ट बन्दी ३१ जुलाई से बिना नोटिस अनशन कर रहे हैं?

श्री मुजफ्फरहसन—जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—प्रतापगढ़ जिला जेल में बन्दी सत्याग्रहियों ने ३१ जुलाई के अलावा किसी और तारीख को भी अनशन किया?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं।

आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के विद्यार्थियों की भूख हड़ताल

**३—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला पीलीभीत के आयुर्वेदिक कालेज में विद्यार्थी हड़ताल कर रहे हैं?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जी नहीं।

**४—श्री प्रतापसिंह—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त हड़तालियों की मांगें क्या हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी कालेज के कुछ विद्यार्थियों ने दिनांक १५ अगस्त को भूख हड़ताल की थी?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—१२ तारीख से शुरू की थी।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भूख हड़ताल किन कारणों से हुई थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वे कहते थे कि बिना इम्तिहान के ही हमें पास कर दिया जाय, इसे सरकार मानती नहीं थी, इसी वजह से भूख हड़ताल की थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि अब विद्यार्थियों और सरकार में समझौता हो गया है ? यदि हां, तो किन शर्तों पर?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—समझौता कहीं बच्चों से होता है। उन्होंने हमारी बात मान ली और कह दिया कि २० सितम्बर से हमारा इम्तिहान लिया जाय और उसे हमने मान लिया।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी परीक्षा फिर ली जा रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा साइकिलों की मरम्मत पर व्यय

**५—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में स्टेट आफिस के 'अन्डर' में कितनी साइकिलें हैं तथा उनकी मरम्मत में कितने रुपये सालाना खर्च किये जाते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—राज्य सम्पत्ति विभाग में दो सरकारी साइकिलें हैं उन पर पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित खर्च हुआ है :—

साइकिल का विवरण	वित्तीय वर्ष			खर्च		
				रु०	आ०	पा०
हिन्द नं० ३७०७५	१९५४–५५	..	..	३५	१३	०
	१९५५–५६	..	..	२९	१२	०
	१९५६–५७	..	..	२९	१५	०
हिन्द नं० २०१९०	१९५४–५५	..	..	२४	६	०
	१९५५–५६	..	..	३०	०	०
	१९५६–५७	..	..	२७	६	०

कुंवर श्रीपाल सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों के पास जो सरकारी साइकिलें है उनके रखरखाव का इन्तजाम स्टेट आफिस के चार्ज में है या हर विभाग के स्वयं चार्ज में है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैं इसकी ठीक सूचना इस वक्त नहीं बतला सकता।

मैनपुरी जिले में हैजे की रोकथाम के काम

**६—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में हैजे से १ जून, १९५७ से २४ अगस्त, १९५७ तक कितने व्यक्ति मरे ?

स्वास्थ्य उपमंत्री(डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)—१ जून, सन् १९५७ से लेकर २४ अगस्त, सन् १९५७ तक मैनपुरी जिले में अतिसार (गैस्ट्रोइन्टाइटिस) के द्वारा ३९९ व्यक्तियों के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है।

**७—श्री मलिखान सिंह—सरकार ने उक्त जिले में हैजा रोकने के लिये कौन सा कदम उठाया ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—बीमारी पर नियंत्रण करने के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं जैसे—ग्रसित क्षेत्रों में पानी तथा संक्रामक घरों का निःसंक्रामीकरण तथा अधिक से अधिक हैजा निरोधक टीकों का लगाया जाना। अब तक कुल १०,०२८ कुंओं तथा १,१४७ घरों का निःसंक्रामीकरण किया गया और ६७,८३८ टीके लगाये गये। जहां पर आवश्यकता समझी गयी मक्खियों को कम करने के लिये गेमेक्सीन का छिड़काव किया गया। बीमारों की चिकित्सा करने के लिये तथा उनको पृथक रखने के लिये शिकोहाबाद में एक अस्थायी छुतहा अस्पताल खोला गया। यथेष्ट मात्रा में वैक्सीन तथा अन्य दवाइयां व कर्मचारी इस उद्देश्य के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की अधीनता में रखे गये।

श्री मलिखान सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह ३९९ जो मृत्यु संख्या दी गयी है, वह अकेले शहर मैनपुरी की है या पूरे जिले की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जवाब में मैनपुरी जिला लिखा हुआ है।

श्री मलिखान सिंह—इसमें मैनपुरी जिला लिखा हुआ है तो इसका मतलब शहर से है या पूरे जिले से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सारे जिले से।

श्री मलिखान सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो शिकोहाबाद का अस्पताल खोला गया है वह किस समय खोला गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तारीख तो नहीं बतला सकता, जब उसकी जरूरत महसूस हुई तब खोला गया था।

श्री मलिखान सिंह—क्या यह सही है कि जब माननीय मंत्री जी २४ अगस्तको शिकोहाबाद गये थे उसी समय यह अस्पताल खोला गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सम्भवतः उसके पहले ही खोला जा चुका था।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब वहां बीमारी की क्या हालत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कंट्रोल में है।

श्री मलिखार्नासह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह अस्पताल शिकोहाबाद में खोला गया है, उससे कहीं अधिक यह बीमारी मैनपुरी, किसनी और इकरी एरिया में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसकी जानकारी जिस तरह से आप कहते हैं, मुझे नहीं है।

तारांकित प्रश्न

*१-२---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*३---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[२७ अगस्त, १९५७ को प्रश्न संख्या १८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

रामनगर शरणार्थी बस्ती, रुड़की में पानी और बिजली देने का आयोजन

*४---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुड़की, जिला सहारनपुर की रामनगर शरणार्थी बस्ती में प्रायः एक वर्ष से अधिक हुआ नल और बिजली की फिटिंग हो जाने पर अभी तक बस्ती में पानी और बिजली नहीं आई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---रामनगर शरणार्थी बस्ती, रुड़की में नल द्वारा पानी पहुंचाने का समुचित प्रबन्ध है और बिजली की व्यवस्था अगले दो माह में हो जायेगी।

*५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को मालूम है कि रुड़की की रामनगर शरणार्थी बस्ती में पीने के पानी का कोई प्रबन्ध न होने के कारण वहां के निवासियों को जल कष्ट का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं।

*६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुड़की की रामनगर शरणार्थी बस्ती में सरकार द्वारा उद्योग संस्थान खोल कर वहां के लोगों को रोजी देने की कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो वह योजना अभी तक कार्यान्वित क्यों नहीं की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि रामनगर शरणार्थी बस्ती में पानी और बिजली की फिटिंग होने के बावजूद भी वहां बिजली और पानी क्यों नहीं पहुंचाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पानी तो वहां इसी जून में पहुंच गया लेकिन बिजली पहुंचने में दिक्कत यह हुई कि यह शरणार्थी बस्ती उस क्षेत्र से बाहर थी जिसका कि लाइसेन्स म्युनिसिपेलिटी की ओर से कम्पनी को था, उसको ठीक करने में देर लगी, अब वह सब काम हो चुका है। आशा है दो मास में बिजली वहां पहुंच जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि सरकार ने वहां एक उद्योग संस्थान शरणार्थियों के लिये बनाने की योजना बनाई थी कि जिसको केन्द्रीय सरकार ने मंजूर कर लिया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नामंजूर कर दिया था, मंजूर नहीं किया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार पुनः इस योजना को केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब एक बार वह नामंजूर हो चुकी तो फिर दोबारा उनको तकलीफ देना कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता ।

क्षय रोग निवारण चिकित्सालय, इटावा में शय्याओं की कमी

*७---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा में जो क्षय रोग निवारक चिकित्सालय है उसमें कितनी सीटें हैं ?

डाक्टर जवाहर लाल रोहतगी---२८ ।

*८---श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा के टी० बी० अस्पताल में कितने मरीज प्रवेश पाने के लिये नाम लिखा चुके हैं जिन्हें अभी तक प्रवेश नहीं मिला ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---यह अस्पताल सन् १९५५ में चालू हुआ। तब से अब तक कुल ६८३ व्यक्तियों का नाम प्रवेश पाने के लिये लिखा गया। इसमें से ३५४ व्यक्तियों को प्रवेश नहीं मिला ।

झांसी में सहायक समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति

*९---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९५६ में या उसके लगभग झांसी में कितने सहायक समाज कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति हुई ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)---एक ।

*१०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---इन अधिकारियों की नियुक्ति के लिये क्या-क्या योग्यतायें निर्धारित की गई थीं और नियुक्त व्यक्तियों में से इनमें से कौन-कौन सी योग्यतायें हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---निर्धारित योग्यतायें निम्नलिखित थीं:---

मास्टर आफ एप्लाइड सोशियोलोजी (सोशल टेक्निक) सोशल वर्क । सोशल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा । मास्टर आफ आर्ट्स (सोशल वर्क) ।

नियुक्त व्यक्ति एम० एस० टी० थे ।

*११---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या नियुक्त व्यक्तियों में कोई ऐसे भी हैं जिन्हें विभागीय चुनाव की सूची में शामिल न करके अस्वीकृति पत्र दे दिये गये थे या जिनकी इन्टरव्यू भी नहीं हुई ?

आचार्य जुगल किशोर---नहीं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि झांसी समाज कल्याण विभाग में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---इस वक्त १६ सहायक समाज कल्याण अधिकारी कामकर रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---१६ व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनमें से दफ्तर में उच्च पदों पर कितने हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ७-८ राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे ने पूछे ।

आचार्य जुगल किशोर--वह तो सब फील्ड वर्कर्स हैं और वह जिलों में बटे हुये हैं।

सेण्ट्रल डेरी फार्म अलीगढ़ का आय-व्यय

*१२--श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ सेन्टर डेरी फार्म में कितने पशु हैं और वह किस-किस किस्म के हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ में इस समय कुल ५७० पशु हैं जिनमें १३ हरियाना बैल, ४ बछड़े तथा ५५३ सुअर हैं।

*१३--श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से यह डेरी सरकार ने खरीदी है उसमें कितना सरकार को लाभ हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--हर साल का लाभ तथा हानि का ब्योरा संलग्न सूची में दिया है। १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में हानि का कारण बड़ी मात्रा में दुधारू पशुओं का रखना, दूध का कम भाव तथा निकासी, बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाने में काफी व्यय तथा अनावृष्टि के कारण कृषि में घाटा, मक्खन के भाव का गिरना तथा कलकत्ता बाजार में मक्खन का थोक मांग की यकायक कमी थे।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९२६ पर)

*१४--श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या सरकार के सामने ऐसी भी योजना है कि इस डेरी को कोआपरेटिव आधार पर चलाया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस डेरी फार्म में ५७० पशु हैं तो उस पर कितना स्टाफ है और उस पर कितना खर्च होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, डिटेल्स इस समय नहीं है।

श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब इस डेरी में दूध देने वाले जानवर नहीं हैं तो दूसरे शहरों में जो मक्खन अलीगढ़ डेरी फार्म के नाम से बिकता है वह कहां से आता है ?

†श्री बलदेव सिंह आर्य--बाहर से क्रीम खरीदकर मक्खन बनाया जाता है।

श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह दूध देने वाली कितनी गायें हैं जिनसे इतना मक्खन सप्लाई होता है ?

†श्री बलदेव सिंह आर्य--दूध देने वाली गायें नहीं हैं। क्रीम से भी मक्खन बनता है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस डेरी में बाहर से भी दूध लेकर मक्खन निकाला जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं। क्रीम खरीद कर मक्खन बनाया जाता है।

---

†३ सितम्बर, १९५७ को दिये गये शोधन वक्तव्य के अनुसार शोधित।

श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो बंजर भूमि खेती के योग्य बनाई गई है उसको कौन जोत रहा है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---बैल ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस डेरी में जो इतना नुक्सान हुआ है, उसके सुधार के लिये अब तक सरकार ने क्या-क्या कोशिशें की हैं ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---मैनेजर बदल दिया है और अब मुनाफा हो रहा है ।

श्री त्रिलोकीसिह (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक बैल या दो बैल हैं और उनके योक भी लगा हुआ है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---जो खेती जानते हैं और सभी सदस्य जानते हैं, लखनऊ के सब नहीं हैं, वह जानते हैं कि किस तरह से वह चलता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को अब तक जितना लाभ हुआ है उससे पूंजी की लागत पूरी वसूल हो चुकी है या नहीं ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---इस डिटेल्ड जवाब के लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस कृषि फार्म पर बैलों के अतिरिक्त सरकार के पास कोई ट्रैक्टर भी है जिसके जरिये से खेती की जाती है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---सम्भवतः एक है । मैं इस वक्त ठीक नहीं बता सकता ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो बंजर भूमि तोड़ी गई है जिस पर बैल चल रहे हैं उस जमीन की खेती किन-किन के नाम है ?

श्री हुकुर्मासिह विसेन---खेत तो डेरी के नाम होंगे । वहां कोई काश्तकार थोड़े ही अधिवासी है ।

सामूहिक वार लोन्स की रकम से लखनऊ जिले में अस्पताल खोलना

*१५---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सामूहिक वार लोन्स की रकम में से ६०,००० रु० जिला लखनऊ में इसलिये १९४८-४९ में रक्खा गया था कि जिला लखनऊ के गांवों में ४ जनाने अस्पताल बनाये जायेंगे ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां ।

*१६---श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)---यदि हां, तो उनमें से कितने जनाने अस्पताल स्थापित किये गये ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---एक गोसाईंगंज में ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ३ अस्पतालों का जो रुपया बचा है उसका क्या हुआ ?

नोटः---तारांकित प्रश्न १५-१६ श्री प्रतापसिंह ने पूछे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ भी नहीं बचा है। एक ही अस्पताल में ४८ हजार बिल्डिंग में और १० हजार साज-सज्जा में लगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि पहले यह योजना हुई थी कि ये चारों अस्पताल बनाये जायंगे और प्रत्येक पर १५ हजार रुपया लगेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई योजना नहीं थी, जहां तक मेरी जानकारी है।

मेडिकल कालेज, लखनऊ के सम्बन्ध में ब्रिटिश मेडिकल कौंसिल की रिपोर्ट की मांग

*१७---श्री त्रिलोकीसिंह---क्या सरकार जो रिपोर्ट ब्रिटिश मेडिकल कौंसिल के निरीक्षकों ने मेडिकल कालेज, लखनऊ के सम्बन्ध में दी है उसकी एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---ब्रिटिश मेडिकल कौंसिल के निरीक्षकों ने मेडिकल कालेज, लखनऊ के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

*१८---श्री त्रिलोकीसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस कारण से लखनऊ विश्वविद्यालय से एम० बी०, बी० एस० की डिग्री को जो मान्यता यूनाइटेड किंग्डम मेडिकल कालेजों में दी जाती थी वापस ले ली गयी।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---लखनऊ विश्वविद्यालय की एम० बी०, बी० एस० डिग्री को जनरल मेडिकल कौंसिल आफ यूनाइडेड किंगडम द्वारा मान्यता अभी भी प्राप्त है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि ब्रिटिश मेडिकल कौंसिल ने मेडिकल कालेज, लखनऊ के बारे में रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई अपनी राय जाहिर की है ? यदि हां, तो क्या वह उस राय से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई राय उसके खिलाफ नहीं जाहिर की है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या ब्रिटिश मेडिकल कौंसिल ने कोई राय मेडिकल कालेज, लखनऊ की तारीफ में या इसके स्टैंडर्ड की तारीफ में जाहिर की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब खिलाफ नहीं की है तो उससे यह कयास किया जाता है कि इसके मुआफिक राय है।

बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों की दशा सुधारने के लिये प्रार्थना

*१९---श्री मदनपांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बीड़ी मजदूरों की दशा की जांच के लिये जांच समिति नियुक्त करने की आवश्यकता समझती है ?

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---जी नहीं।

*२०---श्री मदनपांडेय---बीड़ी मजदूरों की दशा सुधारने के लिये क्या सरकार का इरादा कोई बिल पेश करने का है। अगर हां, तो कब तक ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को बीड़ी के मजदूरों की दशा ज्ञात है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जी हां, बीड़ी के मजदूरों की दशा का हमें खूब ज्ञान है। वह बीड़ी बनाते हैं, पैसा कमाते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या श्रम मन्त्री महोदय के पास बीड़ी के कर्मचारियों की कोई शिकायत आयी है कि उनको जो सुविधायें मजदूरों की हैं वह नहीं दी जाती हैं और फैक्ट्री कानून उन पर लागू नहीं होता है और उनको वेतन बहुत कम मिलता है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—समय-समय पर जो शिकायतें आती हैं उनका निराकरण कर दिया जाता है ।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस बीड़ी उद्योग में हजारों स्त्री पुरुषों को रोजगार मिलता है उसकी दशा सुधारने के लिए क्यों जांच समिति की आवश्यकता नहीं है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—हमने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि उनकी दशा की जांच की जरूरत नहीं है । मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्दर जो ऐडवाइजरी बोर्ड है वह समय-समय पर उनको देखता रहता है और उन पर जो कानून मजदूरों के हैं वह भी लागू हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे, कि जैसा उन्होंने अभी कहा, अब वह मिनिमम वेजेज ऐक्ट बीड़ी उद्योग में लागू कर रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, २७ मार्च, १९५२ से लागू है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बीड़ी मजदूरों के लिये इस समय निर्धारित निम्नतम मजदूरी मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अनुसार क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—सभी शेड्यूल्ड उद्योगों के लिये मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्दर २६ रुपया प्रति माह की मजदूरी निश्चित है ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)—क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बतलायेंगे कि हमारे प्रदेश में बीड़ी के कारीगर कितने हैं और कितने केन्द्र बीड़ी बनाने के हैं?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, इसकी तो सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह बीड़ी उद्योग के मजदूर रजिस्टर्ड कम्पनी के मजदूर हैं और अगर यह चीज सही है तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट की सभी सुविधायें इन्हें प्राप्त हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—रजिस्टर्ड कम्पनी से मैं सम्बन्ध नहीं समझा, लेकिन अगर मिनिमम वेजेज ऐक्ट की धाराओं के अन्तर्गत रजिस्टर्ड से सम्बन्ध है तो सब रजिस्टर्ड हैं और वह सब दशाएं लागू हैं जो मिनिमम वेजेज ऐक्ट की निश्चित की हुई हैं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बीड़ी उद्योग में कितने मजदूर काम करते हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब वह दे चुके हैं ।

पशु मेलों का उचित प्रबन्ध करने के लिये प्रार्थना

*२१—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में लगने वाले बैलों के मेलों का प्रबन्ध स्वयं सरकार अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—ऐसा कोई प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

नोट:—तारांकित प्रश्न २१ श्री वीरेन्द्र वर्मा ने पूछा ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में कैटिल फ़ेयर बिल जो सरकार के विचाराधीन बहुत समय से था, उसका क्या हो रहा है, सरकार का क्या विचार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विचार करेगी।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार को मालूम है कि पशु मेलों का ठीक प्रकार से प्रबन्ध न होने के कारण क्रेता और विक्रेता दोनों को काफ़ी परेशानी होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी मुझे कोई सूचना नहीं है।

अधिक आय वाले मंदिरों को सरकारी प्रबन्ध में लेने का सुझाव

*२२--श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के अन्दर जिन मन्दिरों में चढ़ावे की आमदनी २५,००० रुपये साल से अधिक है, अपने प्रबन्ध में लेने का विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।

लखीमपुर जिलान्तर्गत पलिया उपनिवेश योजना

*२३--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि लखीमपुर जिले के अन्तर्गत पलिया उपनिवेश निर्माण करने में अब तक कितना सरकारी व्यय हो चुका है और आगामी वर्ष में कितना और होने का अनुमान है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--पलिया अथवा खीरी उपनिवेशन योजना को कार्यान्वित करने में मार्च, १९५७ तक ३६,१२,५६४ रुपये व्यय हुए हैं और इस वर्ष लगभग २१,३८,५०० रुपया व्यय होगा।

*२४--श्री देवनारायण भारतीय (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस उपनिवेश के बनाने के लिये कितने किसानों की कितनी भूमि उनसे ली गई और कितने नये उपनिवेशकों को कितनी-कितनी भूमि अब तक दी जा चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस योजना के लिये ८० किसानों की ३,०९०.०८ एकड़ भूमि ली जा चुकी है और अब तक ४३२ बसने वालों को ४,८६० एकड़ भूमि दी जा चुकी है। इन बसने वालों में ३७८ भूमिहीन मजदूर थे जिनमें से प्रत्येक को १० एकड़ भूमि दी गयी और बाकी ५४ शिक्षित बेकार थे जिनमें से प्रत्येक को २० एकड़ भूमि दी गयी।

अधिक अन्न उपजाने के संबंध में प्रधान मंत्री का कथित सुझाव

*२५--श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान मन्त्री ने राज्य सरकार को कोई संदेश व सुझाव अधिक अन्न उपजाने के सम्बन्ध में भेजा है ? अगर हां, तो क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रधान मन्त्री का अधिक अन्न उपजाने के सम्बन्ध में, राज्य सरकार को, कोई सन्देश व सुझाव नहीं प्राप्त हुआ है।

*२६--श्री रामसूरत प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त सुझाव के अनुसार सरकार ने कृषकों को कौन-सी सुविधायें देने की व्यवस्था की है या करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बेकारी दूर करने के उपाय

*२७--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बेकारी को दूर करने के लिये किन-किन उपायों पर सरकार अमल करने वाली है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस सम्बन्ध में समस्त विवरण राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिये हुए हैं।

*२८--श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत बेकारी दूर होने की सम्भावना सरकार को है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रामकोला खेतान शुगर मिल्स मजदूर यूनियन की रजिस्ट्रेशन में देरी पर आपत्ति

*२९--श्री मदनपांडेय--क्या सरकार बतायेगी कि रामकोला खेतान चीनी मिल में जो ट्रेड यूनियन बनी है और जिसका नाम रामकोला खेतान शुगर मिल्स मजदूर यूनियन है उसकी रजिस्ट्री के लिये रजिस्ट्रार आफ ट्रेड यूनियन को भेजा हुआ आवेदन-पत्र गत १५ अप्रैल, ५७ को रजिस्ट्रार आफिस, कानपुर में विधिवत् अर्पित किया गया था और उक्त यूनियन की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--यूनियन २४ जुलाई, १९५७ को रजिस्टर हो गई है।

श्री मदनपांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस यूनियन की रजिस्ट्री में इतना वक्त क्यों लगा ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--श्रीमन्, जो रजिस्ट्री कराने वाले लोग थे उनको शायद कानून की पूरी जानकारी न होने की वजह से इसमें दिक्कत पैदा हुई।

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसकी रजिस्ट्री उस समय हुई जब कि यहां से प्रश्न किया गया और प्रश्न पूछा गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--समय के मिल जाने की बात मैं नहीं कहता, लेकिन रजिस्ट्री उस वक्त हुई जब प्रार्थी ने अपने पूरे कागजात जो कि नियम के अनुसार उनको जमा करने थे रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन के यहां जमा कर दिये।

*३०--श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

आंख और कोढ़ के रोगी

*३१--श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में आंख और कोढ़ की बीमारी के रोगियों की संख्या अस्पतालों में जाने वालों में से किस जिले में से कितनी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना की तालिका उनकी मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९२७-९२८ पर)

राजकीय औषधालय, मरदह, जिला गाजीपुर में स्थानाभाव

*३२—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मरदह, जिला गाजीपुर राजकीय औषधालय में 'इन्डोर वार्ड' की स्वीकृति कब हुई थी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१७ मार्च, १९५६ को।

*३३—श्री यमुनासिंह—क्या यह सही है कि स्थान के अभाव में 'बेड' बेकार रक्खा हुआ है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—दो शय्याओं का एक नया अन्तरंग वार्ड मालिक मकान ने बनवा दिया है और १४ रु० किराया मांगा है जिसकी स्वीकृति दे दी गई है। अब यह वार्ड शीघ्र चालू हो जायगा।

श्री यमुनासिंह—क्या यह सही है कि लगभग चार महीने से मरदह अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुमकिन है कि ऐसा हो। डाक्टरों की तो कमी है।

मार्टिनगंज तथा बरहलगंज, जिला आजमगढ़ में अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*३४—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के मार्टिनगंज में एक नए अस्पताल खोलने की योजना कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल चिकित्सालय खोलने का अब कोई प्रस्ताव नहीं है। अब स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में एक अंग्रेजी चिकित्सालय, ४ जच्चा-बच्चा केन्द्र, एक स्वास्थ्य निरीक्षक और एक सफाई निरीक्षक होगा। स्थानीय अधिकारियों तथा जिला प्लानिंग कमेटियों से इन केन्द्रों के खोलने के प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। अगर आजमगढ़ की जिला प्लानिंग कमेटी ने इसकी सिफारिश की तो वहां एक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार होगा।

*३५—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन स्थानों पर अस्पताल खोलने की व्यवस्था की जावेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अब चिकित्सालयों की जगह पर स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे। ये केन्द्र उन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे जहां के लिये जिला अधिकारी आजमगढ़ और जिला नियोजन समिति की सिफारिशें होगी।

*३६—श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में बरहलगंज में अस्पताल खोलने की योजना कब तक पूरी होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बरहलगंज, जिला आजमगढ़ में एक सरकारी अस्पताल १ मार्च, १९५६ से चल रहा है।

बस्ती जिले में नवीन अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*३७—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार जिला बस्ती में (१) महुली, (२) सनिचरा, (३) काली जगदीशपुर, (४) सेमरियावां, (५) लोटन, (६) कुहरहा आदि स्थानों पर औषधालय इस वर्ष खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री इन ६ स्थानों की स्थिति को देखते हुये कई एक नदी नालों से घिरे होने के कारण, इन सभी स्थानों पर औषधालय खोलने के प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब राज्य के सभी जिलों के सम्बन्ध में विचार होगा उस वक्त इस सम्बन्ध में भी विचार किया जायगा और अगर संभव हो सकेगा तो खुलेंगे, वर्ना अगले वर्ष देखा जायगा।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी जिले की जनसंख्या को देखते हुए और वहां पर नाना प्रकार की बीमारियों को समझते हुए इन स्थानों पर अस्पताल तत्काल खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तत्काल तो हो ही नहीं सकता।

खलीलाबाद और डुमरियागंज, जिला बस्ती में जनाना अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*३८—श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार ने इस वर्ष जिला बस्ती की प्रत्येक तहसील के हेडक्वार्टर पर जनाना अस्पताल चालू करने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कब से ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—जिले में ६ तहसीलें हैं। उनमें से बस्ती (जो जिला हेडक्वार्डर भी है) और बांसी में सरकारी जनाना अस्पताल चल रहे हैं। डुमरियागंज व खलीलाबाद में जनाना अस्पताल खोलने का प्रश्न विचाराधीन है। हरैया और नवगढ़ में जनाना अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री, जिले की जनसंख्या जो २६ लाख के करीब है, उसको देखते हुए दो जगहों—खलीलाबाद और डुमरियागंज में जनाना अस्पताल खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राज्य भर में इस साल ६ ही अस्पताल खुलने हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा—माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रदेश भर में ६ अस्पताल खुलेंगे तो क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कहां कहां होंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बजट पास होने के बाद जगह निश्चित की जायगी।

श्री मदनपांडेय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इन अस्पतालों में कोई एक अस्पताल बस्ती में भी होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी निश्चित नहीं है।

*३९—श्री धनुषधारी पांडेय—[१७ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नारी मंगल योजना के अन्तर्गत महिला वेलफेयर आफिसर की नियुक्ति

*४०—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकारी नारी मंगल योजना के अन्तर्गत या प्रदेशीय राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अन्तर्गत प्रदेश में महिला समाज कल्याण अधिकारी (Woman Social Welfare Officer) के पद पर नियुक्ति की गई है या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर---सरकार की महिला मंगल योजना के अन्तर्गत महिला समाज कल्याण अधिकारी का कोई पद नहीं है। राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अन्तर्गत एक महिला को वेलफेयर आफिसर के पद पर नियुक्ति की गयी है ।

*४१---श्रीमती चन्द्रावती (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि उक्त अधिकारी का वेतन स्केल क्या है और वह केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा या प्रदेश के राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है ?

आचार्य जुगल किशोर---उपर्युक्त पद के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में १६०-१०-३३० रु० का वेतन-क्रम निर्धारित किया है ।

बहादुरगंज, जिला गाजीपुर में चिकित्सालय खोलने का आश्वासन

*४२---श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहादुरगंज कस्बा, जिला गाजीपुर में जिसके आस-पास ६ मील तक कोई अस्पताल नहीं है वहां निकट भविष्य में अस्पताल खोलने की योजना पर वह विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना कब तक कार्यान्वित हो सकेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। स्वास्थ्य केन्द्र योजना के अन्तर्गत बहादुरगंज कस्बा, जिला गाजीपुर में चिकित्सालय खोलने का प्रश्न प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ सरकार के विचाराधीन है। यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक चिकित्सालय खुल जायेगा ।

उन्नाव जिले में हैजे तथा इन्फ्ल्युन्जा का प्रकोप

*४३---श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई जून, सन् १९५७ में उन्नाव जिले में कितने व्यक्ति हैजा और इन्फ्लुंजा से मरे हैं तथा कितने बीमार हुये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मई, जून, सन् १९५७ में हैजा और गैस्ट्रोएन्ट्राएटिस की बीमारियों के द्वारा उन्नाव नगर तथा उन्नाव जिले से ४३३ व्यक्तियों के रोग ग्रसित होने और १७९ व्यक्तियों के मृत्यु की सूचनायें प्राप्त हुई ।

उपर्युक्त महीनों के अन्तर्गत ही इन्फ्ल्युन्जा से ४७ व्यक्ति उन्नाव नगर में रोग ग्रसित हुये और कोई मृत्यु नहीं हुई । अवशेष जिले से उक्त बीमारी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

*४४---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---[३ अक्तूबर, १९५७ को प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

इटवा अस्पताल, जिला बस्ती में पोस्ट मार्टम गृह बनवाने का आश्वासन

*४५---श्री रामलखन मिश्र---क्या सरकार को ज्ञात है कि अध्यक्ष, जिला बोर्ड, बस्ती ने सिविल सर्जन को इटवा अस्पताल में पोस्ट मार्टम गृह बनवाने का परामर्श दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पोस्ट मार्टम की शीघ्र व्यवस्था वहां कराने पर ध्यान देगी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---जी हां। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि ५०-६० मील से शव बहन शल्य क्रिया के लिये होता है और शव में विकृति आ जाने के कारण न्यायालयों को घोर संकट का सामना करना पड़ता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इटवा म हम बहुत जल्दी पोस्ट मार्टम गृह के लिये व्यवस्था करने जा रहे हैं ।

श्री प्रतापसिंह---अभी मंत्री जी ने कहा कि विचाराधीन है तो कब तक कार्यरूप में परिणत हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बहुत जल्दी।

*४६--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४७--श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश के चुनाव में विलम्ब

*४८--श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या यह सही है कि बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल १-१-५० से प्रारम्भ होकर ३१-१२-५६ को समाप्त हो गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--जी नहीं। इस बोर्ड का कार्यकाल दिनांक १५-२-१९५१ से आरम्भ हुआ था और तब तक है जब तक कि नये बोर्ड का चुनाव नहीं हो जाता।

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या यह सही है कि जिस बोर्ड का संगठन १९५१ में हुआ था उसका कार्यकाल ३ वर्ष का था और अब तक ७ साल हो गये, तो अभी तक चुनाव क्यों नहीं हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अमेंडिंग ऐक्ट की वजह से उसकी लाइफ बढ़ गयी है, जब तक दूसरा न बन जायगा उसकी जिन्दगी कायम रहेगी।

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या इस वर्ष बोर्ड के आम चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हो रही है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नया बोर्ड कब तक बन जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चुनाव हो जाने के बाद।

श्री रामसिंह चौहान वैद्य--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वह चुनाव कब होगा और उसके कराने की तैयारी हो चुकी है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने पहले बता दिया।

स्टेट आयुर्वेदिक फारमेसी, लखनऊ तथा सहकारी ड्रग्स फैक्टरी, रानीखेत को मिलाने का विचार

*४९--श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या सरकार का विचार स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी, लखनऊ तथा सहकारी ड्रग्स फैक्टरी, रानीखेत को एक में मिलाने का है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां। इन दोनों संस्थाओं को एक में मिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। परन्तु इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है।

श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या सरकार बतान की कृपा करगी कि इन दोनों संस्थाओं को मिलाने का क्या प्रयोजन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ताकि एफिशियेंसी बढ़ जाय।

श्री मदनगोपाल वैद्य---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह मामला कब से सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अर्से से है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार यह बतलायेगी कि जब इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ है तो प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर "जी हां" में क्यों दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उससे मतलब है "विचाराधीन है" ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सहकारी ड्रग्स फैक्टरी की ओर से इस प्रकार का कोई रेजोल्यूशन भी आया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है, अभी कोई रेजोल्यूशन नहीं आया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार का विचार सहकारी ड्रग्स फैक्टरी, रानीखेत को स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी बनाने का है या स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी , लखनऊ को सहकारी ड्रग्स फैक्टरी बनाने का है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दोनों मिल जायंगी, समझ लीजिये, जो मतलब होगा ।

श्री वीरेंद्र वर्मा---माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब सहकारी ड्रग्स फैक्टरी का कोई रेजोल्यूशन नहीं प्राप्त हुआ है, तब बिला उनके प्रस्ताव के यह प्रश्न सरकार के सामने कैसे विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---विचार तो कर ही सकते हैं, उनको कंसल्ट भी कर सकते हैं ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बेकारों को रोजगार

*५०---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में अब तक कितने बेकारों को काम मिला है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---अब तक लगभग ९०,००० व्यक्तियों को काम मिला है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात का ब्यौरा दे सकते हैं कि इन ९०,००० व्यक्तियों को किन किन कामों में लगाया गया है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इन ९०,००० व्यक्तियों में से ५८,४४२ आदमी तो सरकारी कामों में लगे हुए हैं और शेष ट्रेड और कामर्स में लगे हुए हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ९०,००० की संख्या जो उन्होंने बतायी वह किस आधार से मालूम की, उसका आधार क्या है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---पूछ-ताछ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पूछताछ एम्प्लायमेंट एक्सचेंज द्वारा कराई गई या स्टेटिस्टिक्स द्वारा कराई गई ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---यह विभिन्न विभागों से जानकारी प्राप्त की गई है, उसके आधार पर है ।

राजा यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूछताछ के दौरान में उसको यह मालूम हो गया था कि बेकारों की क्या संख्या है, जिसमें से ६०,००० को काम दिलाया गया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, इस माननीय सदन को मैं जानकारी करा चुका था कि सरकार ने अब तक बेकारों की जन संख्या की गिनती का कोई काम नहीं कराया, सिवाय इसके कि एजूकेटेड एम्प्लायमेंट के सिलसिले में एक स्टेडी ग्रुप बनाया था...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप जवाब दे चुके हैं इसलिये उसका संकेत कर देना ही काफी है ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ६०,००० व्यक्तियों में से कितनों को पूर्ण रोजगार और कितनों को अर्द्ध रोजगार मिला है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, सभी को सम्पूर्ण रोजगार मिला है ।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ५८,००० व्यक्तियों को किन किन विभागों में काम मिला है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, कोई भी विभाग अछूता नहीं है जिसमें किसी न किसी संख्या में लोग न लिये गये हों ।

कानपुर मेडिकल कालेज पर व्यय

*५१—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर मेडिकल कालेज पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१ नवम्बर, १९५५ से जुलाई ३१, १९५७ तक कानपुर मेडिकल कालेज पर कुल ६२,४१,३०१ रुपया व्यय हो चुका है ।

डुमरियागंज जिला बस्ती में जनाना अस्पताल की आवश्यकता

*५२—श्रीमती राजेंद्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में कितने जनाना अस्पताल हैं और उनमें से कितने बस्ती की डुमरियागंज तहसील में हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—बस्ती जिले में दो जनाने अस्पताल हैं। एक बस्ती शहर में और दूसरा बांसी में है। डुमरियागंज तहसील में कोई जनाना अस्पताल नहीं है।

*५३—श्रीमती राजेंद्रकिशोरी—क्या सरकार का इरादा इस वित्तीय वर्ष में डुमरियागंज तहसील बस्ती में कोई जनाना अस्पताल खोलने का है ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—प्रश्न बिचाराधीन है ।

श्रीमती राजेंद्रकिशोरी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान दुखित बहिनों की ओर दिलाना चाहती हूं। आपको मालूम होना चाहिये कि स्त्रियों.....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिये क्योंकि यह प्रश्नों का समय है ।

श्रीमती राजेंद्र किशोरी—मैं यह पूछना चाहती हूं कि वह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नक्स्ट ईयर यानी अगले साल में अस्पताल खोला जायगा ।

*५४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)—[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

टेहरी गढ़वाल जिले में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की इमारतों की कमी

*५५—श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी गढ़वाल में कितने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, उनमें से कितनों के भवन बन चुके हैं और कितने अभी बनने को बाकी है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिला टेहरी गढ़वाल में इस समय ४२ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं । उक्त ४२ चिकित्सालयों में से १५ चिकित्सालय निजी भवनों (state owned buildings) में स्थित हैं, १२ चिकित्सालय निःशुल्क भवनों में तथा शेष १५ चिकित्सालय सशुल्क भवनों में स्थित हैं । १५ निजी भवनों में स्थित चिकित्सालयों को छोड़कर शेष २७ चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण होना शेष है ।

श्री सूरतचन्द रमोला—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २७ भवन अभी बनने को बाकी हैं वे कब तक बन जायंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें वक्त लगेगा ।

श्री सूरतचन्द रमोला—वही तो माननीय मंत्री जी से पूछा कि कब तक बन जायंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब सारे राज्य का नक्शा सामने रख कर तय किया जायगा उस वक्त निश्चित रूप से बताया जा सकता है ।

श्री सूरतचन्द रमोला—क्या माननीय मंत्रीजी कृपया बतायेंगे कि जो वहां पर ऐसे औषधालय हैं जिनमें रेंट नहीं दिया जाता है वे सरकार के पास किस प्रकार हैं, प्राइवेट हैं या कैसे हैं ?

श्री हुकुमसिंहविसेन—दूसरों के मकान होंगे । वे कृपा करके रेंट नहीं लेते ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन २७ अस्पतालों की इमारतें नहीं हैं वे सरकार की ओर से कितने साल पहले खोले गये थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—टेहरी राज्य के जमाने में व खुले थे । उसका रकार्ड हमार पास नहीं है ।

टेहरी गढ़वाल जिले के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के वैद्यों को कम वेतन मिलना

*५६—श्री सूरतचन्द रमोला—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी गढ़वाल में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में नियुक्त वैद्यों को उत्तर प्रदेश के अन्य वैद्यों के समान वेतन न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--टेहरी राज्य के उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के केवल ११ वैद्य थे, उन्हें अन्य वैद्यों के समान वेतन प्रदान किया गया और शेष जो निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे उन्हें राज्य सरकार की सेवा से मुक्त करने के बजाय चिकित्सालयों में सहायक वैद्यों (Compounders) का वतन क्रम देकर नियुक्त कर दिया गया। जब ये सहायक वैद्य रिटायर होंगे तो उनके रिक्त स्थानों की पूर्ति योग्य वैद्यों द्वारा की जायेगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन वैद्यों को उन्होंने निर्धारित योग्यता के अनुसार नहीं समझा और उनको मुस्तकिल कर दिया वे भी वैद्यक करते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वे कम्पाउण्डरी करते हैं।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या यह सही है कि ये कम्पाउण्डर्स ही उन औषधालयों में काम करत हैं और वहां पर कोई वैद्य नहीं है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--अभी मंत्री जी ने बताया कि सिर्फ़ ११ वैद्य योग्य हैं और ४२ आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, तो बाकी चिकित्सालयों में कौन योग्य वैद्य चिकित्सा करते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बाहर के वैद्य होंगे। मैं ठीक तादाद इस वक्त नहीं बता सकता।

टेहरी गढ़वाल जिले में नवीन आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता

*५७--श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी गढ़वाल में टेहरी गढ़वाल स्टेट के विलीनीकरण के बाद आज तक कितने नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य--कोई नहीं।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना आयी है जिसके मुताबिक टेहरी-गढ़वाल में नये आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जायंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--राज्य की जब और जगहों का तय होगा तभी इसका भी तय होगा।

अमरीकी हाइब्रिड मक्का का बीज फर्रुखाबाद भेजना

*५८--श्री रामकृष्ण सारस्वत--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हाइब्रिड मक्का का बीज जी० ७१०, जी० ७११ और डब्ल्यू० ७८५ सरकार द्वारा फर्रुखाबाद के लिये १९५६ और १९५७ में कब-कब भेजा गया था?

श्री बलदेवसिंह आर्य--सन् १९५६ में हाइब्रिड मक्का का बीज जी० ७१० एक बार जुलाई में भेजा गया था।

सन् १९५७ में हाइब्रिड मक्का का बीज जी० ७१०, जी० ७११ और डब्ल्यू० ७८५ एक बार जून में भेजा गया था।

श्री रामकृष्ण सारस्वत--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जुलाई, सन् ५६ में जो एक बार बीज नम्बर ७१० भेजा गया था उसके अतिरिक्त उसी साल दूसरी बार भी वह भेजा गया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस नम्बर का एक ही मर्तबा भेजा गया था।

श्री रामकृष्ण सारस्वत---सन् १९५६ और ५७ में जो बीज भेजा गया था उसका वितरण कब किया गया था?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सन् १९५६ में जुलाई में और १९५७ में जून में।

श्री वीरेंद्र वर्मा---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस बीज का जिक्र किया गया है जी० ७१०, जी० ७११ और डब्ल्यू० ७८५ यह सरकार ने किस देश से इम्पोर्ट किया है और उसकी क्या विशेषता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ये अमरीका से मंगाये गये हैं। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। पेड़ छोटा होता है और बालियां खूब बड़ी-बड़ी होती हैं।

श्री वीरेंद्र वर्मा---फ़र्रुखाबाद के अतिरिक्त और किस जिले में सरकार ने इसका एक्सपेरीमेंट किया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---नैनीताल तराई फ़ार्म में।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में जो मक्का ग्रोइंग एरिया है, उसमें इस बीज का प्रयोग करने का उनका विचार है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जौनपुर के खेत बड़े जरखेज होते हैं। यह बीज दिया जायगा तो अच्छी फ़सल पैदा होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बीज अमरीका के किस मुल्क से मंगाया गया था---यू० एस० ए० से, कैनाडा से, अर्जेनटाइना से, या कहां से?

श्री हुकमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

बस्ती जिले के जोगिया ग्राम में एलोपैथिक अस्पताल के भवन की निर्माण योजना

*५९---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जोगिया, तहसील नौगढ़-बस्ती, में एलोपैथिक अस्पताल भवन का निर्माण कब से होने जा रहा है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---अभी भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है। जैसे ही भूमि की व्यवस्था होगी, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायगा।

श्री प्रभुदयाल---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ तहसील के तहसीलदार जब जमीन लेने के लिये गये तो गांव सभा ने उस बात के लिये जमीन दे दी थी। अब उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह जमीन नशेब है, और अस्पताल के लिये मौजूं नहीं है।

श्री प्रभुदयाल---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह जमीन जब इंजीनियर साहब ने ऐप्रूव नहीं की तो उसको बदल कर दूसरी जमीन दे दी गई है, अब उसके लिये क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही जमीन मिल जायगी हम काम शुरू कर देंगे।

आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखानों पर व्यय

*६०--श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० में अब तक कुल कितने आयुर्वेदिक और कितने यूनानी दवाखाने सरकार द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य--कुल ५७७ दवाखाने स्थापित किये जा चुके हैं:--४८७ आयुर्वेदिक तथा ९० यूनानी।

*६१--श्री भूपकिशोर--प्रति दवा खाने पर कितने रुपये वार्षिक की औषधियां खर्च की जाती हैं और इसी प्रकार के गांवों में स्थित एलोपैथिक दवाखानों में कितने रुपये वर्ष की दवा खर्च करने को दिये जाते हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--६२ दवाखानों में प्रति दवाखाना ७५० रु० प्रति वर्ष, औरों में प्रति दवाखाना ५०० रु० प्रति वर्ष तथा एलोपैथिक चिकित्सालयों में कम से कम २,५०० रु० प्रति वर्ष।

*६२--श्री भूप किशोर--देशी दवाखाने में जितनी औषधियां आजकल दी जाती हैं क्या वे साल भर तक बंटने के लिये पूरी पड़ जाती हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी हां।

श्री भूप किशोर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एलोपैथिक दवाखानों पर क्यों ज्यादा खर्च किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह दवाइयां महंगी होती हैं, आयुर्वेद की दवाइयां सस्ती होती हैं, इसलिये आयुर्वेद की तादाद काफी हो जाती है।

श्री भूपकिशोर--यदि एलोपैथिक दवाखानों पर ज्यादा खर्च होता है तो क्या उनकी जगह देशी दवाखाने सरकार खोलने का विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कोशिश तो कर रहे हैं।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि जिन गांवों में आबादी ५,००० से ज्यादा है वहां चिकित्सा का कोई न कोई इंतजाम होना ही चाहिये ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--सरकार की योजना है कि ५ मील के रेडियस में एक अस्पताल होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि जहां पर आयुर्वेदिक व यूनानी दवाखाने हैं वहां उनमें एलोपैथिक के औजार भी भेजे जाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री वीरेंद्र वर्मा--क्या सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं कि वह बता सके कि प्रदेश को सेचुरेट करने के लिये कितने और अस्पतालों की आवश्यकता होगी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--इस वक्त तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

*६३-६४--श्री वीरेन्द वर्मा--[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

मऊ अस्पताल, जिला आजमगढ़ को बढ़ाने की प्रार्थना

*६५--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि उसकी ओर से मऊ अस्पताल (आजमगढ़) को १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में किस-किस प्रकार की कितनी सहायता दी गई है?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--२,७०० रुपये वार्षिक।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि मऊ की आबादी अस्पताल के कायम होने के बाद बहुत बढ़ चुकी है और उसका महत्व भी है, इस अस्पताल के विस्तार के लिये सरकार विचार करेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अभी थोड़े दिनों में राज्य में कितने अस्पताल प्रोविंशियलाइज किये जायंगे इस पर विचार होगा, तब उस समय इसका भी ध्यान रखा जायगा।

*६६--श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

कृषि गन्ना समिति, गोंडा के लिये खाद तथा गन्ना विकास का शेषधन

*६७--श्री गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि गन्ना समिति गोंडा के लिये सन् १९५५-५६ तथा १९५६-५७ में कितना टन खाद मंगायी गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५५-५६--रासायनिक खाद .. ३,३०० मन

खली .. .. ९०० मन

सन् १९५६-५७

रसायनिक खाद .. १,१०० मन

खली .. ९०० मन

*६८--श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ए० सी० डी० ओ० नवाब गंज, को गन्ना विकास के लिए सन् १९५६-५७ में कितना गन्ने का रुपया किसानों को देना बाकी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कुछ भी नहीं।

*६९--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[१३ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले की दो डिस्पेंसरियों में डाक्टर न होना

*७०--श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुहम्मदाबाद अस्पताल जिला आजमगढ़ में कितने दिनों से डाक्टर नहीं है? आजमगढ़ जिला में क्या और भी ऐसे अस्पताल हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--(क) मुहम्मदाबाद डिस्पेंसरी में डाक्टर काम कर रहा है। (ख) आजमगढ़ जिले में दो ऐसी डिस्पेंसरियां हैं जहां इस समय डाक्टर काम नहीं कर रहे हैं।

इटावा जिले में हैजे तथा गैस्ट्रोइंट्राइटिस से मृत्युएं

*७१--श्री मिहरबानसिंह (जिला इटावा)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में जून और जुलाई सन् १९५७ में कालरा से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और उसका असर जिले के कितने ग्रामों में पड़ा था?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--सन् १९५७ के जून, जुलाई, महीनों में इटावा जिले में अतिसार (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) एवं हैजे से १७४ व्यक्ति ग्रसित हुए तथा ८१ व्यक्तियों की मृत्युएं हुईं। उक्त बीमारी का प्रकोप ५८ गांवों में रहा।

*७२--श्री मिहरबानसिंह--क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भर्थना कस्बा में इस बीमारी से कितने व्यक्ति बीमार पड़े और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--भर्थना कस्बे में १४ जून, १९५७ से लेकर ८ अगस्त १९५७ तक अतिसार (गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस) एवं कालरा (हैजे) के द्वारा २७ व्यक्ति ग्रसित हुए तथा १६ व्यक्तियों की मृत्युएं हुई।

श्री मिहरबानसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि हैजे से इटावा में कितनी मृत्एं हुई हैं और माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि हैजे और अतिसार से इतनी मृत्ए हुई हैं। तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि हैजे से कितनी मृत्यु हुई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके अलग फिगर नहीं हैं।

श्री मिहरबानसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बीमारी अलग से है या एक ही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नतीजा दोनों का एक ही है।

श्री मिहरबानसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जो ५८ गांवों में, हैजा हुआ है, वहां उसके निवारण के लिए सरकार की तरफ से क्या उपाय किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जरूरी इन्तजाम किया गया।

लखनऊ तथा कानपुर मेडिकल कालेज में छात्रों की भर्ती

*७३--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६-५७ के वर्ष में लखनऊ व कानपुर मेडिकल कालेजों में कितने छात्र भर्ती किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५६-५७ में लखनऊ व कानपुर मेडिकल कालेजों में २५० छात्र भर्ती किये गये जिनके आंकड़े निम्नलिखित हैं :--

लखनऊ	..	..	..	१४७
कानपुर	..	..	..	१०३

*७४--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९५७-५८ के वर्ष में कितने विद्यार्थी भर्ती किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५७-५८ में इन कालेजों में कुल २४३ छात्र लिये गये, जिनके आंकड़े इस प्रकार हैं :--

लखनऊ	..	..	..	१४३
कानपुर	..	..	..	१००

*७५--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--इन विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थी हरिजनों के लिये गये और कितने स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इन विद्यार्थियों में १९५६-५७ में लखनऊ मेडिकल कालेज में १ हरिजन विद्यार्थी लिया गया था। १९५७-५८ में कोई हरिजन विद्यार्थी नहीं लिया गया। हरिजन तथा परिगणित जातीय छात्रों के लिए कुल ४ स्थान सुरक्षित हैं।

*७६-७८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ६ सितम्बर, १९५७ के लिए स्थगित किये गये ।]

हरिजन सहायक समिति, जिला हरदोई की बैठक

*७९—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन सहायक समिति जिला हरदोई की बैठक २० मार्च, १९५७ को हरदोई में हुई ? यदि हां, तो उसका प्रधान कौन था और उस कमेटी में क्या कार्यवाही हुई तथा क्या सरकार कमेटी की proceeding की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

हरिजन सहायक राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—जी हां। दिनांक २० मार्च, १९५७ को जिला हरिजन सहायक उप समिति, हरदोई की बैठक हुई थी। इस बैठक के अध्यक्ष श्री एन० एस० अन्सारी, जिला नियोजन अधिकारी, हरदोई थे।

उक्त बैठक में निम्नलिखित कार्यवाही हुई :—

(१) पिछली बैठक की कार्यवाही पर विचार तथा पुष्टीकरण।

(२) संचालक, हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत ८,००० रु० कृषि उद्योग हेतु अनुदान के वितरण पर विचार तथा कार्यवाही।

(३) संचालक, हरिजन कल्याण से राष्ट्रीय सेवा प्रसार खंड बाबन के लिए भारत सरकार द्वारा हरिजनों के लिए कृषि, मकान एवं कूप निर्माण हेतु अनुदान पर विचार एवं कार्यवाही।

समिति की बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि इस उत्तर के साथ प्रस्तुत की गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९२९-९३२ पर।)

राजकीय ऊसर सुधार केंद्र, रहीमाबाद, जिला लखनऊ में कार्य

*८०—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रहीमाबाद, जिला लखनऊ में राजकीय ऊसर सुधार केन्द्र कितने वर्षों से खोला गया और ३१ मई, १९५७ तक कितने रकबे का सुधार हुआ तथा उसमें कितना धन लगा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजकीय ऊसर सुधार केन्द्र रहीमाबाद १९५०-५१ में खोला गया था। ३१ मई, १९५७ तक ३,५०० एकड़ भूमि का सुधार हुआ, जिसमें ३,००० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाली गई और ५०० एकड़ भूमि पर जंगल लगाया गया। तब तक (३१ मई, १९५७) इस सुधार पर ५७,४९,००० रु० व्यय हुआ, जिस में ३९,९१,००० रु० की सरकारी सम्पत्ति (Assets) है।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ६ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

म्योर मिल्स, कानपुर, द्वारा प्ले-आफ के नोटिस के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने भेजा है कि यह सदन तारीख २८ व २९ अगस्त, १९५७ को म्योर मिल्स, कानपुर, द्वारा अपने ४,००० मजदूरों की अकस्मात् प्ले-आफ का नोटिस दिये जाने से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।

मैं इसे अवैध करार देता हूं। इसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन मैं सरकार से यह जानकारी चाहता हूं, अगर उनके पास हो, कि मामला क्या है, जिससे, कम से कम, सूचना माननीय सदस्य को मिल जाय।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)---मान्यवर, म्योर मिल में ४,००० मजदूर काम करते हैं। काफ़ी दिनों से उसकी फ़ाइनेन्सल हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। कुछ आपसी व शेयरहोल्डर्स के झगड़ों के कारण संकट उपस्थित हुये हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि वर्किंग कैपिटल की उनके पास बराबर कमी होती रही है। वे बाजार में काटन नहीं खरीद पाये, उसकी वजह से कारखाना नहीं चला। २८ व २९ तारीख को यह स्थिति रही। आज कारखाना चल चुका है। प्ले-आफ़ तो वर्कर्स की टर्म्स आफ़ सर्विस का एक हिस्सा है और उसकी उन्हें आधी तनख्वाह मिलती है। इसलिये ऐसी कोई अजीब बात नहीं हुई है जो औद्योगिक केन्द्रों में न होती हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---प्ले-आफ़ लेबर कमिश्नर साहब की या सरकार की इजाजत से हुआ, या वैसे ही उन्होंने अपनी ओर से कर दिया ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इसमें हमारी इजाजत की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टैंडिंगआर्डर्स में यह है कि अगर रा मैटीरियल न रहे तो मैनेजमेंट प्ले-आफ़ कर सकता है और उसने यह किया।

श्री उपाध्यक्ष के विरुद्ध श्री त्रिलोकीसिंह द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना देना चाहता हूं। तारीख ३ अगस्त, को यहां आदरणीय सदन में उपाध्यक्ष और गेंदासिंह जी में कुछ थोड़ी सी बातचीत सी हो गई थी। उस विषय पर विरोधीदल के नेता जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे सामने उपस्थित किया था। मैंने उसमें फैसला दे दिया था कि जो अध्यक्ष पद पर हो उसके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आ सकता है और यह मैंने कहा था, कि उचित है कि अध्यक्ष या पदासीन व्यक्ति को खुद ऐसे प्रश्न को निबटा देना चाहिये। उसके बाद विरोधी दल के नेता ने मेरी तवज्जह उस तरफ़ आकर्षित की कि किसने क्या बातें उस दिन कहीं कार्यवाही के उद्धरण उन्होंने मुझे बताये। मैंने कहा था कि अध्यक्ष पद पर जो कोई सदस्य उस समय हो, उसका काम है कि अगर कोई बात ऐसी हो गई हो तो खुद उसका निपटारा कर दे या कोई और रास्ता निकाल ले। जब यह मेरे पास विरोधी दल के नेता ने इस प्रकार प्रश्न भेजा तो मैंने उपाध्यक्ष जी के पास ये सब चीजें भेज दीं। उन्होंने नेता बिरोधी दल से भी बातें करलीं। जैसे कोई घरेलू मामला हो, उसके अनुसार बड़ी खूबसूरती से उसका उन्होंने ऐसा एक रास्ता निकाला, जिससे आगे के लिये दिलों में उस विषय पर कोई मनोमालिन्य न रह सके। उपाध्यक्ष ने मुझसे कहा है कि जो वाक्य और बातें उन्होंने कहा वे कार्यवाही का भाग न रहे। इसी तरह से विरोधी दल के नेता ने भी कहा कि जो गेंदासिंह जी ने उस दिन कहा था वह भाग तथा जो विशेषाधिकार का प्रश्न उन्होंने उठाया था वह भी हिस्सा, यानी उस दिन की वह सब कार्यवाही, जो कि इस आदरणीय सदन की प्रतिष्ठा के लिये अच्छी नहीं मालूम होती है, कार्यवाही में से निकाल दी जाय। यह उनकी प्रार्थना है। मैं समझता हूं कि आदरणीय सदन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेगा कि इस तरह बातें से निपट गयी हैं और संबंधित सदस्य स्वयं प्रार्थना करते हैं कि उन के कथन के आक्षेपार्ह भाग कार्यवाही से निकाल दीये जांय। इस प्रकार अध्यक्ष को यह जरूरत नहीं पड़ी कि खुद किसी भाषण के भाग को उनकी मर्जी के खिलाफ़ निकाल दे। इसलिये मैं उन हिस्सों को कार्यवाही से निकाल दूंगा। विशेषाधिकार का प्रश्न और उसपर उस दिन का मेरा फ़ैसला भी उसके साथ खत्म ही हो जायगा। यानी वह भाग भी कार्यवाही में नहीं रहेगा मैं समझता हूं कि किसी को इस में आपत्ति नहीं होगी।

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

कार्यस्थगन प्रस्तावों पर बोलने की अनुमति न मिलने के संबंध में श्री मोतीलाल अवस्थी की आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अभी एक स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ था। उसके अवैध किये जाने पर आपने कुछ प्रश्न और उनके उत्तर की आज्ञा प्रदान की। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे पहले भी स्थगन के प्रस्ताव पेश हुए थे, उनमें आपने इस प्रकार की कभी भी स्वीकृति नहीं दी कि प्रश्न किये जावें और उनके उत्तर दिये जावें।

श्री अध्यक्ष---यह बहुत ग़लत बात आप कह रहे हैं। मैंने कई बार मंत्रीगण से कहा है कि आप कम से कम, सूचना ही सदन को दे दीजिये। जो महत्व का प्रश्न होता है उसमें मैं सूचना के लिये कहता हूं। ४,००० मजदूर लोगों की रोजी से सम्बन्धित बात थी इसलिये सूचना मांग ली है। जहां महत्व का प्रश्न नहीं होता है वहां ऐसा नहीं करता हूं।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों तथा म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव के संबंध में जानकारी की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, नियमों म भी लिखा हुआ है और आज माननीय मुख्य मंत्री व स्वशासन मंत्री भी मौजूद हैं। ऐसी बात थी कि सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के सम्बन्ध में १० दिन में निर्णय कर लेगी और सूचना दे देगी। दूसरे, म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव की कोई तिथि घोषित नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव की तिथि क्या निश्चित हुई है। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव के सम्बन्ध में सरकार ने क्या फ़ैसला किया है ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---अभी तक कोई निर्णय हो नहीं सका है, लेकिन यह आशा की जाती है कि इस पर शीघ्र सदन के सामने हम लोग कुछ रख सकेंगे कि किस फ़ैसले पर पहुंचे हैं। म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव के लिये तारीख अभी थोड़ी ज्यादा दूर हैं, लेकिन शायद वह न रखना पड़े, ऐसी सम्भावना दिखाई दे रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, बात साफ समझ में नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष---यह मेरी भी समझ में नहीं आया कि "न रखना पड़े", इस का क्या मतलब है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मैंने यह निवेदन किया था कि पिछली बार भी यह चर्चा हो रही थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जिस हालत में अब हैं उस हालत में उनका चुनाव कराना कदाचित् अच्छा न हो, लेकिन इधर हमारा यह विचार हो रहा है कि कोई ऐसा तरीका निकालें जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अधिकारों को बढ़ा दिया जाय और उसके वास्ते कोई संशोधन बिल वगैरह ले आया जाय। इस में अन्तिम रूप से क्या होगा यह अभी तय नहीं कर सके हैं। जैसे ही यह तय हो जायगा, सदन के सामने रख दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने म्युनिसिपल बोर्ड के आम चुनाओं के बारे में पूछा था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---म्युनिसिपल बोर्ड के चुनावों के बारे में इलेक्शन डिपार्टमेंट को तारीख के बारे में लिखा गया है और आशा की जाती है कि एक दो दिन में इसकी सूचना दी जायगी। वैसे मैं इतना ही कह सकता हूं कदाचित १६ और १८ अक्तूबर रखी जा रही है।

राज्य मद्यनिषेध बोर्ड के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उद्योग (ग) तथा मादक विभाग की विज्ञप्ति संख्या १०९४/५५ ई० -१३--३२५-५४, दिनांक नवम्बर २०, १९५६ के अन्तर्गत राज्य मद्यनिषेध बोर्ड के लिये विधिवत् निर्वाचत किया गया है --

१--श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि,
२--श्री देवनारायण भारतीय,
३--श्री जगदीशप्रसाद,
४--श्री मन्नालाल ।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित सदस्यों को रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८, की धारा १६ के अन्तर्गत रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये विधिवत् निर्वाचित किया गया है--

१--श्री अजीज इमाम,
२--श्री दीनदयालु शास्त्री,
३--श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव,
४--श्री यशपालसिंह ।

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३३-९६० पर)

श्री अध्यक्ष--चूंकि इसको पेश करने की आखिरी तारीख ३१ थी, इसलिये उसकी हस्तलिखित प्रतिलिपि यहां मेज पर रख दी गयी है। जब उसकी और प्रतियां छपकर आजायेंगी तो माननीय सदस्यों को बांट दी जायंगी।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७

उद्योग उप मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पुर : स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९६१-९६२ पर)

*उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ (क्रमागत)†

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, कल दिनभर इस पर बहस चलती रही है इसलिये मैं क्लोजर का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--यह आज शाम तक खत्म होना चाहिये , यह तय है। अगर आदरणीय सदन के सदस्य यह समझते हैं कि इस पर काफी बहस हो चुकी है तो मैं राय ले लूंगा। कोई और साहब इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

---

*२७ अप्रैल, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

†२९ अगस्त, १९५७ की कर्यवाही से ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि विचार करने के प्रस्ताव और सेलेक्ट कमेटी में भेजने के प्रस्ताव पर लंच तक बहस चलने दी जाय और लंच के बाद ५ बजे तक खंडों और अमेंडमेंट्स पर बिचार किया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय विरोधी दल के नेता के सुझाव का समर्थन कर रहा हूं कि सवा बजे तक इस पर बहस हो और उसके बाद ये खंड लिये जायं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह निश्चित नहीं हुआ था कि कब तक आम बहस चलेगी, यह मेरा अधिकार था कि मैं इसको निश्चित करता। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है और यह कोई बहुत बड़ा बिल भी नहीं है। एक बजे तक भी वह पूरा हो सकता है। ऐसी अवस्था में सवा बजे तक इसके ऊपर आम विवाद होकर और आम बहस के ऊपर जो संशोधन वगैरह आये हैं, इनके ऊपर राय ले ली जायेगी। इस के बाद यदि आवश्यकता हुई तो खंडों के ऊपर बहस होगी।

श्री त्रिलोकी सिंह---मान्यवर, मैंने इस प्रस्ताव से इसलिये सहमति प्रकट की कि मुझे बिश्वस्त तौर पर यह मालूम हो चुका है कि माननीय नेता सदन इस बात पर तैयार नहीं हैं कि इसे सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय। वैसे अगर सेलेक्ट कमेटी को रेफर हो जायगा तो फिर खंडों के लिये जाने की कोई जरूरत नहीं रहती।

श्री अध्यक्ष---मैंने इसी से अपने शब्दों को तौल कर कहा है कि "यदि आवश्यकता हुई तो" खंडों के ऊपर विचार होगा। आपने नहीं कहा था लेकिन मैंने कहा था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पक्ष से जो अमेंडमेंट प्रवर समिति में भेजने के लिये इस बिल के ऊपर दिया गया है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं, श्रीमन्, यह समझता था कि इस बिल के सिद्धान्त के ऊपर, विचार और विवाद होगा, परन्तु कल दो चार बातें ऐसी हुई जिनसे मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि लोगों ने सिद्धान्त पर न विचार करते हुये व्यक्तिगत स्तर पर विचार शुरू कर दिया। मैं तो श्रीमन्, इस पर अपने बिचार तीन चार बातों के आधार पर रखूंगा। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि मंत्रिमंडल को बढ़ाने या घटाने का अधिकार और उसकी शक्ति मुख्य मंत्री जी को ही है। ठीक है, परन्तु, श्रीमन्, हम लोगों को भी उस पर कुछ सुझाव देने का अधिकार तो है। श्रीमन्, किसी चीज का बढ़ाव या घटाव कार्य की आवश्यकता, उपादेयता और उसके फल से होना चाहिये।

मिनिस्टर्स आफ स्टेट और डिप्टीमिनिस्टर्स की जो पद्धति आयी है, यह युद्ध काल में साधारणतः विभिन्न देशों ने जहां गणतन्त्र पद्धति रही है, उन्होंने वहां युद्ध की भीषण परिस्थिति का सामना करने की दृष्टि से उसे किया था। लेकिन अपने देश में कोई युद्ध की स्थिति तो है नहीं। कार्य का बढ़ाव हो सकता है। तो उस दृष्टि से जो इतने मिनिस्टर्स आफ स्टेट का बढ़ावा किया गया है। मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर वास्तव में कार्य बढा हुआ है तो इस कार्य के लिये पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज भी बढ़ाये जाते। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि मिनिस्टर्स आफ स्टेट का बढ़ावा इकानामी की दृष्टि से भी किया गया है। हो सकता है कि कुछ इकानामी हो, परन्तु श्रीमन्, थोड़ी सी १००-२०० रु० की स्पष्ट दिखने वाली इकानामी को लेकर कार्य की एफीशियेंसी की दृष्टि से इकानामी हुई है या नहीं हुई है, इसकी उपेक्षा करदी जाय तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। मैं देखता हूं कौंसिल आफ़ मिनिस्टर्स का विकास हुआ, संख्या बढ़ी, परन्तु क्या कार्य की ऐफीशियेन्सी और आउटपुट बढ़ा? ऐफीशिएंसी की दृष्टि से श्रीमन्, बजट सेशन में सब तरफ से यह भी एक बात आयी कि जो भी सरकारी कार्य होता है, बहुत धीरे चलता है। लोगों ने यहां तक कहा कि लाल फीते की रफतार एक मन्दगति से चलने वाले घोघे से भी कम होती है, आदमी बढ़ें और कार्य की गति न बढ़े और चाल में चैतन्य न हो तो कैसे माना जा सकता है कि ऐफीशियेंसी बढ़ी है और अगर वह

नहीं बढ़ती तो आदमी बढ़ने से क्या लाभ? केवल पदोन्नति से ही लाभ नहीं हुआ करता और अगर यह कहा जाय कि हमें उस का लाभ हो रहा है तो यह स्पष्ट है कि जैसे एक अंग्रेजी की कहावत है कि "ए ट्री इज जज्ड बाई दि फ्रूट इट बीयर्स" कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अधिकारी हो या कोई भी मंत्रिमंडल हो उस पर जिस कार्य का भार है उस कार्य में उस को समुचित गति से चलकर सफलता मिली या नहीं, उस से लाभ हुआ या नहीं, इसी से उस की आवश्यकता की जांच हो सकती है। केवल पदोन्नति करने से कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि पदोन्नति के पीछे दृष्टि कोण क्या रहा हो, वह कुछ भी रहा हो, पदोन्नति से भले ही लोगों के अन्दर हृदय में वैषम्य खड़ा हो, यह भी हो सकता है कि इधर किसी पद पर आसीन होने से पहले कोई सज्जन कुछ भाषा बोलते हों और एक चीज के प्रयास की तरफ बढ़ते रहे हों और पद पर पहुंच जाने के बाद यह कहें कि इधर के लोग पहले अपने को ठीक करें और फिर बुद्धि पल्ली पर बिचार करें। अगर पदोन्नति और आर्थिक प्रश्न को सामने रखा गया तो वास्तविक उन्नति और लाभ नहीं हो सकता। यह आधार ही गलत है, चाहे वह मिनिस्टर आफ़ स्टेट हों या मिनिस्टर हों। हमें तो इस वक्त आवश्यकता एकानामी की है, आज तो हर दृष्टि से हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं, कार्य बहुत हैं परन्तु साधन हमारे पास कम हैं। अगर वह कम हैं, ठीक हैं, कम हैं, मैं भी मानता हूं कि वह बहुत कम हैं, लेकिन क्या हमारे लिये यह जरूरी नहीं है कि ऐसे समय में हम अपने रिसोर्सेज और खर्चों को इस तरह से हस्बैंड करें इस तरह से मैनेज करें कि हम अपनी योजनायें ज्यादा से ज्यादा लाभ की दृष्टि से बनायें और इसलिये इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि जो विस्तार मंत्रिमंडल का, विशेषकर यहां हो रहा है उस को हम रोकें और उस दृष्टि से ही जैसा कि मैंने पहले सुझाव दिया था कि जो कार्य आज हमारे मिनिस्टर आफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स करते हैं वही काम पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी से कम वेतन में क्यों नहीं कराया जाता? क्या मैं यह मान लूं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज की बुद्धि, बल या उस का स्तर मिनिस्टर्स आफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर्स से कम है? और अगर वह भी उतने ही बुद्धिमान्, परिश्रमी और मेधावी हैं तो फिर पदोन्नति की क्या आवश्यकता है, हमें तो अपने सीमित साधनों में अधिक से अधिक काम कराने की आवश्यकता है। इसलिये मैं फिर कहूंगा कि आप इन मंत्रियों की संख्या कम करें और उचित तो यह होगा कि यह नये पद समाप्त करें और उस काम को पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज से कम पैसे में लें। इस से खर्च भी कम होगा, इकानामी भी होगी और एफीशियेंन्सी की दृष्टि से भी आप अधिक आदमी कम व्यय में रखकर काम करा सकते हैं।

दूसरी ओर बार बार यह भी प्रश्न उठाया गया कि माननीय सदस्यों का वेतन और भत्ता क्या हो। उसके भी २ मूलभूत आधार और विचार हैं जिन के ऊपर हम विचार करें। सम्भव है कि मूलभूत विचारों की विभिन्नता हो सकती है। श्रीमन्, हमेशा यह प्रश्न होता है कि राजनीति क्या सेवा भाव से हो या राजनीति प्रोफेशनलिज्म के भाव से हो। हो सकता है कि, जहां यह भाव होता है कि मनुष्य समाज की सेवा करने आया है या सेवा करने की इच्छा से आया है तो अपने पैर पर खड़ा हो कर सेवा करे। इसमें एक विचार उठ सकता है जिन लोगों के अन्दर पात्रता है, क्षमता है, सेवा करने की भावना है, सेवा करने का विचार है, सेवा करने का प्रयत्न कर रहा है, परन्तु परिस्थितियों के कारण आर्थिक भार वहन करने की क्षमता नहीं है तो क्या वह देश की सेवा से वंचित रखा जाय? परन्तु यह भी प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए कि भार वहन की क्षमता न होने के कारण उनको इस प्रकार का प्रलोभन उत्पन्न किया जाय कि वह समझ लें कि यह हमारे कमाने का स्थान हो गया है जैसे, श्रीमन्, मैं एक उदाहरण दूं। जहां तक टी० ए० का प्रश्न है, आज माननीय सदस्यों को डबुल फर्स्ट क्लास मिलता है। मैं समझता हूं कि पैसा देने के बजाय ज्यादा अच्छा होगा, जैसे पार्लियामेंट के सदस्यों को रेलवे पास मिलता है उसके लिए हमारी सरकार प्रयास करके माननीय सदस्यों को पास दे। उसमें, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि कुछ बचत भी होगी। अगर यह विचार किया जाय कि रेलवे तो भारत सरकार का विषय है तो मैं निवेदन करूंगा

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

कि हमारे मुख्य मंत्री भारत सरकार के सामने यह विचार रखे और उनको समझा दें। अगर यह कहा जाय कि एकाउंट्स की दृष्टि से कष्ट होगा तो मैं समझता हूं कि माहवार या तीन महीने या जैसी भी सुविधा हो एकाउंट्स का तो प्रश्न हल किया जा सकता है। मैंने यह सुझाव इस दृष्टि से रखा था। जितना ज्यादा हम लोगों को पैसे से दूर रखेंगे वैसे ही लीस्ट टेम्पटेशन टु गो रांग हो सकेगा। मैं समझता हूं कि न तो राजनीति के प्रति प्रोफेशनलिज्म का दृष्टि कोण ही रखना उचित होगा और न यह उचित होगा कि मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होकर राजनीति की सेवा करे। इन दोनों के बीच में एक मार्ग निश्चित करना होगा। माननीय सदस्यों को अगर अपना कार्य सफलतापूर्वक निभाना है तो सुविधाएं दें। जैसे टेलीफोन और निवास की आप सुविधा दें। मैं मानता हूं कि दो-दो, विधायकों को एक एक कमरे में रखना उचित नहीं है। हम लोग स्कूल की स्टेज से ऊपर हो चुके हैं। बोर्डिंग हाउस में, मैं समझ सकता हूं कि, दो दो को एक एक कमरे में रखें, लेकिन विधायकों को दो दो को एक एक कमरे में रखना उचित नहीं होगा। इसलिए श्रीमन्, उनके रहने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उनको टेलीफोन की सुविधा दें। या श्रीमन्, उनको जो और भी सुविधाएं दें, वह इन काइंड सुविधायें हों। इन कैस सुविधाएं देने की आवश्यकता नहीं है।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ओर माननीय सदस्यों के टी० ए० रूल्स में यह है कि उनको डबुल फर्स्ट क्लास मिलेगा, चाहे वह किसी क्लास में यात्रा करें। जबकि दूसरे सरकारी कर्मचारियों के टी० ए० रूल्स में है कि उनको सर्टीफाई करना पड़ता है कि किस क्लास में उन्होंने ट्रैवेल किया। यह भेद है और मैं समझता हूं कि यह भेद गलत है। इसको भी दूर करने का एक ही रास्ता है कि लोगों को पास दिया जाय। चाहे आप उसको कानून से सही कर दें, फिर भी नैतिकता की दृष्टि से, मैं समझता हूं कि, यह हम लोगों के लिए उचित नहीं होगा। कानून की दृष्टि से आप भले ही तय कर लें, उसके लिए आप कानून में संशोधन भी कर दें, परन्तु, श्रीमन्, कानून भी इस दृष्टि से बनना चाहिए जो मनुष्य के नैतिक स्तर को उठाने में सहायक हो। इसलिए श्रीमन्, जो सुविधाएं होनी चाहिए, मैं फिर दोहरा देता हूं कि माननीय सदस्यों को अवश्य सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन, इन काइंड मिलनी चाहिए, इन कैश नहीं मिलनी चाहिए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री को एक बात के लिए अवश्य बधाई दूंगा। उन्होंने एक परिवर्तन किया है। पहले ऐसा नियम था कि लोग यहां दस्तख्त करके नौ दिन अपनी कांस्टीटुएंसी में घूम सकते थे और डी० ए० ले सकते थे। इसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। मैं उनको इस बात के लिए बधाई दूंगा। मैं समझता हूं कि अगर माननीय सदस्यों को अपनी कांस्टीटुएंसी में घूमना है, अपनी कांस्टीटुएंसी की देख रेख करनी है तो वह खुद करें। टैक्सपेयर के पैसे के आधार पर करना उनके लिए उचित नहीं है कितना भी इसको आप कानून की दृष्टि से ठीक करें।

श्री अध्यक्ष—जरा संक्षेप में आप कहिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—श्रीमन्, मैं केवल दो मिनट और लूंगा और उसके बाद समाप्त कर दूंगा।

इसलिए श्रीमन्, सुविधाओं के साथ साथ यह भी हम देखें कि माननीय सदस्यों के जीवन के व्यवहार का जो स्तर होना चाहिए उस स्तर की ओर हम ध्यान रखें, क्योंकि यह आवश्यक है कि आज माननीय सदस्यों को बहुत स्थानों पर, बहुत बातों पर अपने स्तर को मेंटेन करने की आवश्यकता है, परन्तु उस स्तर को हम पैसे के बल पर न मेंटेन करने का प्रयास करें। उस स्तर को हम अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से और अपनी बुद्धिमत्ता से मेंटेन करें तो ज्यादा अच्छा हो। मैंने श्रीमन्, केवल इसलिए यह उदाहरण दिया कि बहुत बार जहां तनख्वाहों का प्रश्न उठता है तो उस ओर से एक आर्ग्यूमेंट यह दिया जाता है कि

जीवन का स्तर ठीक होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जीवन स्तर के तर्क के पीछे बहुत सी बातें आवरण के अन्दर कर दी जाती हैं। जीवन के स्तर के लिए, मनुष्य के सम्मान के लिए, उसके चरित्र का स्वयं स्तर ऊंचा होना चाहिए। इसलिए, श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यह जो विषय है यह थोड़ा गम्भीर है और इसके बहुत से इम्प्लीकेशंस हैं। इसलिए आवश्यक यह है कि इसको प्रवर समिति में जाने के लिए मान लें। वहां जाने पर बहुत सी बातों पर हम लोग विचार कर सकते हैं। वहां शान्ति के साथ विचार हो सकता है और जैसी कि संस्कृत की कहावत है कि 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः।' उसके अनुसार वहां वास्तविकता स्पष्ट हो सकती है। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को स्वीकार कर लें।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एक बात और कहना चाहता हूं, थोड़ा सा प्रसंग के बाहर है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों की सुविधा के प्रश्न के साथ साथ एक यह भी प्रश्न है कि इस विधान सभा भवन में जो पार्टियों को कमरे दिये गए हैं उसमें भी उनकी सुविधा का ध्यान होना चाहिए। हम लोगों का उत्तरदायित्व इस सदन के अन्दर है तो हम लोगों के कमरे भी इस सदन के नजदीक ऊपर के स्तर पर मिलने चाहिए थे न कि नीचे के स्तर पर। अगर हमसे यह उम्मीद की जा सकती है कि हम लोग दस बार लिफ्ट से या सीढ़ियों से आ जा सकते हैं तो क्या मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह नहीं निवेदन कर सकता कि हमारे अधिकारी या डिप्टी मिनिस्टर महोदय क्या वे उससे नहीं आ जा सकते? मैंने यह देखा है, श्रीमन्, कि जिस मन्त्री का विषय यहां रहता है वह तो यहां विराजमान रहते हैं, लेकिन बाकी लोग यहां से बाहर रहा करते हैं। मेरा दृष्टिकोण, श्रीमन्, एक यही है कि जिस समय बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन यहां हो रहा है उस समय तो हम यह मान कर चलते हैं कि जो बजट रखा गया है वह तो कलेक्टिव सेंस आफ रिस्पांसिबिलिटी के आधार पर रखा गया है, तो उस समय तो हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य यहां मौजूद रहें, परन्तु श्रीमन्, दुर्भाग्य है, मुझे इसका दुख भी है कि केवल वित्त मन्त्री को छोड़कर दूसरा कोई भी यहां नहीं रहा। तो क्या मैं इससे यह मान लूं कि वह बजट केवल वित्त मंत्री के ही (responsible idias) का फल है।

श्री अध्यक्ष---आप जरा असंगत हो रहे हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---तो श्रीमन्, मैं अन्तिम निवेदन के रूप में यही कहूंगा कि थोड़ा यहां का स्तर भी ऊंचा हो कुछ थोड़ा हम लोगों का परस्पर सम्बन्ध भी और बढ़े। उस दृष्टि से आवश्यक है कि हमारे मन्त्री और पूरे-मंत्रिमंडल के सदस्य कुछ ज्यादा समय इस सदन के अन्दर दें। इन शब्दों के साथ, श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि हम लोगों की बातों के ऊपर विचार करके वह इस बिल को प्रवर समिति में देने का कष्ट करें।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---माननीय स्पीकर साहब, आज जो बिल इस सदन के सामने है उस पर कल से बहस हो रही है और इस किस्म की बहस इसके पहले उस बिल पर भी काफी हद तक हो चुकी है जो इससे पहले यह सदन पास कर चुका है। इस बहस के दौरान में दो बातों की तरफ, एक तो मंत्रि-मंडल के और दूसरे यहां के मेम्बरों के वेतन और उनके भत्तों के मुताल्लिक, तवज्जह दिलाई गई है। मैं मन्त्रिमंडल के मुताल्लिक कुछ ज्यादा नहीं अर्ज करूंगा। सिर्फ एक ही बात कहूंगा और वह यह है कि अभी मुझसे पहले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

जनसंघ के लीडर साहब ने जो बात कही है मैं उस बात से बिलकुल मुत्तफिक हूं कि इस बिल के ऊपर जो कुछ भी गौर किया जाय वह किसी उसूल के मातहत किया जाय।

(इस समय १२ बजकर ३२ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता श्री गयाबख्श सिंह, पीठासीन हुए ।)

किसी उसूल से हट कर गौर करने का मौका नहीं है । उन्होंने जो बात कही उसके मैं मुत्तफिक हूं और वह एक ही उसूल हो सकता है इस बिल पर गौर करने के लिये कि हमारे सामने एफीशियेंसी रहे और इकानामी रहे। हम यह न करें कि इकानामी के कारण एफीशियेंसी खत्म कर दें या एफीशियेंसी को देखें और इकानामी को न देखें। इस बिल पर गौर करने के वक्त और तमाम उन माली मामलात पर गौर करनेके वक्त, जिनके सिलसिले में कि हम गौर कर रहे हैं, हमारे सामने यह भी उसूल होना चाहिये कि हमारी एफीशियेंसी बरकरार रहे और हम ज्यादा से ज्यादा इकानामी कर सकें।

इस उसूल के ऊपर अगर मंत्रिमंडल के मामले पर गौर किया जाय तो मैं समझता हूं कि स्टेट मिनिस्टर जिसके सिलसिले में काफी बहस यहां उठ चुकी है उनका रखना ज्यादा इकानामिकल है बनस्बित इसके कि हम मिनिस्टर बना दें। यह सवाल कि मिनिस्टर्स कैबिनेट में कितने रहेंगे कांस्टिट्यूशन ने तय नहीं किया है। यह चीफ मिनिस्टर के लिये छोड़ा गया है और चीफ मिनिस्टर ही आर्टिकिल १६३ के मातहत यह तय कर सकता है कि कितने मिनिस्टर्स रक्खे जायं। फर्ज कीजिये कि उनको जरूरत है कि वह ज्यादा मिनिस्टर्स रक्खें और मिनिस्टर्स बना दें इस हद तक कि वह अनइकानामिकल होगा, तो बजाय इसके कि वह स्टेट मिनिस्टर्स को बढ़ाते हैं, उससे कुछ न कुछ इकोनामी होगी और एफीशियेंसी का जहां तक ताल्लुक है वह भी कायम रहेगी। मैं इतनी बात सिर्फ स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में कहना चाहता था ।

मैं कुछ बातें मेम्बरों की तनख्वाह और भत्ते के मुताल्लिक भी अर्ज करना चाहता हूं। इस बिल के अन्दर दफा १ में सब्क्लाज २ में लिखा है "It shall be deemed to have come into force on and from the ninth day of April, 1957." सेक्शन २ (ए) डिलीट कर दिया गया है। इसके मानी यह हैं कि जो मेम्बर साहबान अब तक इस बात का नफा उठाते रहे हैं कि ९ दिन तक वे गैर हाजिर रह सकते थे, ९ अप्रैल के बाद जिन्होंने भत्ता ले लिया है वह भत्ता वापस करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि कानून बिद रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट बनाना अच्छी बात नहीं होती है, और खास कर ऐसी सूरत में जब कि भत्ता जिन लोगों के पास पहुंच गया है उनसे वापस कराया जाय, वह सही चीज नहीं मालूम होती है। एक बात इस बिल के जरिये से तय कर दी गई है कि जो मेम्बर्स अब तक अपनी कांस्टीट्युएंसी में जाते थे और ९ दिन तक वे गैर हाजिर रहते थे तो वे भत्ता या सफर खर्च जो कम हो, पाया करते थे। जरूरत आज यह महसूस हुई कि इसको खत्म कर दिया जाय। मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं यह जरूर अर्ज करूंगा कि जो भत्ता अब तक उन्होंने ले लिया है उसको वापस करने का सवाल इसके जरिये से नहीं उठना चाहिये ।

बार बार इस बात का भी सवाल उठाया गया है कि हमारा कानून ऐसा बनना चाहिये जिससे कैरेक्टर ऊंचा उठ सके। हम मेम्बरों को दो टिकट न दें, बल्कि डेढ़ ही दें। मैं इस सिलसिले में एक बात अर्ज करूं कि कैरेक्टर ऊंचा करने की हम सबको बहुत जरूरत है, लेकिन कैरेक्टर कानून के जरिये से ऊंचा नहीं हो सकता। इसके लिये एक भावना पैदा करने की जरूरत है, इसके लिये प्रचार की जरूरत है और इसके लिये सबको अपनी अपनी जगह पर दिल टटोलने की जरुरत है। उस वक्त हम अपने कैरेक्टर को ऊंचा कर सकते हैं। यह बात कही गई कि हमारी सर्विस क्लास के जो लोग हैं उनको डेढ़ टिकट मिलता है और मेम्बर्स को दो टिकट मिलते हैं, लेकिन जब यह बात कही जाती है तो उस वक्त मैं समझता

हूं कि यह बात सामने नहीं होती कि मेम्बर्स इस असेम्बली से फारिग होने के बाद जब मकानों पर रहते हैं तो जिले के हेडक्वार्टर्स में एक महीने में कम से कम ७, ८ मर्तबा उन्हें मुख्तलिफ कमेटियों में जैसे प्लानिंग कमेटी या दूसरी कमेटियों में शिरकत करने के लिये जाना पड़ता है। यह सब पब्लिक वर्क है, लेकिन उसके लिये कोई भत्ता नहीं मिलता है। जब कोई भत्ता उस सिलसिले में नहीं मिलता है तो इस बात पर सोच विचार होना चाहिये कि उनको कम्पेनसेशन किस तरह दिया जाय ?

हमारे बाज बुजुर्ग दोस्तों ने यह बात भी कही कि मेम्बर्स जिनके पास रहने को मकान नहीं है, उनको जो एलाउन्स दिया जायगा वह एलाउन्स नहीं मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बात सिर्फ ऐसे ही दोस्त कह सकते हैं जो लखनऊ में रहते हैं या जिनका कोई मकान यहां है। लखनऊ के बाहर से जो लोग आते हैं और जिनको रहने के लिये मकान या एकमोडेशन तलाश करनी पड़ती है, उनके सामने जो प्राब्लेम्स आते हैं उनको अच्छी तरह से सोचा नहीं गया है। जो लोग लखनऊ में रहते हैं और यहां अपना पूरा वक्त देना चाहते हैं, उनके लिए इस बात की बड़ी जरूरत है कि उनके पास मकान हो और जैसा बाज दोस्तों ने कहा कि वह मकान ऐसा हो जिसमें दोनों रह सकें। यह सही है कि जो लोग २ या ३ आदमी एक कमरे या एक मकान में रहें तो कुछ दिन के बाद उनके ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ जायगा। एक रोशनी में और एक अंधेरे में रहना चाहेगा, एक सोना चाहेगा तो एक किताब पढ़ना चाहेगा। तो एक प्लेस दो के लिए मुनासिब नहीं हो सकती। यह हकीकत है कि लेजिस्लेचर का काम अब सिर्फ ऐसा नहीं रह गया कि वह सेशन भर के लिए हो, या हफ्ते दो हफ्ते के लिए हो, बल्कि २४ घंटे का काम है, अगर हकीकत में कोई काम करना चाहता है। तो ऐसी सूरत में उसके लिए सहूलियत होनी चाहिये, उसके लिए वक्त होना चाहिये, सुकून होना चाहिये जिसमें वह अपना काम पूरे तरीके से कर सके।

इकानामी के मुताल्लिक बहुत सी बातें कही गयीं और इकानामी बहुत से तरीकों से हो सकती है। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करूंगा कि मेरी राय यह है कि बहुत सी हमारी कमेटियां नैनीताल में होती हैं और हम लोग वहां जाते हैं, ज्यादा अच्छा हो अगर हमारी कमेटियां आइंदा यहीं लखनऊ में हों, यहां हमारा परमानेंट हाउस भी है और उसमें रह कर हम अपने काम को करें। मैं जैसा शुरू में कह चुका, ऐसे किसी एक्सपेंडीचर के करने में गुरेज नहीं होना चाहिये जिससे हमारी एफीशियेंसी पर असर पड़ता हो। अगर पड़ेगा तो वह फाल्स इकानामी होगी, सही किस्म की इकानामी नहीं हो सकती।

एक बात और भी कही गयी है कि कानून के जरिये से भत्ता कम कर दिया जाय, कानून के जरिये से तनख्वाह कम कर दी जाय, और बातें भी कही हैं। मैं समझता हूं कि बहुत से लोग अपने दिल में महसूस करते होंगे, लेकिन किसी वजह से उस बात का कहना पसन्द नहीं करते। इसलिए जो बात सही तौर पर सोचते हों वह सफाई से कहें। अगर हम कानून बना कर तनख्वाहों और भत्तों में कमी करें तो इसके माने यह होंगे कि हम पब्लिकमैन को लेजिस्लेचर के अन्दर आने से डिबार करते हैं इसके लिए तो हमारे सामने खुली छूट है कि हम जितनी चाहें अपनी तनख्वाहों में कमी कर दें, अपने भत्ते में दो फर्स्ट क्लास के बजाय एक ही लें, इंटर या थर्ड का लें, बिलकुल न लें, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत से नहीं कर सकते। तो अगर कानून बनाते हैं तो उन लोगों की राय को, जो कर सकते हैं, उन पर भी हम एनफोर्स करना चाहेंगे जो नहीं कर सकते हैं, यह मुनासिब बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस तनख्वाह और भत्ते के मामले में भूदान का तरीका इस्तेमाल किया जाय, जो देना चाहे वह दे दे, बिलकुल वालंटरी रहे। तो जो कम करना चाहता है वह कर दे और ऐसे बहुत से लोग हैं जो करेंगे और कुछ ने आफर किया है, और भी करेंगे, लेकिन कानून के जरिये से कोई इस किस्म की चीज करना, मैं समझता हूं ऐसा होगा जिसका एफीशियेंसी पर असर अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए

[श्री सुल्तान आलम खां]

मैं अर्ज करता हूं कि यह एक ऐसा छोटा सा बिल है जिसकी न तो सेलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत है, न इसका इतना पोस्टमार्टम करने की जरूरत है जितना कि हो गया। बहरहाल, अब इसके ऊपर बहुत सी बातें हो गयीं और सब किस्म के खयालात सामने आ गये, अब हमें इसको पास करना चाहिये।

हम इसके साथ अपने उन दोस्तों का खैरमकदम करेंगे जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं और जो एक कदम आगे बढ़ कर बावजूद कोई कानून न होने के तनख्वाहों और भत्तों में कमी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी तनख्वाहों और भत्तों में कमी कर दी और मकान जो रहने के लिए उन्हें मिल सकता था या उसका कम्पेंसेटरी अलावेंस मिल सकता था उसे लेने से इनकार कर दिया, ऐसी मिसाल अगर वह पेश करेंगे तो वह ज्यादा अच्छी मिसाल होगी और उससे कैरेक्टर ज्यादा अच्छा बिल्ड कर सकेंगे, बजाय इसके कि कानून को हम इतना रिजिड कर दें कि जो आदमी वह काम नहीं कर सकते हैंउनको भी करना पड़े। इन अल्फाज के साथ इस बिल की, जो कल पेश हुआ है और जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, ताईद करता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में जो प्रवर समिति को देने का सुझाव आया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, इस बिल के सम्बन्ध में सदन में हमारे कई माननीय मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किये और उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण रखे हैं। मुझे खास तौर से उस बात की सफाई करनी थी और दृष्टि कोण रखना था कि जिसके संबंध में प्रारम्भ में इस बिल को रखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जब अनुदान सामान्य प्रशासन के संबंध में मंजूर किया गया था तो सब लोगों ने इसको मंजूर करके अपनी स्वीकृति दे दी थी। इसलिये इसमें कोई नई बात नहीं है और उन्होंने कहा था कि इस संबंध में कोई खास बात उस समय लोगों ने नहीं कही और ध्यान नहीं दिलाया तो मालूम पड़ता है कि:--"मौनं सम्मति लक्षणम्" है।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने उस समय भी मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि जहां तक इस बात का प्रश्न है कि मिनिस्टरों की तनख्वाह क्या हो? इस संबंध में दो रायें नहीं हो सकतीं हैं कि उनका जीवन आदर्श हो और मैंने उदाहरण दिया था कि माननीय चाणक्य की तरह रहें, जो मंत्री भी थे और अध्यापक भी। हमारे मुख्य मंत्री जी में दोनों चीजें हैं। पहले वह शिक्षक रह चुके हैं और अब माननीय मुख्य मंत्री जी के पद पर आसीन हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब देश संधिकाल से गुजर रहा हो, गुलामी की जंजीरें तो टूटी हुई हों, लेकिन मानव जर्जर हो, दैन्य और गरीबी से लोग तबाह हो रहे हों, और लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई इस आशा पर लड़ी हो कि गुलामी और गरीबों की भी जंजीर टूटेगी तो उस जगह पर १२०० रुपये वेतन की जो बात माननीय राज्य मंत्रियों के लिये कही गई है वह कहां तक उचित है?

श्रीमन्, यह सभी को मालूम है कि इस सूबे की औसत आमदनी २०० रुपये सालाना के आस पास है तो हमारे मंत्री जी १२०० रुपये महीने लें इसके बावजूद कि उनके रहन सहन, आवागमन में और साज सज्जा में जो खर्च हो वह अलग से हो। जहां तक मालूम हुआ है कि यह खर्चा ५ हजार से ज्यादा हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे इस प्रदेश के लोग इस बोझ को वहन कर सकेंगे जबकि उनके अगुआ लोग ही आदर्शवाद से दूर चले गये हों।

श्रीमन्, नीतिवाक्य में कहा है कि:--

"महाजनो येन गतः स पन्थाः"

जिस पर बड़े लोग चला करते हैं वह रास्ता बन जाया करता है। हमारे मंत्री जी की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, उनका रहन सहन नीचा हो जाता है या असुविधा होती है यदि उनका वेतन कम रखा जाय तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रदेश के साढ़े

छ करोड़ लोग जो ज्यादा गरीब हैं वह किस भावना को लेकर अपनी जिन्दगी का निर्वाह करें। श्रीमन्, हमारे अगुआओं को जो एक आदर्श लेकर चले हैं उससे विमुख नहीं होना चाहिये। अगर हमारे मंत्री लोग कम पैसे में काम चलायें तो गरीबों को बल मिलता है कि हमारे मंत्री लोग इस हालत में और इतने कम पैसे में अपना काम चलाते हैं और सारा पैसा देश के विकास में और गरीबों की उन्नति में लग रहा है तो श्रीमन्, उनमें रहने की और काम करने की भावना जागृत होती है। आज इसी विषमता का कारण है कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार की आवाजें उठाई जा रही हैं, इसलिये कि आज लोगों में एक भावना बस गई है। वह भावना जो न्याय पर निर्धारित होती है वह गायब हो गई है। हम देखते हैं कि जो जो हमारे नेता थे, उन्होंने वायदे किये थे कि हम तुम्हारे दुख सुख में शामिल हैं, उनमें इस तरह की भावना का लोप हो गया है और आज वह मोटरों में चलते हैं और अच्छी तनख्वाह लेकर अपना काम चला रहे हैं तो उन्हें अफसोस होता है और मैं समझता हूं कि यही वजह है कि उनमें यह भावना भर गई है। उनमें आतुरता इसलिये है कि जब वे देखते हैं, जैसा कि एक कवि ने कहा कि 'रंज लीडरी को बहुत है मगर आराम के साथ' यानी धन और वैभव खूब करके रंज का दिखावा दिखाना।

दूसरी बात श्रीमन् मैं यह कहना चाहता हूं कि सवाल इकानामी का था और एक हमारे माननीय मित्र ने उधर से कहा कि इकानामी और एफीशियेंसी दोनों को रखना चाहिये। श्रीमन्, जहां तक एफीशियेंसी की बात है, मैं उन दिनों की नहीं कहना चाहता। वे कोई अच्छे दिन नहीं थे, जब अंग्रेजों की हुकूमत यहां थी तो बहुत कम आफिसर्स के रहते हुये भी बहुत एफीशियेंटली काम होता था। आज उससे कई गुना अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी वह एफीशियेंसी नहीं है। इसी सदन में पिछली दफा भी मैंने निवेदन किया था कि आज तिगुनी और चौगुनी संख्या बढ़ जाने के बावजूद भी एफीशियेंसी नहीं है इसका कारण यह है कि आज लोगों के मस्तिष्क में न्याय की भावना खत्म हो चुकी है। लोगों में उत्साह और कर्त्तव्य की भावना पैदा करने के लिये यह जरूरी होता है कि हम स्वयं पहले अपना चरित्र बनायें और उस रास्ते पर चलें। तो यह कहने में कोई औचित्य नहीं है कि इकानामी करने में एफीशियेंसी कम हो जायगी। इकानामी तो, श्रीमन्, काम करने से होती है। अगर काम करने की क्षमता, लगन और हृदय में सद्भावना है तो एफीशियेंसी लाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं किसी की नीयत के खिलाफ नहीं कहना चाहता हूं। मेरी मंशा सिर्फ इतनी ही है कि अगर ये गुण किसी में मौजूद हैं तो कोई वजह नहीं है कि वह ज्यादा से ज्यादा काम क्यों न कर सके और पिछले दिनों के इतिहास से यह बात सिद्ध हो जाती है कि कम से कम खर्च में भी अच्छा काम होता रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा खर्च करने पर भी एक प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है।

तीसरी बात १,२०० रुपये तनख्वाह के सम्बन्ध में मुझे यह कहनी है कि जो दूसरे लोग हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स, सभा सचिव आदि, उनके वेतन में और मंत्रियों के वेतन में फर्क किया गया है। मेरे एक मित्र ने ध्यान दिलाया कि जहां तक एफीशियेंसी की बात है हम एक स्तर को रखें। अगर हम मानते हैं कि उसमें फर्क है, जैसे इंग्लैण्ड में प्रधान मंत्री को १०,००० और दूसरे मंत्रियों को ५,००० पौंड मिलते हैं, लेकिन एफीशियेंसी के लिये तो कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है। जब डिप्टी मिनिस्टर ७५० रुपये माहवार में काम चला रहे हैं और उन्हें इससे भी कम में चलाना चाहिये तो मेरी समझ में नहीं आता कि राजमंत्रियों को १,२०० रुपये तनख्वाह देना कहां तक ठीक है।

चौथी बात तनख्वाह के सम्बन्ध में यह भी है कि जैसा कहा गया कि इस प्रान्त में अफसर लोग तीन तीन हजार रुपये से अधिक तनख्वाह पाते हैं, तो जहां तक उदाहरण पेश करने की बात है मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्रियों की तनख्वाह कम कर दी जाय और उससे उनके रहन-सहन में जो सादगी आयेगी वह भी एक आदर्श होगा और जो दिखावे और उच्च

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

रहन-सहन की बात अफसरान में मौजूद है, जिसके कारण उनका इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है उसमें भी बहुत बड़ी कमी होगी। मैं समझता हूं कि यह जो अपील की गयी कि वे भी अपनी सैलरी में कुछ कट करें जिसके सम्बन्ध में अभी शायद कोई निश्चित निर्णय नहीं हुआ है उस बारे में वे स्वयं प्रोत्साहित होंगे और अपने आप उस जीवन के रहने के लिये उत्सुक होंगे, जिसमें कम से कम रुपये में ज्यादा से ज्यादा काम चला सकें, लेकिन जब हमारे अगुआ लोगों ने ही इस रास्ते को बिगाड़ दिया है और इस सम्बन्ध में वे अपना एक निश्चित खर्च बना कर रहना चाहते हैं कि इतने रुपये से कम में स्टैण्डर्ड गिर जायगा या हमारा उतना अच्छा रहन-सहन नहीं रह सकेगा तो क्या आज देश में २,४,१०,५० आदमियों के ही रहन-सहन का प्रश्न है या आज जो देश में लाखों गरीबी से तड़पते हुये और भूख से मरने वाले लोग हैं उनके रहन-सहन का प्रश्न है। श्रीमन्, मैं बहुत ही ठंढे दिल से सोचता हूं, लेकिन यह तमाम बातें मेरे सामने आ जाती हैं और इन को देखते हुये मैं इस में कोई औचित्य नहीं समझता कि किसी प्रकार से मंत्रियों का वेतन १,२०० रुपया मासिक रक्खा जाय।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य ध्यान रखें कि इस विधेयक को सवा बजे समाप्त होना है और अभी माननीय मुख्य मंत्री जी भी बोलेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, मैं दो-तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता--जी नहीं, केवल एक मिनट में।

श्री रामस्वरूप वर्मा--पांचवीं बात यह है जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूं कि रहने के लिये एक विधायक को एक कमरा मिलना चाहिये। दो विधायकों को एक साथ रहने से असुविधा होती है, गहन अध्ययन नहीं हो पाता और व्यक्तिगत शिष्टाचार आदि का निर्वाह नहीं हो पाता है। इससे वह और गंभीर विचार करके यहां और उच्च स्तर कायम करें, यह भी नहीं हो पाता, उसमें कठिनाई पड़ती है।

९ दिन के वेतन की जहां तक बात है उस धारा का समाप्त करना एक अच्छा प्रस्ताव है। छठी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि जो डबल फर्स्ट क्लास का किराया मिलता है, उसमें औचित्य का अभाव है। इस सम्बन्ध में यह होना चाहिये कि या तो सदस्यों के लिये पास बन जायं अथवा वे जिस क्लास में सफर करें उसी क्लास का भत्ता उनको मिलना चाहिये। इसीलिये इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता है। विधायकों को थर्ड क्लास में सफर करते देख जनता में आलोचना होती है, लोग आक्षेप करते हैं, यदि हम विधेयक में यह संशोधन कर लें तो इस आक्षेप से बच सकते हैं।

जो सुझाव मैंने अथवा मेरे और मित्रों ने दिये हैं उन पर विचार करने के लिये इसको प्रवर समिति में परिधि बढ़ाने के अधिकार के साथ जाना चाहिये और इसलिये मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक पर विचार किया जाय या न किया जाय, इस प्रश्न पर कल दोपहर से विचार हो रहा है और मैं आपसे सच कहता हूं कि जिस ढंग पर विचार हुआ उसको देख कर और सुन कर मुझे बेहिसाब दुःख हुआ। केवल एक बात थोड़ी सी संतोषजनक थी। अपने भाषण के आरम्भ में माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने जिन दो एक वाक्यों का प्रयोग किया था उन से ही मुझ को कुछ संतोष हुआ। उन्होंने कहा कि यह बिल इस किस्म का नहीं है कि इस पर बहुत ज्यादा बहस और विचार किया जाय। जो लोग पार्लियामेंटरी प्रथाओं से परिचित हैं, जिन लोगों ने दूसरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देशों की पार्लियामेंटों की बहसों को देखा है, अपने देश की व्यवस्थापिका सभाओं की कार्यवाहियों को देखा है, उनको यह बात विदित होगी कि ऐसे बिल पर ज्यादा बहस नहीं की जाती। अभी हाल ही में, कोई दो महीने की बात है कि इंग्लैन्ड में मंत्रियों और मेम्बरों के वेतन को बढ़ाने का विधेयक आया और मुश्किल से आधा घंटे के अन्दर वह पास हो गया। और जगहों में भी यह बात बड़े शर्म की समझी जाती है कि मेम्बरों को क्या एलाउन्स दिया जाय या मंत्रियों को क्या वेतन दिया जाय इसके ऊपर सदन में बहस की जाय। बहरहाल हम शायद इसको छोटा नहीं समझते। हम इस प्रश्न को बड़े महत्त्व का समझते हैं। ऐसी हालत में मेरा एक निवेदन यह है कि यदि विरोधी पक्ष के नेतागण सचमुच समझते हैं कि यह प्रश्न इतने महत्त्व का है और इसके ऊपर बहस होनी चाहिये या और कोई फैसला होना चाहिये तो अच्छा हो कि जो गवर्नमेन्ट के पक्ष के आदमी हैं उनसे कह दें और कम से कम मैं तो इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि यह बहस रुक जाय और आपस में बात हो कर कोई एग्रीड चीज आ जाय और वह चीज तय हो जाय। जरा हम लोग ख्याल करें कि कल से हमने क्या-क्या स्पीचेज यहां पर दीं। हमने न्याय की, नैतिकता की, धर्म की और बहुत सी बातें कहीं और बड़े ऊंचे स्वर से यह बातें कीं। यह चीज अखबारों में भी छपी और जब छपकर हमारे प्रदेश के लोगों के सामने जाती है तो वह क्या सोचेंगे कि हम लोग यहां पर चुनकर आते हैं और दोहरा फर्स्ट क्लास तो चार्ज करते हैं और थर्ड क्लास में सफर करते हैं यह वही मेम्बर कहते हैं जो सफर करते हैं।

यह भी कहा गया कि ९ दिन का जो नियम था उसमें भी काफी रुपया बचाया गया और यह जो २ दिन का कायदा है पहले यहां आने पर उनको भत्ता देने का इसमें भी काफी रुपया बचाने की कोशिश होती है। मेम्बर साहबान खुद इस बात को कह रहे हैं जो इधर या उधर दोनों तरफ बैठते हैं। तो सिवाय इसके कि जो आदमी इसको पढ़ेगा उसको यह ख्याल हो कि यह सब के सब चोर हैं जो कि इस तरह से बांटने पर एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे से झगड़ते हैं। स्पीचेज तो बड़ी सुन्दर हुईं, लेकिन आप सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। आज जब दूसरे प्रदेश के लोग भी इसको पढ़ेंगे तो वे क्या कहेंगे। ५,७ वर्ष के बाद जो लोग इन रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो वह कहेंगे कि उस जमाने में ऐसे लोग भी हुआ करते थे जो एक दूसरे से असेम्बली जैसी जगह में बैठकर लड़ते थे और एक दूसरे को चोर और बेईमान कहा करते थे। दूसरे देशों के लोग भी जब इसको पढ़ेंगे और वह पढ़ सकते हैं क्योंकि जब अखबारों में इस प्रकार की चीजें छप सकती हैं तो लोगों के पास वह जरूर जायंगी और पायनियर और नेशनल हैरल्ड में तो मैंने पढ़ा है और दूसरे हिन्दी के पेपरों में भी छपा होगा तो लोग पढ़कर क्या कहेंगे और क्या सोचेंगें यह सोचने की बात है। हमको इस सदन की मर्यादा और अपनी मर्यादा को भी सोचना चाहिए। हम बाहर कुछ भी कहें लेकिन यहां सदन के अन्दर हमें इस प्रकार से नहीं कहना चाहिये। पब्लिक प्लेटफार्म पर शायद किसी को यह बात कहना शोभा देता हो, लेकिन सदन में इस प्रकार की बात कहना किसी को शोभा नहीं देता। कुछ लोगों को शायद यह अच्छा मालूम होता हो, लेकिन ऐसा काम करने से हम भ्रष्टाचार की कोटि में आ सकें, यह मैं सोच भी नहीं सकता और स्वप्न में भी ख्याल नहीं कर सकता। इसलिये मैं कहता हूं कि जब कल से मैं देखता हूं तो मुझे तकलीफ हुई है। इस प्रकार की बात कहने से सदन की मर्यादा को धक्का लगता है, इस प्रदेश की मर्यादा को धक्का लगता है और जनता पर भी बहुत बुरा असर होता है।

कई बातें यहां पर कहीं गयीं। अवधेश प्रताप सिंह जी ने कुछ बातें कहीं और आध्यात्मिक बातों की भी चर्चा की। मैं उनके बारे में ज्यादा कहने सुनने की आवश्यकता नहीं समझता एक आध बात जो सामान्य है उसकी ही चर्चा करना चाहता हूं। आवास की बात कही गयी। बिलकुल सही बात है कि सदस्यों के लिये आवास का प्रबंध होना चाहिये और अच्छा प्रबंध होना चाहिये। एक कमरे में एक से अधिक आदमियों का रहना गलत चीज है। २,२ आदमियों का रहना सही चीज नहीं है। त्रिलोकीसिंह जी ने कहा कि मुफ्त मकान की बात अच्छी नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। सदस्यों को २०० रुपया मिलता है। मेरी निजी राय

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

यह है कि यह रुपया बहुत कम है। अगर ज्यादा दे सकें तो अच्छी बात है, ताकि जो विधायक हैं वह पूरा समय दे सकें। वह ज्यादा समय जनता के कार्य में देने के लिये तभी तैयार हो सकते हैं जब उनको कुछ आसानी हो। मैंने आस्ट्रेलिया या कनाडा की किसी किताब में पढ़ा था कि जब वहां पर एलेक्शन होता है और जो मेम्बर चुनकर आते हैं उनमें प्रत्येक को एक अच्छी खासी रकम दी जाती है जिससे वे काम करने के लिये रिफरेन्स बुक्स खरीद सकें। यही सही बात है कि जो लोग आयें वह अच्छी तरह से अच्छे से अच्छा उपयोगी कानून बना सकें, अपना पूरा समय दे सकें और पूरा दिमाग लगा सकें। इसीलिये मेरी निजी राय है कि २०० रुपया कम है और फिर इसी रुपये में वह अपने आवास का किराया भी निकाल सकें यह कुछ उचित नहीं मालूम होता है। या तो नकद रुपया उनको दिया जाय यानी २०० रुपया के बजाय २४० या २५० रुपया दिया जाय या उनसे किराया न लिया जाय। मैं समझता हूं कि यह बात सोलहो आना सही है। माननीय सदस्यों को दिक्कतें हैं, लेकिन उनके लिये ६०-७० नये ब्लाक्स बनाये जा रहे हैं। उनके बन जाने के बाद वह दिक्कत दूर हो जायगी। बजट में भी आपने देखा होगा कि इसके लिये दो लाख चौंतीस हजार रुपया रक्खा गया है। थोड़े-थोड़े कमरे बनाते जा रहे हैं और आशा करता हूं कि एक दो महीने में यह दिक्कत दूर हो जायगी।

माननीय मंत्रियों के वेतन के सम्बन्ध में जो बातें कही गयीं, मैं उनका जवाब देना नहीं चाहता। यह तो एक बारहमासी विषय है। बजट के सामान्य विवाद के समय, सामान्य प्रशासन के बजट के समय तथा आज भी उसकी चर्चा हुई और आगे भी होती रहेगी। मंत्री रहेंगे तो वेतन जरूर लेंगे और १००-५० रुपये में मंत्री काम नहीं कर सकते हैं। बहरहाल विषय अच्छा है और उस पर बातचीत होती ही रहेगी, लेकिन उस पर मेरा इस वक्त कुछ कहना असंगत है। इस वक्त सदन के सामने वह विषय है ही नहीं। एक आध माननीय सदस्य ने मंत्रियों की वकालत भी की लेकिन मैं उस वकालत की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि वह विषय ही हमारे सामने नहीं है। इस वक्त हमारे सामने मुख्य दो विषय हैं—एक तो माननीय सदस्यों के ९ दिन वाले नियम को निकालने की बात है दूसरे उनके लिये रहने के कमरों का इन्तजाम होना चाहिये और अगर किसी को रहने के लिये स्थान नहीं दिया जाता है तो उसको किराये के बदले पैसा दिया जाय। ये दोनों बातें निर्विवाद हैं।

दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर आफ स्टेट्स को बारह सौ रुपया दिया जाय। मैंने यह बात कल भी कही थी कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको यह बात तय करने का अधिकार है कि उसका काम कितने आदमियों से चल सकता है, चाहे वह किसी भी पार्टी की गवर्नमेण्ट हो। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पार्लामेंटरी सेक्रेटरी से काम चला लिया जाय। लेकिन पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी का काम मिनिस्टर को लेजिस्लेचर के काम में मदद करना है। सवालों का जवाब देना है, लेकिन वह किसी कागज पर हुक्म नहीं दे सकता और न सदन के सामने किसी विभाग के लिये जिम्मेदार ही हो सकता है। जिम्मेदार तो मिनिस्टर ही हो सकता है। उसके विभाग बंटे हुये हैं और उनके लिये वह सदन के सामने जिम्मेदार है। जो काम वह कर सकता है वह डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं कर सकते। इसलिये अब सदन के सामने यही प्रश्न मुख्य रह जाता है कि मिनिस्टर आफ स्टेट को बारह सौ रुपया तनख्वाह दी जाय या नहीं।

इस बारे में एक राय यह दी गयी कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जाय। और किसी प्रस्ताव का तो मैं विरोध करता हूं, लेकिन इसका घोर विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि इसका घोर विरोध होना चाहिये। मैंने इस 'घोर विरोध' शब्द को दो बार जानकर इस्तेमाल किया है। दुनियां के किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि किसी सदन के मेम्बरों ने इस प्रकार से जनता से पूछा हो कि हमारी तनख्वाह क्या हो, कमरा हो या न हो अथवा मेम्बरान को क्या किराया दिया जाय, किराया हम लें न या न लें? यह एक

बड़ी अजीब तमाशे की बात है। मैं समझता हूं कि यह सदन का घोर अपमान है और कोई भी शख्स इसको स्वीकार न करेगा। दुनिया में किसी भी जगह ऐसी बात नहीं सुनी गयी।

एक प्रवर समिति की बात भी कही गयी। मैं सभी लोगों से कहता हूं और विशेषकर उन लोगों से जो कि इस सदन के पहले से सदस्य हैं, पार्टियों के नेता हैं, वे सोचें कि डेमोक्रेटिक संस्थाओं का काम कनवेंशन के तौर पर चलता है। मैं कहता हूं कि इस देश की किसी भी प्रान्त की असेम्बली में, १९३७ से आज तक कम से कम ७-८ कानून ऐसे बन चुके हैं जिनमें मेम्बरों की तनख्वाह आदि का इन्तजाम किया गया है, ऐसा नहीं किया कि उसको प्रवर समिति में या जनता की राय के लिये भेजा हो। यहीं ३,००० का कानून बना, १,५०० का कानून बना और १,२०० का भी कानून बना मेम्बरों को १०० रु० देने का, १५० रु० देने का और २०० रु० देने का भी कानून यहीं बना। यही सदन उसके लिये कम्पिटेंट है। सब कानून यहीं पर बना है, फिर यह तो एक सीधा सा विधेयक है, इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब यह सदन इस बात का फैसला कर सकता है कि मिनिस्टरों को क्या दिया जाय, डिप्टी मिनिस्टर्स को क्या दिया जाय, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को क्या दिया जाय, मेम्बरों को क्या दिया जाय तो फिर स्टेट मिनिस्टर्स को १,२०० रु० दिया जाय या न दिया जाय, इसके लिये इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजना, मैं समझता हूं कि जितनी हमारी परम्पराएं आज तक की बनीं हैं, २०-२५ वर्ष की इस सदन की परम्पराएं हैं और इस देश की परम्पराएं हैं, उन सारी परम्पराओं के यह विरुद्ध होगा। अगर इस तरह से परम्पराएं रोज तोड़ी जायं तो कोई काम नहीं चल सकता है। यह कोई बड़ा काम तो है भी नहीं, बहुत सीधा सा काम है, इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजना व्यर्थ है। मैं चाहता हूं कि सदन यहीं पर विचार करके जैसा चाहे अपना निर्णय कर ले। यह बहुत सीधा सा प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने रखा है सदन उस पर निर्णय करके सरकार का समर्थन करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं मिनिस्टर्स की ओर से जिम्मेदार कार्य के लिये सदन में भी होते हैं। इन मानों में मैं क्या उनसे निवेदन कर सकता हूं कि वे भविष्य में इस प्रकार का विधान करें कि बजट के जो ग्रांट्स होते हैं उनको पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज सदन में मूव न करें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह मैंने नहीं कहा था। मैंने यह कहा कि सदन में जिस तरह से मंत्री जिम्मेदार है, उस तरह से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जिम्मेदार नहीं होता है। कांस्टीटयूशन के अन्दर लिखा हुआ है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन के कामों में मंत्री की सहायता कर सकता है, मंत्री की तरफ से किसी बिल को पेश कर सकता है, मंत्री की तरफ से किसी सवाल का जवाब दे सकता है, मंत्री की तरफ से डिमांड पेश कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी मंत्री की ही होती है, वह किसी कागज पर आर्डर नहीं लिख सकता है। उसके लिये मंत्री ही जिम्मेदार है।

श्री अधिष्ठाता---अब मैं आदरणीय सदन के सामने संशोधनों को प्रस्तुत करता हूं। पहले मैं श्री अवधेश प्रताप सिंह जी के संशोधन को लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ को तीन मास तक जनमत प्राप्त करने के निमित्त घुमाया जाय?

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---श्रीमन्, मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता---अब मैं श्री झारखंडे राय जी के संशोधन को लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। प्रवर समिति को यह भी अधिकार प्रदान किया जाय कि वह आवश्यकतानुसार इसकी परिधि को भी बढ़ा सके।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---माननीय पालीवाल जी का संशोधन भी श्री झारखंडे राय के प्रस्ताव में ही निहित था। तो वैधानिक रीति से वह स्वतः अस्वीकार हो जाता है।

(कुछ ठहर कर)

अब मैं श्री सीताराम शुक्ल जी का संशोधन लेता हूं।

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री राजबिहारी सिंह)---शुक्ल जी मुझसे कह गये हैं कि इसको वापस ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---वे तो स्वयं हैं नहीं, इसलिये यह वापस नहीं हो सकता है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो कि अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र पेश करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---अब सदन के सामने मूल प्रस्ताव आता है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५२ का संशोधन।

२---उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई० में---

(१) धारा २ में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित एक नये खण्ड (कक) के रूप में बढ़ा दिया जाय :---

"(कक) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राज्य-मंत्री को बारह सौ रुपया मासिक वेतन दिया जायगा।"

(२) धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "मंत्री" के स्थान पर शब्द "मंत्री तथा राज्य-मंत्री" रख दिए जायं;

(३) धारा ४ में---

(क) उपधारा (१) में शब्द "मंत्री" के स्थान पर शब्द "मंत्री तथा राज्य-मंत्री" रख दिए जायं; तथा

(ख) उपधारा (३) में शब्द "मंत्री" के स्थान पर शब्द और कामा "मंत्री, राज्य-मंत्री" रख दिये जायं।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (कक) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :---

"(कक) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राज्य-मन्त्री को पांच सौ रुपया मासिक वेतन दिया जायगा।"

श्रीमन्, मैंने इस बिल में जो यह अमेंडमेंट पेश किया है वह न तो किसी राजनीतिक विचारधारा से किया है, क्योंकि मैं बार-बार इस सदन में जब-जब माननीय सदस्यों की स्पीच सुनता हूं उस समय एक दूसरे पर कटाक्ष करके हमेशा यही उदाहरण दिया जाता है कि तुम उधर से क्या कर रहे हो, या इधर से क्या कर रहे हो। वह सब मैंने एक तरफ रख कर वास्तव में खूब सोच समझ कर जो बिल आया है उस पर यह अमेंडमेंट रखा है। श्रीमन्, आज जो यहां राजनैतिक पार्टियों में होड़ लगी हुई है उस दृष्टिकोण को भी मैंने नहीं लिया। जब कि आज जनता में एकोनोमी की धारा का प्रवाह हो रहा है कि एकानोमी करो और सदन में भी हम उसी प्रकार की स्पीचें करते हैं, जनता में हम जाकर बताते हैं कि हम तुम्हारे लिए यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, वही सदन में भी हम रखते हैं। वह न रख कर इससे पहले जो कांग्रेस ने नारा लगाया था उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस पार्टी ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले नारे लगाये थे वही पार्टी, उसी पार्टी के चुने हुए नुमाइन्दे, उसी पार्टी के चुने हुए मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आज अपने उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और वही लोग हम लोगों के बीच में बहस करते हैं, अपने आदर्श स्थापित करते हैं। हमारे सामने जो महात्मा जी का चित्र उपस्थित है उसके आधार पर इससे पहले कि मैं उनके बारे में कुछ कहूं माननीय नेता सदन, जो मुख्य मंत्री हैं उन्होंने आज इस बिल पर इसलिए बड़ा दुःख प्रगट किया कि जो यह कल दोपहर से सदन में बहस हो रही है उसका मूल कारण यह है कि एक दूसरे को चोर चोर कह कर इस प्रकार के नारे लगाते हैं। वास्तव में, श्रीमन्, यह बहुत खराब दृष्टिकोण है, ऐसी बात सदन में नहीं होनी चाहिए। परन्तु इसके होने के क्या कारण थे ? यहां पर विरोधी पार्टियों को देखा जाय तो प्रत्येक पार्टी के लीडर मौजूद हैं। राज्य पार्टी में लिया जाय, तो मुख्य मंत्री, उनकी पार्टी और जो भी उनको सलाह देते हैं वह भी उपस्थित हैं। क्यों नहीं उन्होंने परामर्श किया कि मैं यह बिल ला रहा हूं, इस बिल से आप सहमत हैं या नहीं, इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय या नहीं ? इसके मुख्य मंत्री ही भागी हैं, यह सदन नहीं। उनको स्वयं पूछ लेना चाहिए था कि माननीय सदस्यों के भत्ते के बारे में या राज्य-मंत्रियों की तनख्वाह के बारे में क्या करना है, आपकी इसमें क्या राय है।

श्रीमन्, अब मैं इस बिल के ऊपर आ रहा हूं। महात्मा जी ने कहा था कि अधिक से अधिक तनख्वाह पांच सौ और कम से कम तनख्वाह १०० रुपया होनी चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे सामने यह उदाहरण रखेंगे और कहेंगे कि वह तनख्वाह जो उन्होंने पांच सौ बतायी थी उस समय मार्केट में जो सामान मिलता था वह सस्ता मिलता था अब तेज मिलता है। इस प्रकार का उदाहरण हमारे सामने रख सकते हैं। किन्तु, श्रीमन्, इसी बीच में एक और उदाहरण देना चाहता हूं जो कि माल मंत्री जी ने कहा था। सन् १९३२ के कांग्रेस रेजोल्यूशन पर उन्होंने कहा था कि जमींदारी खत्म करके हम किसानों को राहत देंगे और किसान का लगान आधा कर देंगे। लेकिन उन्होंने ही इस सदन में जवाब देते हुए कहा था कि पार्टी तो रेजोल्यूशन पास करती रहती है लेकिन जब पावर में आते हैं तो कुछ और करते हैं। वही चीज मैं यहां देखता हूं। कांग्रेस ने स्वतन्त्रता प्राप्त होने से पहले, सत्ता अपनाने से पहले, कुछ रिजोल्यूशन पास किये और आज जब पावर में आते हैं तो कुछ कर रहे हैं। श्रीमन्, इसको मैं जनता को धोखा देने की बात न कहूं तो क्या कहूं ? उन्होंने जाकर के जनता को गुमराह किया, स्वतंत्रता-प्राप्ति से पहले भी और आज भी बराबर वह जनता को गुमराह कर रहे हैं और कहते हैं कि माननीय सदस्य पर लांछन लगाया जाता है, मिनिस्टरों को लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इसका

[श्री मलिखान सिंह]

एक ही कारण होता है और वह सत्ताधारी दल है। उन्होंने जनता में यह डिक्लेयर किया था "सिम्पिल लिविंग और हाई थिंकिंग", सादा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए। लेकिन आज जब पावर में आते हैं तो उच्च विचार तो खैर वह करते ही हैं उसके लिए हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन यहां आ करके उन्होंने अपना रहन-सहन भी उच्च कर लिया, यह कहां का उदाहरण है? विनोबा जी के भूदान के बारे में मैं कहता हूं कि जो जैसा उदाहरण दे वैसा करे। आज विनोबा जी गांव-गांव में घूम रहे हैं यही सोशलिस्टिक पैटर्न लाने के लिए, समाजवाद लाने के लिए, वह अध्यात्मवादी समाजवाद लाने के लिए सब जगह घूम रहे हैं। कहते हैं कि भूदान करो। श्रीमन्, उस भूदान में वह उस मजदूर से तो चाहते हैं कि वह कुछ दान करे, सर्विस मैन से चाहते हैं कि वह कुछ दान करे, किसान से चाहते हैं कि वह कुछ दान करे, लेकिन मिनिस्टर दान करे, यह क्यों नहीं कहते? मिनिस्टर को दान करना चाहिए, यह क्यों नहीं कहते क्योंकि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी? गुरुओं से ही हम उदाहरण लेंगे। जब मिनिस्टर वह आदर्श रखेंगे तभी जनता उस आदर्श को अपनायेगी। जब तक मिनिस्टर दान नहीं करेंगे तब तक भूदान कभी सफल नहीं हो सकता। पहले मिनिस्टर अपनी तनख्वाह कम करें, वह आदर्श उपस्थित करें, उसके बाद में भूदान का नारा लगाया जाय तब उससे कुछ लाभ हो सकता है .....

श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य विनोबा जी के विचारों के बारे में यहां कह रहे हैं। उससे और इससे क्या मतलब है? विनोबा जी किससे क्या अपील कर रहे हैं, उससे इस बिल से क्या ताल्लुक है?

श्री मलिखान सिंह--श्रीमन्, गांधी जी के उसूलों पर, विनोबा जी के उसूलों पर, उस कांग्रेस के उसूलों पर यह पार्टी यहां सत्ताधारी हुई है। उसके नाम पर इस पार्टी ने वोट मांगे हैं। इसलिए मैं कुछ उनके बारे में कहूं तो बुरा मानना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--इस विषय को अब आप काफी दोहरा चुके। अब नया विषय लीजिए।

श्री मलिखान सिंह--श्रीमन्, मैंने पहली ही बार कहा है। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी पार्टी हो वह अपना सही घोषणा-पत्र लाये और उसके बाद जब वह पावर में आये तो उसी के आधार पर काम करे। इससे आज जो जनता में यह भावना पैदा हो रही है झूठ की या चोरी की या भ्रष्टाचार की, यह सब दूर हो सकती है। अगर पार्टी के नेता उस आधार पर काम करें तो आज यह जो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार जो भी बुराइयां फैलती जा रही हैं वह ठीक हो सकती हैं। हम जनता से क्या कह कर आये और आज यहां सदन में क्या करने जा रहे हैं? श्रीमन्, भारतीय संस्कृति का नाम लिया गया; जिस भारतीय संस्कृति की बात की जाती है उसी भारतीय संस्कृति के आधार पर हमारे बीच में आज से हजार वर्ष पहले एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं जिनको कूटनीति में भी निपुण माना जाता है और दुनिया जिनका लोहा मानती है, कौटिल्य। अर्थ-शास्त्र जिन्होंने बनाया, उनका उदाहरण मैं रखता हूं। झोपड़ी के अन्दर रह कर वह मन्त्रणा का काम करते थे। तो वह चाणक्य जिन्होंने कि झोपड़ी के अन्दर बैठ कर मंत्रणा का काम किया उनके सामने यह नहीं था कि वह सिर्फ भभूत ही रमाते थे, उनके पास साधन थे, राज्य की तरफ से साधन उपलब्ध थे, यदि एक विदेशी जासूस भी अपने देश के अन्दर घुसता था तो पहले चाणक्य को पता रहता था। आज यहां से फाइलें गायब होती हैं, कपूर गिरफ्तार होता है, हमारे मिनिस्टर साहबान अपने बंगले में आराम करते हैं। तनख्वाह के लिए कहते हैं कि हमारी तनख्वाह १ हजार या १५ सौ या ५ हजार कम है। तो श्री चाणक्य ने जो कि भभूत रमा कर एक झोपड़ी में रहते थे विदेशी राजदूत को जो कि

देश में घुसा था उस विभूति के आधार पर गिरफ्तार किया था। जब हमारे मंत्री ऐसा आदर्श उपस्थित करेंगे जनता के सामने तभी जो निर्माण का नारा लगाया जाता है, देश के कल्याण की बात कही जाती है, वह कार्य रूप में परिणत किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि इसी एक विषय की बहुत पुनरावृत्ति हो रही है। और भी दलीलें दीजिये कि क्यों वेतन ५०० रुपये होना चाहिये।

श्री मलिखान सिंह--बहुत अच्छा। मिनिस्टरों की तनख्वाह ५०० रखी जाय। कम से कम वेतन के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि हमारा उससे सम्बन्ध नहीं है और न मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्टी के घोषणा-पत्र में इस बारे में क्या कहा गया है। लेकिन जो भी स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनकी तनख्वाह ५०० रुपया रखा जाय और ५०० रुपया उनका वेतन रखने पर हमारे राज्य कर्मचारी सोचेंगे कि जब मंत्रणा करने वाली देश की विभूतियां ५०० रुपये लेती हैं तो उनको भी अपनी तनख्वाहें कम करने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी। यह ५०० रुपया वेतन उनके तथा उनके परिवार के रहने के लिये दिया जाय। जैसा कि कल माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि खाने-पीने के साधन उपलब्ध होने चाहिये, उसी आधार पर मैं यह समझता हूं कि ५०० रुपया तनख्वाह मिनिस्टरों तथा उनके परिवार के रहने-सहने के लिये होना चाहिये। और सुविधा जो है, जैसे रहने के लिये मकान और आने-जाने के लिये यातायात की सुविधा वह राज्य की तरफ से मुहइया होनी चाहिये। इसी आधार पर मैंने यह संशोधन रक्खा है और मैं आशा करता हूं कि हाउस उसे मंजूर करेगा और किसी भी अनुशासन के चक्कर में न आकर इस अमेंडमेंट को सर्वसम्मति से पास करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--खंड २ में कुछ अमेंडमेंट्स हैं। मैं उनके नाम पुकार रहा हूं। जो अपने संशोधन उसमें पेश करना चाहें, वे पेश करें।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं। इसमें जो अमेंडमेंट्स श्रीमन् के नाम से भी हैं उनके मूव करने के लिए क्या व्यवस्था है?

श्री उपाध्यक्ष--या तो मैं मूव कर सकता हूं या मैं किसी को अधिकार दूं। मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया है।

(कुछ रुकने के पश्चात्)

अब दूसरे किस्म के संशोधन हैं। माननीय मलिखान सिंह के संशोधन पर वे बोलें।

श्री नागेश्वर प्रसाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय मलिखान सिंह जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्य ने इस बात को कहा कि राज्य-मंत्रियों के लिए जो प्रस्ताव है कि उनको १,२०० रुपए वेतन दिया जाय उसे कम करके ५०० रुपया रक्खा जाय, इस बात पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस बात की चर्चा की कि कांग्रेस ने वायदा किया था कि मंत्री लोग ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं लेंगे। इस सम्बन्ध में इस सदन में कई बार चर्चा की गयी। इस बात पर प्रकाश भी डाला गया, लेकिन फिर भी यह बात बार-बार आती है और मंत्रियों के ५०० रुपये लेने की बात बार-बार दुहराई जाती है। सभी लोग जानते हैं कि आखिर कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सन् १९३१ में कराची के अधिवेशन में पास किया था और वह वह जमाना था जब संसार में बहुत मन्दी आ गयी थी, भारत भी उससे अछूता नहीं था। उस वक्त कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था। तब शायद कांग्रेस के नेताओं को भी यह मालूम नहीं था कि हिन्दुस्तान में ऐसी भी महंगाई आयेगी जैसी कि आजकल हम देख रहे हैं। कांग्रेस ने जो कुछ निश्चय किया था उसके मुताबिक जब पहली बार १९३७-३८ में प्रान्तों में उत्तरदायित्वपूर्ण सरकारें बनीं तो मंत्रियों की तनख्वाहें ५०० रुपये ही रक्खी गयी थीं और मंत्रियों ने वही वेतन लेकर काम किया। जब लड़ाई के बाद सन् १९४६-४७ में दूसरी बार सरकारें बनीं, उत्तरदायित्वपूर्ण

[श्री नागेश्वर प्रसाद]

सरकारें काम करने लगीं तो उस समय की परिस्थिति को देख कर यह वेतन थोड़ा बढ़ाया गया और उसी के अनुसार जो रकम निर्धारित की गयी वह दी गयी। लेकिन ज्यों-ज्यों देश की हालत सुधर रही है, त्यों-त्यों हम यह भी देख रहे हैं--अगर मैं भूलता नहीं हूं कि उस समय मिनिस्टरों की तनख्वाह १,५०० रक्खी गयी थी, जो बाद में घट गयी, १,३०० रह गयी। फिर १,२०० की गयी और उसके पश्चात्, जैसा कि उन्होंने स्वेच्छा से कटौती करना स्वीकार कर लिया है, उससे १,१०० रुपया रह जाती है, और अगर देश की हालत और सुधर गयी तो भविष्य में कोई बन्दिश तो है नहीं, हो सकता है कि इसमें भी कमी हो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मन्त्री लोग इसी तरफ जा रहे हैं। जहां छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, वहां अपने वेतन में भी वह कमी करते जा रहे हैं और अगर देश की आर्थिक स्थिति ठीक हुई या चीजों के मूल्य में गिरावट हुयी तो वह भी इच्छा पूरी हो सकती है। किसी दिन हमारे मन्त्री महोदय ५०० ही वेतन लेंगे।

गांधी जी की बातों के आधार पर उदाहरण और हवाला दिया जाता है। जहां तक महात्मा गांधी की बात है, गांधी जी के समय में ही और उनके जीवनकाल में ही १,५०० या अधिक वेतन लेने का निश्चय हुआ था और उस समय भी बहुत से लोगों ने इस सवाल को उठाया था, अखबारों में चर्चा हुई थी लेकिन गांधी जी के सम्पर्क में रह कर जिन लोगों ने कुछ सुना और सीखा था उन्हीं लोगों ने इस बात का निश्चय किया और उसी के मुताबिक यह वेतन की दर ठहरायी गयी। तो इस बात की बार-बार दुहाई देना और उन लोगों के मुंह से जिन्होंने गांधी जी के जीवित रहते उनके सिद्धान्तों में से शायद ही किसी सिद्धान्त को मानने की कोशिश की हो, उनके विचारों की जो बराबर खिल्ली उड़ाते रहे वे आज उनके नाम का बार-बार फातिहा पढ़ रहे हैं और उनके नाम की बार-बार दुहाई देकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेस गांधी जी के आदर्शों से विमुख हो रही है, शोभा नहीं देता है। गांधी जी कांग्रेस के नेता थे, उनके नेतृत्व में रह कर हमारे इन नेताओं ने काम किया है, आज भी वे नेता कांग्रेस में हैं और उनसे बढ़कर गांधी जी के सिद्धान्तों को समझने वाला कोई है नहीं, मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है। मैं समझता हूं कि परिस्थितियों के अनुकूल चलने में हमारे नेता हिचकेंगे नहीं और वक्त आयेगा जब वह उन कामों को पूरा करेंगे जिनको गांधी जी ने कहा था और हम आज तक पूरा नहीं कर सके हैं।

इस विषय की चर्चा में चाणक्य को भी घसीटा गया। कहा गया कि चाणक्य ने, मंत्रिपद पर रहकर किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसका एक आदर्श उपस्थित किया था, लेकिन जिस देश, काल में और जिन परिस्थितियों में उस आदर्श को उन्होंने पैदा किया था, आज जो हमारे देश की परिस्थिति है, जो वातावरण है, आज तक तब से लेकर जो विकास हुआ है, उसको देखते हुए यह आशा हम मंत्रियों से करें कि उसी तरह से रहें, यह मुश्किल दिखलायी पड़ता है। आज हर आदमी चाणक्य नहीं बन सकता। चाणक्य तो जाने दें, महात्मा गांधी और विनोबा के आदर्श के अनुरूप चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। चाणक्य ने मंत्रिपद पर रहकर एक त्यागमय जीवन व्यतीत किया, सादगी से जिन्दगी बितायी और हमारे सामने महात्मा गांधी और विनोबा का आदर्श भी मौजूद है, लेकिन उस पर हमारे देश के दूसरे नेता भी कहां चल पा रहे हैं? यह तो अपना ढंग है। हम जहां तक अपने को उसके मुताबिक चला पाते हैं, चलायें, और मंत्रियों की बात ही क्या कहूं, आज हम सदस्यों में ही कितने लोग उसी प्राचीन काल के अनुरूप बनने के लिए तैयार हैं। यही लखनऊ है, इसी के निकट नैमिषारण्य है जहां पर किसी समय ८८ सहस्त्र ऋषि लोग बैठ कर देश के लिए विधान बनाते थे। क्या हम आज दण्ड-कमंडल लेकर, लंगोटी लगाकर विधान बनाने के लिए तैयार हैं? मैं आशा नहीं करता हूं कि सभी लोग उस तरह का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार होंगे, उसी खुले मैदान में बैठ कर विचार-विमर्श करेंगे। आज की परिस्थिति तो यह है कि चारों तरफ पुलिस का इन्तजाम, पहरे का इन्तजाम और चारों तरफ से सुरक्षित रूप में यहां बैठ कर विधान बना रहे हैं, और इतना ही क्यों? जहां एक रोज सदन के बाहर पुलिस रहती थी और भीतर पुलिस आने

नहीं पाती थी और हम लोग शान्ति से विधान बनाते थे, वहां इसी सदन में लोगों ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि जो पुलिस बाहर रहती थी वह आज सदन के अन्दर आकर बैठती है : तो उस समय वैसी परिस्थिति थी जिसमें हमारे देश के विधायक बैठकर विचार करते थे कि किस तरह से राजकाज चलाया जाय। अतः मैंने बताया कि परिस्थिति और देश काल को देखते हुए विधान बनते हैं और व्यवस्था की जाती है। जैसे विधायकों की स्थिति, परिस्थिति वैसी नहीं है, और वह उन प्राचीन आदर्शों का पालन वैसा नहीं कर सकते हैं वैसे ही हमारे मन्त्री लोग चाणक्य की तरह से, लंगोटी लगाकर, किसी नदी के किनारे बैठे रहें, यह मुश्किल है।

महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बिना पुलिस के इन्तजाम होना चाहिए और उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में पुलिस को नहीं आने दिया जिसका नतीजा कितना दुखद हुआ कि हम उनसे हाथ धो बैठे। आज जवाहर लाल जी के प्राण लेने के लिए लोग घूमते रहते हैं। नतीजा होता है कि पुलिस का इन्तजाम करना पड़ता है, गुप्तचरों को रखना पड़ता है। इस देश की हालत को देखते हुए क्या हम यह आशा करें कि पंडित जवाहर लाल जी किसी नदी के किनारे बैठे रहेंगे और देश का इन्तजाम हो जायगा? ऐसी आशा दिखायी नहीं पड़ती है। इसलिए स्थिति को देखते हुए यह ठीक है। जैसा मुमकिन हो सकता है वह किया जाता है।

मंत्रियों का क्या वेतन होना चाहिए? यह तो आपके हाथ में है और मन्त्री भी स्वयं सोचेंगे। बार-बार यह कहना कि मंत्री लोग क्या वेतन लें, यह तो उनको जलील करने की बात होती है। जब सदन होता है तो माननीय सदस्यों को करीब ५०० रुपये पड़ते हैं, तो इसमें वह किस तरह से खर्चा वहन कर सकते हैं, इसको वही जानते हैं। जिनकी हालत अच्छी है, जो राजा वगैरह रहे हैं, जो पूंजीपति हैं, पैसेवाले हैं वह तो अपना काम चला लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ५०० रुपये में सदस्यगण अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते हैं। माननीय मंत्रियों को जनता की सेवा में २४ घंटे लगे रहकर अपना पूरा समय देना पड़ता है, तो उनसे कैसे आशा कर सकते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वह फकीरों की तरह से रहें? यह उनकी इच्छा पर है। लेकिन अगर हम उनको रखना चाहते हैं तो कम से कम उनको वह आराम देना चाहिए जो एक अच्छे शासक के लिए, जनता की सेवा के कार्य करने वालों के लिए, मुनासिब हो। इसी दृष्टि से सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है और मैं समझता हूं कि १,२०० रुपया बहुत नहीं है। आखिर में १,१०० रुपये ही रह जाते हैं तो ५०० रुपये का संशोधन रखना ठीक नहीं मालूम होता है। अगर माननीय सदस्य ठंढे दिल से सोचेंगे तो मालूम होगा कि ५०० रुपये की बात नहीं है, केवल मंत्रियों के चिढ़ाने के लिए ही यह संशोधन आया है। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि वह इस तरह का संशोधन न करें और सरकारी प्रस्ताव को ही स्वीकार करें। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं और मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वेतन क्या रहे क्या न रहे, सदस्यों का वेतन क्या रहे, इस पर विचार हो रहा है। मैं भी इस सम्बन्ध में अपने विचार, श्रीमन्, आपके द्वारा सदन के सन्मुख रखना चाहता हूं। यह सही है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हम दूसरी तरफ बैठकर कोई भी बात कहें, अखबार में नाम निकलेगा और लोग समझेंगे कि फलां सदस्य बहुत त्यागी है, बहुत तपस्वी है। श्रीमन्, मैं इस पर अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूं जिस पर मैं अक्सर विचार किया करता हूं। यह सही है कि एक मर्तबा यह निर्णय हो जाना चाहिए कि हम कितनी तनख्वाह लें। लेकिन बार-बार उसकी चर्चा करने से ऐसा लगता है कि इस तरफ के बैठने वाले केवल तनख्वाह लेने के लिए ही इस सदन में आये हैं, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि रुपये के महत्व को इस कदर प्रदर्शित किया जा रहा है कि जिससे सम्भव है ऐसा वक्त भी आ जाये जब केवल रुपये वाले ही इस सदन में आ सकें। विचार तो इस पर करना चाहिए कि किन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

व्यवस्थाओं को हम सम्पादित करने जा रहे हैं और अगर ऐसी व्यवस्थायें हमने सम्पादित कर दीं कि उनके बाद इस सदन में माननीय त्रिलोकी सिंह जी सरीखे कर्मठ विरोधी नेता, माननीय पालीवाल जी जैसे त्यागी, तपस्वी नेता या माननीय नेता सदन, सम्पूर्णानन्दजी, जैसे प्रभावशाली और विवेकशील पुरुष न आ सकें, तो इस सदन की मर्यादा क्या रहेगी, इस पर विचार करना है। आज दूसरी तरफ से कुछ विशिष्ट व्यक्ति इस तरह की चर्चा करते हैं कि जिससे मालूम होता है कि वे हमसे अधिक त्यागी हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के सामने केवल प्रश्न यह है कि राज्य-मंत्रियों को केवल ५०० रुपये दिये जायं या जितने का प्रस्ताव है उतने दिये जायं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—मैं उसी पर आ जाता हूं। मेरा विचार यह है कि जो लोग आज ५०० रुपये देना चाहते हैं वह उचित नहीं है इसलिए कि आखिर जिस व्यक्ति से आप काम लेंगे, उसका और उसके परिवार का कुल खर्चा अगर आप उसको नहीं देते तो वह शान्ति से किस तरह से काम कर सकेगा और उसके दिमाग को यदि शान्ति नहीं मिलेगी, तो वह सारा समय एक ऐसी व्यवस्था के सोचने में कैसे लगाये जिससे इस प्रदेश का भला हो। मैं इस सिलसिले में यह निवेदन कर रहा था कि जिन भाइयों का यह विचार है कि रुपये के महत्व के लिए ही लोग इस सदन में आते हैं वह सही नहीं है। ५०० रुपये मिलें या १,२०० रुपये मिलें, हमें विचार यह करना है कि हम सफल शासक किस तरह बनें, कौन सी योजनायें लागू करें जिन के द्वारा इस प्रदेश की जनता का कल्याण हो। ऐसे विचारों को समझने के लिए, उनको सोचने के लिए अगर हमें १,२०० रुपये की आवश्यकता है तो १,२०० रुपये लें और अगर ५०० रुपये की आवश्यकता है तो ५०० रुपये लें। अगर हमें यहां से किसी दूसरे स्थान पर जा कर विचार करने की आवश्यकता है, जैसे गर्मियों के दिनों में नैनीताल वगैरह, तो हमें वहां भी जाना चाहिए। उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि आखिर में जनता इस पर निर्णय नहीं करती कि आपने तनख्वाहें क्या लीं, वह इस पर निर्णय करती है कि आपके द्वारा बनाये हुए कानूनों से जनता का लाभ कितना हुआ और इन सब बातों के लिए शान्ति चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप जरा सी छूट देने की कृपा करें तो मैं उन राजनीतिक विचारों को रखना चाहता हूं जिनकी तरफ धीरे-धीरे हम अन्धेरे में बढ़ते चले जा रहे हैं और अपने गले में जान बूझ कर उस फन्दे को डालते चले जा रहे हैं कि जिन चालों में अगर हम फंस गये तो हम विरोधियों की चालों में फंस जायेंगे —जब मैं विरोधी कहता हूं तो सदन में बैठे हुए किसी विशेष विरोधी से मेरा मतलब नहीं है, मेरा उन विरोधी विचारों की तरफ इशारा है—और प्रतिक्रियावादी तत्व अपना अड्डा इस देश में जमा लेंगे और इस तरह के प्रतिक्रियावादी विचार प्रगतिशीलता का जामा पहन कर हमारे सामने पेश किये जाते हैं कि जिससे हमको ऐसा भय लगता है कि यदि ये अपनी चाल में सफल हुए तो इस सदन में फिर एक दफा ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त के लोग ही देख पड़ेंगे। उनके द्वारा जनता का भला होगा या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता मगर उस तरह के आदमियों की ही बहुलता इस सदन में होगी और फिर होगा क्या, यह सब पुराने अनुभव के आधार पर हम समझ सकते हैं। तो हम ज्यादा इस चक्कर में न पड़ें। हमको जोर इस पर देना है कि अधिक से अधिक हम इस तरह के काम करें, जिससे जनता का कल्याण हो। मैं उदाहरण के तौर पर एक छोटी-सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। जिस वक्त नहर की सिंचाई की दर बढ़ी उस वक्त एक सत्याग्रह इस प्रदेश में शुरू किया गया था, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि जनता सिंचाई की दर नहीं देखती थी, उसकी असली तकलीफ समय पर पानी न मिलने की है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने इशारे से आपको काफी छूट दे रखी थी। अब आप अन्य विषयों पर न जायं, इसके बारे में ही कहें।

श्री ताराचन्द महेश्वरी---मेरा मतलब कहने का यह है कि जनता यह नहीं देखती कि आपने क्या तनख्वाहें प्राप्त कीं, वह यह देखती है कि हमारे लिए आपने विधान कैसा बनाया। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि आज यदि सदन के सदस्यों को वेतन या भते के रूप में जो भी पैसा मिलता है---आप चाहे जो फैसला करें, अधिक या कम, और यदि आप अधिक ही देने के पक्ष में अपना निर्णय दें---और उसका उपयोग वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर जनता की भलाई के लिए करें, तो जनता कहेगी कि यह विधान उत्तम है, किन्तु यदि आप आदर्शवादिता के बहाव में जाकर इतना कम पैसा देने का निर्णय लें कि यहां से बाहर निकल कर अमीनाबाद जाने के लिए आपको पैदल ही जाना पड़े, तो उस बात को जनता अधिक महत्व नहीं देगी। जनता चाहती है कि आप उसका दुःख निवारण करें। लेखपाल अथवा कोई अधिकारी यदि उसको सताता है, या डाकुओं ने डाका डाला है, या कहीं चोरी हुई है तो आप जनता के पास पहुंचें, और उसके दुःख को निवारण करें। जनता इसी बात से आपके कानून कायदों को देखती है, वह यह नहीं देखती कि आप क्या तनख्वाह लेते हैं। वेतन लेने-देने के विषय में जो बहस चल रही है, उसके विषय में मेरा यह ख्याल है कि लोग यहां यह सस्ता प्रापेगेन्डा करके चुनाव की भूमिका तैयार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें और कोई तथ्य नहीं है। यदि उधर का विरोधी दल इधर आकर बैठ जाये, तो वह भी इसी प्रकार के निर्णय लेगा। जैसा हमारे एक विरोधी भाई ने कहा कि यही लोग जब इधर थे तो ऐसा कहते थे, उससे आपको नसीहत लेनी चाहिए। यदि आप का प्रयत्न इस सरकार को बदलने का ही है तो आपको ऐसी परम्परा कायम करनी चाहिए कि कहीं आप को ही परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता और मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपने इस विधेयक को पास करने के लिए ५ बजे तक का समय रखा है और ५ बजे के बाद इस पर दूसरे दिन बहस नहीं होनी है। अगर आप लोग कुछ आत्मसंयम करें और संक्षेप में भाषण करें तो कई संशोधनों पर विचार कर सकेंगे। यूं मैं इजाजत दे सकता हूं कि आप एक ही संशोधन पर विचार करें, और अन्त में सब संशोधन गिलोटिन हो जायं, किन्तु मैं समझता हूं कि वह मुनासिब न होगा।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---संयम की बात कही गयी, इसलिए, श्रीमन्, मैं समय निर्धारण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---संयम तो अपने से होता है। आप बैठ जाइये।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विरोधी पक्ष का कटौती का प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आज सदन में बड़े जोर की चर्चा है कि सदस्यों तथा मंत्रियों को कितना वेतन दिया जाय, मेरा विचार तो यह है कि आप इनको जो वेतन देते हैं यह जनता के वोट का सब से बड़ा अपमान करते हैं। हम जनता से वोट लेकर यहां इसलिए आये हैं कि हम जनता की सेवा करें, सेवक के रूप में, न कि हम आपके नौकर हैं, आप से पैसा लें। जब हम जनता के प्रतिनिधि हैं, सेवक हैं, तो हमें सरकार को वेतन देने का क्या हक है? और हमारी क्या हिम्मत जो हम सरकार से वेतन लें? हम तो जनता के सेवक हैं और उसके असंख्य वोट लेकर यहां आये हैं। यह ठीक है कि हम यहां आये हैं जनता के प्रतिनिधि बन कर, और हमको खर्च की जरूरत पड़ती है, तो आप उतना ही दीजिये जितना कि हमारा खर्च होता है। हमारे घर का क्या सवाल है? आज तक वह कैसे चलता रहा? क्या अब तक वह इस असेम्मली की तनख्वाह पर ही जिन्दा रहता था? मेरे कहने

[श्री बंशीधर शुक्ल]

का मतलब यह है कि जब हमने त्याग दिया, जनता ने हमारी बात मानी, हमको चुना, तो ऐसी दशा में हमें सरकार से किसी प्रकार का भत्ता या तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए जब सरकार हमारे हाथ में है। मैं इस वेतन तथा भत्ते का विरोध करता हूं।

इतनी बात जरूर है कि अगर आप इसको समझते हैं कि तनख्वाह दी जाय तो दीजिये, लेकिन वह तनख्वाह के रूप में नहीं। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर को ५ रुपया रोज मिलना चाहिए उसी प्रकार से यहां सदस्यों के लिए भी १५ रुपया नियत हो जाय और अगर सदस्यों का महीने में ४५० रुपया खर्चा आता है १५ रोज के हिसाब से मंत्रियों की तनख्वाह भी हो सकती है। एक ठोस कदम उठता है और एक रास्ता मिलता है। इसी प्रकार से पार्लियामेंट के सदस्य की भी रख सकते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा २० रुपया रोज मिल सकता है। उसी के अनुसार वहां के मंत्रियों का वेतन नियत होना चाहिए। इससे एक रास्ता निकलता है, लेकिन आपका तो कोई रास्ता ही नहीं है। जो आप अपना कदम उठाते हैं वह उलटा पड़ता है और दलदल की तरफ पड़ता है। उससे आप जनता को अन्धेरे की तरफ लिये जा रहे हैं। पहले प्लान था ५०० रुपये का, अब आपने १,२०० कर दिया और इसके बाद और आगे आप बढ़ सकते हैं मगर एक निश्चित धारणा होनी चाहिए जिससे जनता के सामने कहने की बात हो जाय। मुख्य मन्त्री जी छोटी बात पर कोई बहस करना नहीं चाहते हैं। यही तो एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर जनता में नेकनामी और बदनामी हासिल कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा कलंक है हमारे ऊपर जिसको वह लगाते हैं। इसलिए आप आज उसकी आमदनी से तुलना करें जो नदी के किनारे तीनों तापों को सहकर अन्न पैदा करता है और हमको आप को सब को रोटी देता है। आज इतने दिनों से मैं यहां सदन मे बैठता हूं, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने उस गरीब किसान की तरफ से आवाज उठायी हो और यह कहा भी हो कि देखना चाहिए कि उस किसान की कितनी आमदनी है। जब कभी मेरे बोलने की बात आती है तो थोड़ी देर में ही समय समाप्त हो जाता है और सब मामला खत्म हो जाता है तो फिर हम क्या बतायें ?

हमारा कहना यह है कि जिसको आप १०० बीघे का काश्तकार यानी १६ एकड़ का काश्तकार कहते हैं, हमारे यहां उसकी आमदनी १०० रुपये माहवार नौकरी पाने वाले नौकर के समान है। यह भी इस तेज बिक्री के जमाने में। कल जब यह बिक्री सस्ती हो जायगी तो नौकर आराम से रहेगा और यह किसान दुखी होगा। खेती लाभकर पेशा नहीं है। यह अलाभकर पेशा है। इसमें कोई मालदार नहीं हो सकता। खेती से कोई लखपती भारतवर्ष में नहीं हुआ है और अगर कोई लखपती भी है तो उसके पास कोई दूसरा धन्धा होगा या किसी दूसरे का पेट काटता होगा। उसकी आमदनी के अनुसार आप को अपनी आमदनी तय करनी है। वह भले ही न बोलता हो और इस सदन तक उसकी आवाज भले ही न पहुंचती हो, किन्तु सत्य तो जाहिर होकर ही रहेगा। "सत्य सदा शूली चढ़ता है, असत्य राज सिंहासन, किन्तु सत्य ही करता रहता असत्य जगत का शासन"। हमारा किसान भी कहता है कि यह अंग्रेजों की सरकार बनी बैठी है। अंग्रेज यहां से चले गये। मगर यह सरकार हम को चौपट कर के मानेगी। सरकार चार महान कार्यों के लिए बनायी जाती है, इस सरकार ने चारों कार्य चौपट कर दिये, अतः वह सरकार कहलाने की अधिकारी नहीं है। सरकार के लिए ४ कार्य होते हैं जिनके लिए वह बनायी जाती है। रक्षा, शिक्षा, उत्पादन और न्याय। इन ४ महान कार्यों के लिए जनता अपना शासन सरकार के हाथ में देती है। यदि सरकार ये चार कार्य नहीं कर सकती तो उस सरकार को उलट देना और दूसरी सरकार को बना देना या बिना सरकार रहना जनता का परम कर्त्तव्य है। ऐसा जनता अगर नहीं करती है तो समझना चाहिए कि जनता अशिक्षित है और डरपोक है। आज की सरकार खाली नाम की सरकार है। सरकार कहती है कि १,२०० रुपया माहवार वे लेंगे। मैं कहता हूं कि हम १२ हजार महीना आपको देने के लिए तैयार हैं अगर प्रदेश में चोरी, कत्ल, डाके बन्द कर दीजिये। हमारे यहां ५ कत्ल, १०० डाके और १,७८० गांवों में हर रोज २ चोरी हर एक गांव में होती हैं। अगर इन सब को

बन्द कर दें तो हम १२ हजार देने के लिए तैयार हैं। हम इन २०० रुपये को छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर कुछ भलमंसी दिखायी दे कि इसका परिणाम कुछ अच्छा होगा, यानी सदुपयोग होगा, मैं तो २०० रुपये और यह भत्ता भी छोड़ने को तैयार हूं और लंगोटी लगाने के लिए तैयार हूं। और हम लंगोटी लगाकर असेम्बली में भी बैठ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--लंगोटी लगाकर आप यहां नहीं बैठ सकते हैं।

श्री बंशीधर शुक्ल--न सही, जैसे साधारण तौर से रहते हैं, वैसे रह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जिसकी कमाई पर ये ऊंचे ऊंचे प्रासाद चल रहे हैं, उसकी आमदनी के अनुसार यानी किसान की आमदनी के अनुसार, सब की तनख्वाहें मुकर्रर कीजिये। मंत्री स्वयं १,२०० रुपये लेते हैं और सदस्य को २०० रुपये देते हैं और अपने नौकरों को २ हजार और ३ हजार माहवार देते हैं। वे हमें कुछ नहीं मानते, जब हम उन नौकरों के पास जाते हैं तो वे ठीक से बात भी नहीं करते, खड़े भी नहीं होते और कहते हैं कि यह एम० एल० ए० है, सिर्फ २०० रुपया पाता है। तुलसीदास जी ने कहा है "सब से कठिन जाति अपमाना", तो ऐसा आप के अधिकारी करते हैं। इसे रोकने की आवश्यकता है। नौकरों की तनख्वाह भी आपको किसान की आमदनी के अनुसार रखनी होगी। वरना आपकी सरकार नहीं चल सकती है। आज देश का रास्ता बन्द है। लाखों ग्रैजुएटों को आप किसानों के ऊपर लादते चले जा रहे हैं नौकरों के रूप में, उनसे काम नहीं चल सकता है। सड़क का आदमी भिखारी नहीं, मजदूरी करने वाला देश को रास्ता बता सकता है। "हम तो सजदा न करेंगे, उस अल्लाह के आगे, झुक के जो न सजदा करे मजदूर के आगे"। हम असेम्बली में ४३० सदस्य बैठते हैं, किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं और अगर पहुंचते भी हैं तो वह ठोस कदम नहीं होता है। हम तो कहते हैं कि चले जाइये लखनऊ के बाहर और गांव के किसान या जितने भी आदमी आते हों, सब को जमा करते जाइये। जब ४३० हरवाहे जमा कर लें, तो उनसे कह दीजिये कि भाइयो यह प्रस्ताव है, आपकी क्या राय है और जैसा वे कहें वैसा करिये। यह निर्णय सच्चा निर्णय होगा। यह गलत बात है कि हम ही सबसे काबिल हैं।

श्री उपाध्यक्ष--आप इधर उधर की बातें काफी कह चुके हैं। आपको कहने की आजादी है। मगर अब इसके पक्ष में या विपक्ष में कहिये कि ५०० रुपये वेतन होना चाहिए या १,००० रुपये।

श्री बंशीधर शुक्ल--किराये के लिए कहा जाता है कि सेकिन्ड क्लास का किराया दिया जाय . . .

श्री उपाध्यक्ष--इसमें यह कहीं नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि मंत्रियों को ५०० रुपये दिये जावें या १,००० रुपये।

श्री बंशीधर शुक्ल--मैं तो ५०० रुपये से भी कम का पक्षपाती हूं। हमारे मंत्री जी कह गये कि विदेश में ऐसा होता है। कहीं आस्ट्रेलिया या कहीं इंग्लैन्ड की बात कही। अरे भाई, हम दुनिया के आदर्श हैं, दुनिया हमारी आदर्श नहीं है। अगर इंग्लैन्ड वाले हमारे आदर्श होते तो उनको हम यहां से हटा नहीं सकते थे। हमारा आदर्श अमरीका, चीन, रूस, या जापान नहीं है। हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं। त्याग पर हमारा देश आगे बढ़ा है और सर्वश्रेष्ठ रहा है। आज भी हम तमाम संसार में अपनी धाक जमा सकते हैं अगर हमारी सरकार विशुद्ध हो और जनता की हो। यहां तो नौकरों को बढ़ाने के लिए और उनका वेतन बढ़ाने के लिए सरकार बना रखी है। जनता की जरा भी परवाह नहीं है। हम जब कहते हैं कि भ्रष्टाचार है तो आप कहते हैं कि नहीं, नहीं, हमारे 'लल्ला ने माखन नाहीं खायो'। इसी

[श्री बंशीधर शुक्ल]

नौकरशाही ने अंग्रेजों को बदनाम कर दिया और आपको बदनाम कर दिया लेकिन आप "नहीं" कहते हैं। तो भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्रियों का ५०० रुपये से कम वेतन कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--कोई कविता आज आपने नहीं कही?

श्री बंशीधर शुक्ल--कविता तो बहुत हैं। आप कहेंगे कि मंत्रियों के वेतन के विरोध में कविता कहिये। वेतन तो इतना अधिक ले लेते हैं मन्त्री लोग और जब काम का समय आता है, तो कहते हैं कि श्रमदान करिये। अब इस सरकार का आसन हिल चुका है।

ऐ कमलासन, पलटो शासन, अब बिथा न सिन्धु समाती है।
जुल्मों से ऊबी वसुन्धरा, यह स्वयं पलटना चाहती है॥

लीडरी आपकी हिलती है, युग आगे बढ़ने वाला है।
जलचर, थलचर, जड़ प्राणिमात्र स्वच्छंद विचरने वाला है॥

रवि-शशि का आसन हिलता है, तमतिमिर छत्र थर्राता है।
सत्ता के ढह-ढह गिरे दुर्ग, श्रमकार उछलता आता है॥

अब तक जो पूजे जाते थे, वे स्वयं पुजारी बनते हैं।
अब तक जो ठोकर खाते थे, वे ठोकर देने चलते हैं॥

जग ऊब चुका है, पूज-पूज मक्कारों औ गद्दारों को।
अब सह न सकेगा, मुफ्तखोर अन्यायों की सरकारों को॥

ढह चुका गगन का चक्रव्यूह, उड़ चला छत्र आडम्बर का।
बह चली नयी धारा अटूट, खुल गया ध्यान प्रलयंकर का॥

अब कौन रोकने वाला है, इस प्रबल त्रिवेणी धारा को।
शासन की भस्मी भूतों को, श्रमिकों की प्रबल दुधारा को॥

ठहरो-ठहरो सत्ताधीशो, सम्भलो-सम्भलो, पूंजीपतियो।
अब मौत तुम्हारी बोल रही, ए डाकू, चोरो, रिश्वतियों॥

श्री उपाध्यक्ष--बस, अब काफी हो चुका है।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)--उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य का भाषण हुआ और पूर्वाह्न में यादवेन्द्रदत्त जी बोले और दोनों ने कुछ ऐसे विचार व्यक्त किये कि हम सब सेवा के लिए आये हैं, जनता का वोट मांगकर आये हैं इसलिए हमें किसी प्रकार का प्रतिदान या वेतन मांगना उचित नहीं है। ठीक है, हम वोट मांग कर आये हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जिन सिद्धान्तों पर हमारी पार्लियामेंटरी या विधान सभाओं की स्थापना हुई है, उन सिद्धान्तों को कदाचित ये सज्जन समझते ही नहीं। भारतवर्ष ने ही क्या, कदाचित जितने भी संसार के राष्ट्र हैं उन सभी ने पार्लियामेंट का विधान इंग्लैन्ड से लिया है। अगर हम उसके इतिहास को देखें तो हमें यह मालूम होगा कि आज से ७०० वर्ष पूर्व जब से पार्लियामेंट की स्थापना हुई तभी से जिस कांस्टीटचुएंसी ने अपने किसी प्रतिनिधि को पार्लियामेंट में भेजा उसके लिए अपना यह कर्त्तव्य समझा कि जो व्यक्ति अपने स्थान को, अपने व्यवसाय को छोड़कर, अपने कारबार को छोड़कर जा रहा है, उसके भरण-पोषण का, उस के परिवार के भरण-पोषण का प्रबन्ध होना ही चाहिए। यह सोचकर कई सौ वर्षों तक उस कांस्टीटचूएंसी के लोग उस प्रतिनिधि और उसके परिवार वालों का भरण-पोषण करते रहे।

किन्तु फिर एक दूसरी विचारधारा प्रवाहित हुई और वह यह है कि जब स्टेट या राज्य जनता से टैक्स वसूल करता है, तो उस टैक्स में जो पब्लिक का रुपया है, उसमें से पार्लियामेंट के सदस्यों को क्यों न दिया जाय। और अन्त में यह निर्णय हुआ कि ऐसे प्रतिनिधि के भरण-पोषण के लिए स्टेट रेवेन्यू से रुपया दिया जाय।

अगर हमारे मित्र संविधान को देखें तो संविधान में यह नहीं है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी प्रतिनिधि पद के लिए खड़ा होगा। उसमें यह है कि कांस्टीटचूएंसी से यह कहा जायगा कि वह अपना एक प्रतिनिधि चुने और जब उस कांस्टीटचूएंसी या क्षेत्र से यह कहा जाता है कि तुम अपना प्रतिनिधि भेजो, ताकि जो प्रतिनिधि जाय वह उस क्षेत्र के सम्बन्ध में, वहां की आर्थिक स्थिति, वहां की परेशानियों, वहां की राजनैतिक स्थिति और वहां की जो-जो आवश्यकतायें हैं उन आवश्यकताओं को असेम्बली या गवर्नमेंट के सामने रखे और उसकी सर्वांगीण उन्नति हो सके। तो कांस्टीटचूएंसी स्वयं भेजती है अपने प्रतिनिधि को कि वह आकर सदन में उसके हितों का संरक्षण करें, उसके उन्नयन का प्रयत्न करे और ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे उस प्रदेश और देश की उन्नति हो। जब, श्रीमन्, यह सिद्धान्त है तो फिर यह कहना कि हम वेतन पाते हैं, हम आवास मांगते हैं, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। वास्तविक बात यह है कि जो व्यक्ति इस सदन में आता है उसके ऊपर एक उत्तरदायित्व होता है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे सिर्फ राज्य-मंत्रियों के वेतन के विषय तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री मदनमोहन---अगर उत्तरदायित्व है तो प्रश्न यह है कि जिसके ऊपर हम सारे राज्य के संचालन का भार देते हैं उसका उत्तरदायित्व हम से कहीं बढ़ कर है या नहीं है, यह मैं निवेदन कर रहा था। अगर हम रेवेन्यू से पाते हैं तो हम आकर रिप्रेजेन्टेशन करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बार रहता है कि हम उनके सामने अपनी परेशानी रखें, उनके ऊपर वे विचार करें और उचित व अनुरूप व्यवस्था दें, उसके अनुसार राज्य का कार्य संचालन करें। तो अब प्रश्न यह है कि क्या मंत्रियों को उतना ही पाना चाहिए जितना कि हम पाते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम २०० रुपये पाते हैं। यह तो ठीक नहीं है। जब तक हम यहां रहते हैं तब तक हमको एक तरह से ५०० रु० वेतन मिलता है। २०० रु० वेतन और १० रु० रोज भत्ता, इस तरह से ५०० रु० तो एक साधारण सदस्य जो इस सदन का है और जिसके ऊपर केवल अपने क्षेत्र का उत्तरदायित्व है, वह पाता है। तो क्या कारण है कि एक मन्त्री जिसको हम पोर्टफोलियो देते हैं, समस्त राज्य का भार देते हैं वह अधिक न पावे? उसका उत्तरदायित्व तो हमसे ज्यादा है।

अब केवल यह प्रश्न रह जाता है कि कितना दिया जाय। श्रीमन्, मैं बहुत नम्रता से कहूंगा कि यहां इस सदन में दो किस्म के लोग हो सकते हैं। एक तो ऐसे हैं जो साधु-वृत्ति के हैं, ऐसे जिनको आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे साधु-वृत्ति के व्यक्ति अपना पूरा वेतन जितना भी लेते हैं, छोड़ सकते हैं। दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं, जो राजा और ताल्लुकेदार हैं, उनके पास सम्पत्ति है, और वे २००, ४०० या ५०० रु० अपने पास से भी खर्च कर सकते हैं और अपना वेतन व भत्ता छोड़ सकते हैं। लेकिन अधिक मात्रा में ऐसे सज्जन इस सदन में हैं जो अपनी आवश्यकताओं को उस वेतन में जो उनको इस समय दिया जाता है, उसमें भी वे कदाचित पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम यह मान लें, जब कि हम यह अनुभव करते हैं, कि इस सदन के सदस्य, जो इस समय लेते हैं, वह भी बहुत नहीं है, तो एक मन्त्री जो बारहों महीने अपना पूरा समय देता है, और अपने निजी काम करने से बिलकुल वर्जित हो जाता है, उस काम के लिए, उस मन्त्री को ५०० रु० से अधिक नहीं मिलना चाहिए? ५०० रु० ही लेना चाहिए जो कि हम लेते हैं? मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गलत है और इसका सब से बड़ा सबूत तो यह है, श्रीमन्, कि जो संशोधन इस सदन में उपस्थित हुए हैं, उनको देखें तो विरोधी

[श्री मदनमोहन]

दल का भी कोई ५०० रु० कहता है, कोई ७०० रु० कहता है, कोई ८०० रु० कहता है, कोई ९०० रु० कहता है और कोई १,००० रु० कहता है। तो विरोधी दल के अन्दर भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो इस बात को अनुभव करते हैं कि मंत्री को एक हजार तक वेतन मिल सकता है और मिलना चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति है तो अब हमारे सामने केवल एक प्रश्न रह जाता है और वह यह है कि जब अन्य जितने मन्त्री हैं उनका वेतन १,२०० रु० है, तो क्या कारण है कि स्टेट मिनिस्टर को कम मिले। इसके लिए कोई कारण नहीं उपस्थित किया जाता, केवल एक भावना हमारे सामने रखी जाती है कि हमारा देश गरीब है। ठीक है, आज हमारा देश बहुत गरीब है, हमारा देश विपन्न है, मैं मानता हूं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो योग्य है और काम करता है उसको अपनी योग्यता व आवश्यकता के अनुसार उतना न दिया जाय। यह तो कोई सिद्धान्त नहीं है कि चूंकि आज हमको खाना नहीं मिलता है, इसलिए उनको भी हम खाने नहीं देंगे। यह कोई सिद्धान्त नहीं है, अगर यह सिद्धान्त नहीं है तो कोई कारण नहीं है कि हम क्यों न जो विधेयक उपस्थित है उसे स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ जो संशोधन उपस्थित किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मलिखानसिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप जानते हैं कि सूबे के शासन संगठन में महामान्य राज्यपाल के पद को छोड़कर, मन्त्रियों का पद सर्वोच्च होता है। उस लिहाज से मन्त्रियों का एक स्टैन्डर्ड है, उनकी एक पोजीशन है और उसको मेन्टेन करने के लिए उनके विभिन्न प्रकार के खर्च होते हैं। उन सबका ख्याल करते हुए, आज जो हमने उनके लिए १,२०० रुपये नियत किये हैं वह अधिक नहीं है। हमारे माननीय विरोधी भाइयों ने कहा है कि हमारे मन्त्रिगण ५०० रुपये से भी अपना खर्च चला सकते हैं। मैं मानता हूं, ५०० क्या, कोई भी आदमी जो ४५ रुपया पाता है वह भी खर्च चलाता है। ४५ रुपया जो चपरासी पाता है वह भी अपना व्यय चलाता है, लेकिन उसके ऊपर जो अफसर हैं उनको २-२ और ३-३ हजार वेतन मिलता है। उनको वह इसलिए दिया जाता है कि उन में दक्षता होती है। उनकी योग्यता, कार्यकुशलता और कर्त्तव्यपरायणता के लिए उनको अधिक वेतन दिया जाता है, वर्ना हम एक ही घाट सबको उतार सकते हैं और थोड़ी रकम से ही सब का खर्चा चलवा सकते हैं, लेकिन हम फिर उनमें वह दक्षता, कार्यकुशलता और योग्यता नहीं ला सकते। अंग्रेजी शासन काल में एक मन्त्री को यहां ५ हजार रुपया मासिक वेतन दिया जाता था। उस समय जनता का स्टैन्डर्ड क्या था और आज हम मन्त्री महोदयों को १,२०० रुपया देने का प्राविधान कर रहे हैं। इस वक्त जनता का स्टैन्डर्ड क्या है? उस समय के ५,००० रुपये आज के २० हजार रुपये के बराबर हैं। हां, यह सभी जानते हैं कि वह विदेशी शासन काल था और आज हमारी जनता का शासन काल है। और इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त अगर हम ५,००० रु० देते थे तो आज के हिसाब से हम उन्हें २० हजार रुपया देते थे विदेशी शासन काल में। अब तो २० हजार न देकर केवल १,२०० रुपये ही रखे गये हैं और वह इस-लिए कि अब जनता के ऊपर सारा भार है और उस पर हम अधिक बोझ डालना नहीं चाहते। यह भी किसी से छिपा नहीं कि अगर हम १,२०० रुपया भी न दें और ५०० रुपया ही दें तो उससे भी खर्च चल सकता है जिस तरह से कि माननीय सदस्यों का २०० रुपये में खर्च चल सकता है, लेकिन क्या कभी यह भी सोचा गया है कि अगर हम उनको १,२०० रुपया न दें और ५०० ही दें तो उनका स्टैंडर्ड और पोजीशन कैसे मेनटेन हो सकती है? चाहें हम कुछ भी कहें, लेकिन हमारे यहां एक स्टैंडर्ड है, एक पोजीशन है मंत्रियों की जो कि हमें केवल यहीं पर नहीं बल्कि दूसरे देशों के मुकाबले में कुछ तो रखनी ही होगी और अगर हम वह नहीं रखते हैं तो दुनिया के अन्य देशों के सामने हम हीन दिखाई देंगे, हम कैसे कह सकेंगे कि हम भी इन्सान हैं और हमारे मंत्री जी भी यहां एक स्टैंडर्ड और पोजीशन से रहते हैं? अगर हम यह वेतन जो निर्धारित किया गया है अपने मंत्रियों को नहीं देते तो हम उनसे इतनी योग्यता, दक्षता, कार्यकुशलता, कर्त्तव्यपरायणता

और ईमानदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए यदि हम उनकी दक्षता की अपेक्षा रखते हैं, उनकी कार्यकुशलता और योग्यता की अपेक्षा रखते हैं तो हमें उनको कम से कम १,२०० रु० देने ही होंगे। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं देखता हूं कि काफी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। लेकिन अब मैं जरा सख्त बनना चाहता हूं। मैं किसी भी माननीय सदस्य को दोहराने का मौका नहीं दूंगा। अगर आप ऐसा भाषण कर सकें जिसमें नयी बात कहें चाहे पक्ष में या विपक्ष में तो मैं बोलने दूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कोई नवीन बात किसी के विचारों में हो, तो वह माननीय सदस्य खड़े हों।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य-मंत्री को पांच सौ की तनख्वाह दी जाय इसका समर्थन करने के लिए दो बुनियादों पर खड़ा हुआ हूं।

हम किसी भी राज्य की नीति का जब विश्लेषण करते हैं तो हिन्दुस्तान में एक परम्परा चली आई है—"यथा राजा तथा प्रजा"। यह हुकूमत जिन सिद्धान्तों की बुनियाद पर जनता से वोट मांग कर आयी है उनकी व्याख्या करते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि यह हुकूमत सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करना चाहती है। यद्यपि इस शब्द की व्याख्या अब तक नहीं हुई है तथापि जहां तक मेरी समझ में आता है, सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का तात्पर्य निकलता है कि हम जनता में जो आर्थिक विषमता है उसको दूर करें। जब जनता की आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये हम चलते हैं तो सब से पहले हम को मंत्रियों की तनख्वाह और जो हम लोग भत्ता लेते हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। जो इसी बुनियाद पर अपने-अपने क्षेत्रों से वोट मांग कर आते हैं या फिर जो पांच वर्ष बाद लौट कर जायेंगे, तो जो उनका पहले मैनिफेस्टो था उसी के आधार पर दोबारा वोट मांगेंगे। इस बुनियाद पर जब हम चलते हैं, तो उस दृष्टि से जो १२ सौ से पांच सौ का संशोधन है, उचित है। उसी बुनियाद पर यह भी मालूम पड़ता है कि जब तक हम आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों को कम से कम इतना वेतन न निर्धारित कर पायें कि जो आर्थिक विषमता पहले थी उससे कम हो जाय, तब तक हमको कतई यह अधिकार नहीं है कि मंत्रियों की तनख्वाह बारह सौ मुकर्रर करें। इस दृष्टि से भी पांच सौ की तनख्वाह बहुत ठीक मालूम पड़ती है।

एक और दृष्टि से भी पांच सौ की तनख्वाह का समर्थन करता हूं। हमसे परसों, चौथे रोज एक महिला विधायक से बात होने लगी। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ। महिला विधायक का दो महीने का बच्चा था। जब वह उस अस्पताल में जो विधायकों के लिए निर्धारित किया गया है अपने बच्चे की दवा कराने गयीं तो उनसे यह कहा गया कि मैं आपकी दवा कर सकता हूं। लेकिन बच्चे की नहीं परन्तु मंत्रियों के लिये अपनी ही नहीं परिवार की चिकित्सा की भी सुविधा है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह आप विषय के बाहर जा रहे हैं। उसी विषय पर बोलिए कि क्यों पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, जैसे कि एक भाषण पहले हुआ। उसके अन्दर थोड़े में उन्होंने बताया। अगर आप आम विवाद जारी करेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मदन पांडेय— मंत्रियों की तनख्वाह पांच सौ निर्धारित करने का अनुरोध मैं इसलिए सदन से करना चाहता हूं कि उनको सुविधाएं सर्वसाधारण की ही तरह नहीं हैं। वह दूसरी तरह से कम्पेंसेट हो जाते हैं। मंत्री होने के नाते जो उनको दवादारू, मोटर एलाउन्स, हाउसिंग एलाउन्स मिलते हैं यह सब मिला कर खर्चे की कमी पूरी हो जाती है। इसलिए मैं इस पांच सौ की तनख्वाह का समर्थन करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि व्यय में जितनी मितव्ययिता की जा सके की जानी चाहिए। लेकिन साथ ही यह शर्त भी होनी चाहिए कि काम की एफीशियेंसी कम नहीं होनी चाहिए। जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस बात को मानते हुए भी यह इस स्थान पर उपयुक्त प्रतीत नहीं होता।

यह सदन इस बात को जानता है कि राज्य-मंत्री का स्थान उपमंत्री से ऊंचा है सभा-सचिव से ऊंचा है और मंत्री के बराबर या उससे कुछ नीचा हो सकता है। तो जब हम जानते हैं कि सभासचिव का वेतन ६ सौ रुपया और उपमंत्री का वेतन साढ़े सात सौ रुपया और मंत्री का वेतन १२ सौ रुपया महीना है तो ऐसी हालत में यह कहना कि राज्य मंत्री की तनख्वाह ५ सौ रुपये होनी चाहिए हंसी की बात मालूम होती है। माननीय मलिखान सिंह जी ने कोई और संशोधन नहीं दिया है जिसके द्वारा वह चाहते हों कि सभा-सचिव का वेतन घटाया जाय, या उप-मंत्री या मंत्री के वेतन में भी कुछ कमी होनी चाहिए। इस तरह की बात वह खुद नहीं करने को तैयार हैं। तो जब वह कोई संशोधन और करने के लिए तैयार नहीं हैं तो राज्य-मंत्री के वेतन को पांच सौ रुपया करने की बात हंसी की बात मालूम होती है। इसलिए यह संशोधन अपनी जगह बिल्कुल अनुपयुक्त-सा है।

जहां तक विनोबा जी की बात कही गई और भूदान की बात कही गई, उसका सम्बन्ध तो इस कानून से नहीं है। अगर हम विनोबा जी की बात मानते हैं तो हमको अपने आप वालेंटरी करना है, कानून बना कर नहीं। वह तो कानून से बाहर भूदान की सफलता है। अगर हमें उसमें विश्वास है तो हम अपने वेतन का आधा या कुछ हिस्सा जो भी चाहें, उस आन्दोलन के लिए दे सकते हैं। इसलिए उसका सम्बन्ध इस कानून से जोड़ना कोई उचित बात नहीं मालूम होती।

श्रीमान् जी, यह बात अक्सर कही जाती है कि वेतन इस पद का इतना होना चाहिए, ज्यादा है कम होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में नहीं रखी जाती। किसी पद की अच्छाई, उसकी दक्षता, इसी बात पर निर्भर नहीं करती कि उस पद पर रहने वाला व्यक्ति कितना वेतन लेता है बल्कि उसकी असली सफलता, उसकी अच्छाई, इस बात में है कि उस पद पर सुशोभित व्यक्ति जनता की कितनी सेवा कर सकता है और कितनी वह सवा कर रहा है। इसलिए यह कहना कि वेतन की मात्रा ही से कोई चीज निश्चित की जाय ठीक नहीं, इससे यह निर्णय नहीं हो सकता है। उसके कामों से यह निर्णय हो सकता है। अगर देखा जाय तो हम अपने जीवन में भी इस बात को मानते हैं। बहुत से एलेक्शन पेटीशन हमारे माननीय सदस्यों के चल रहे हैं। अगर वह इस सिद्धान्त को मानते कि जितना कम खर्च किया जाय उतना ही अच्छा है तो मैं समझता हूं कि जब वह वकील करने जाते अपने मुकदमे की पैरवी के लिए तो वह इस दृष्टि से ढूंढ़ते कि सब से कम फीस कौन वकील लेगा। लेकिन कोई माननीय सदस्य इसके लिये तैयार नहीं होंगे। बल्कि उस वक्त तो वह यह सोचेंगे कि हमारा काम बनना चाहिए, मुकदमे में सफलता मिलनी चाहिए चाहे वह फीस कितनी ही क्यों न ले। इसलिए लोग अच्छे से अच्छे वकील को करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि काम चाहे बिगड़ जाय चाहे बने, हम खर्च कम करेंगे। यह कोई अच्छी बात नहीं है। काम बन कर खर्च कम हो तो अच्छी बात है लेकिन काम बिगड़ कर कम खर्च हो यह अच्छी बात नहीं है। आज हमारे यहां सदन में और बाहर भी कालेजेज के प्रिंसिपल्स हैं, वह अच्छी-अच्छी तनख्वाहें पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आवे और कहे कि मुझे आप प्रिंसिपल बना दीजिए, मैं भी एम० ए० हूं और मास्टर हूं और मैं १०० रुपये ही लेने को तैयार हूं तो किसी भी कालेज का मैनेजर इसके लिए तैयार नहीं होगा कि अपने कालेज के प्रिंसिपल को हटा कर उस १०० रुपये वाले को रख ले। तो कोरे सिद्धान्त की बात से काम नहीं चलता। इसलिए सिर्फ इसी बात पर ध्यान देना कि किसी पद का कितना वेतन है मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा और इस प्रदेश और दूसरे प्रदेश की कोई बात नहीं है। विधायकों का स्थान तो प्रजातांत्रिक

तरीके में ऊंचा है ही। पुराने जमाने में भी विधायकों का स्थान ऊंचा था और जो विधायकों से ऊंचे हैं उनका स्थान तो बहुत ऊंचा होता है। इसलिए विधायक की बात या मंत्री या और विधायक जो अन्य पदों पर हैं उनकी बात तो दूसरों से अलग हुई। उनको अपने काम की जिम्मेदारी के हिसाब से तनख्वाह मिलनी चाहिए जिससे अपने काम की जिम्मेदारी को वह अच्छी तरह से निभा सकें। उनकी जिम्मेदारी को न देख कर यह बात करना कि उनका वेतन कम कर दिया जाय चाहे वह जिम्मेदारी पूरी हो या न हो, कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर यह बात रक्खी गई तो मैं समझता हूं कि आम जनता में जो गरीब काम करने वाले हैं उनके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता और यह इस बात की तरफ संकेत करना है कि गरीब आदमियों के लिये कोई गुंजायश नहीं है, केवल बड़े और मालदार आदमियों के लिये ही गुंजायश है। धन की बात अगर चली तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो मंत्री बनने को तैयार हों और कुछ भी वेतन न लें और बिना वेतन के मंत्री बनने को तैयार हों, तो क्या सदन उनकी इस बात को मानने को तैयार होगा? मैं समझता हूं कि सदन इसके लिये हर्गिज तैयार नहीं होगा कि जो जिम्मेदारी हम सौंपने जा रहे हैं, बिना उस पर गौर किये हुए कि वह जिम्मेदारी उसको सौंपी जाय या न सौंपी जाय, जिम्मेदारी उसको सौंप दें इसलिये कि वह वेतन कम लेगा या वेतन लिये बिना ही काम करने को तैयार है। जब ऐसी बात है तो बार-बार यह कहना, इधर संकेत करना कि खाली धन की ही मात्रा से निर्णय होता है किसी की अच्छाई या बुराई का किसी के त्याग का पता चलता है, कुछ ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस विषय पर माननीय सदस्य काफी प्रकाश डाल चुके हैं। अब वह आगे बढ़ें।

श्री जयराम वर्मा—आखिर में मैं इतना ही कहूंगा कि जो संशोधन रक्खा गया है वह बिल्कुल अनुपयुक्त है और अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो इस सदन का मजाक उड़ाया जायगा।

*श्री झारखंडे राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदर्श का स्थान अपने आप स्वयं एक आजाद सत्ता के रूप में होता है। समाज और व्यक्ति के लिये कोई भी आदर्श चाहे वह उसके जीवन में कभी भी प्राप्त न हो सर्वदा एक प्रेरणा और स्फूर्ति को देने वाला हुआ करता है और कोई भी आदर्श चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो वह काल्पनिक आदर्श भी नहीं हो सकता और न हमें उस ओर बढ़ना चाहिये।

कराची कांग्रेस अधिवेशन में जब ५०० रुपये से अधिक तनख्वाह न लेने की बात कही गई थी तो उस समय के प्राइस इंडेक्स का ही ख्याल नहीं था, बल्कि एक आदर्श के रूप में भी उसको रक्खा गया था। मैं समझता हूं कि जहां तक प्राइस इंडेक्स का सम्बन्ध है वह आज परिवर्तित हो चुका है लेकिन उसकी जो प्रेरणा शक्ति का महत्व है वह आज भी हमारे लिये और इस पूरे सदन के लिये वैसा ही है। उस ऐतिहासिक आदर्श के महत्व के आधार पर हमको आज माननीय मलिखान सिंह जी के संशोधन पर विचार करना चाहिये।

प्रतिष्ठा और सम्पत्ति का प्रश्न भी उठाया गया। हमारे देश की प्राचीन ऐतिहासिक संस्कृति और परम्परा रही है कि हमारे यहां प्रतिष्ठा केवल धन के ऊपर कभी भी प्राप्त नहीं होती थी। इस पूरे सदन को ज्ञात है कि हमारे यहां सन्यासियों और साधुओं की प्रतिष्ठा राजाओं तक से अधिक थी और इस परम्परा को मानने वाले देश में यहां की जनता की भावना आज भी उसी प्रकार की है। कुछ दिन पहले जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उसी लंगोट को पहन कर इस देश को जितनी प्रेरणा दी उतनी बहुतों ने मिल कर भी नहीं दी। इसलिये प्रतिष्ठा की खातिर किसी की तनख्वाह ऊंची रक्खी जाय, मैं इसे उचित नहीं समझता। स्टैन्डर्ड और पोजीशन की बात पर एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नर-जनरल की तनख्वाह के बारे में,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री झारखंडे राय]

जब कि राजगोपालाचार्य हमारे देश के प्रथम गवर्नर-जनरल नियुक्त हुए थे, कही थी और वही बात हमेशा हर बात में दोहराई जाती है। मैं समझता हूं, यह उस चीज की एक छीछालेदर की जा रही है। ऐसे दूसरे देशों के सामने हमारे देश की प्रतिष्ठा कायम रखनी है, इसलिये उनको तनख्वाह दी जाय, हमारे देश के लोगों की प्रतिष्ठा औरों के सामने कम न हो, इसलिए उनको कीमती फर्नीचर दिया जाय और उनके लिए अधिक खर्च किया जाय, यह उचित नहीं है, क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को भी ज्ञात है, आपको भी ज्ञात है कि दूसरे देशों के सन्यासियों और साधुओं की भी वेशभूषा और उनकी रूपरेखा कुछ ऐसी होती है जो खर्चीली होती है। हमारे यहां के सन्यासी और साधु एक लंगोटी के रूप में रहते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि प्रतिष्ठा के आधार पर इस बात की जो दलील दी गयी है कि तनख्वाहें जो रखी गयी हैं वह उचित हैं, मैं इससे सहमत नहीं हो पा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति को एक स्थान प्राप्त होने के बाद जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वह लाखों रुपये से ज्यादा होती है। एक व्यक्ति को प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो, उसी को धन भी प्राप्त हो, यह चीज भी कुछ जंचती सी नहीं मालूम होती है। अगर एक को प्रतिष्ठा प्राप्त हो और धन थोड़ा कम हो, तो मैं समझता हूं कि प्रतिष्ठा रूपी धन के प्राप्त होने के बाद उसकी भौतिक संपत्ति जो कम होती है, उसकी पूर्ति हो जाया करती है। इसलिए मैं समझता हूं कि ५०० रुपया वाला जो प्रस्ताव है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिये--विशेष करके इसलिए कि जबकि राज-मंत्रियों के अन्य खर्चा का काफी हिस्सा सरकारी कोष से दिया जायगा, मेरी समझ में इस आदर्श को मान लेने में कोई उनकी भौतिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आयेगा, प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होगी, शान-बान में कोई खामी नहीं आने पायेगी, उनकी कर्तव्यपरायणता और उनकी जो योग्यता है उसमें कोई दिक्कत नहीं पैदा होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस ५०० रुपये के आदर्श को मान लेना चाहिये और कम से कम आदर्श कहीं से तो शुरू हो। कराँची के प्रस्ताव की जो प्रेरक शक्ति है जब आज भी कायम है, वह इतनी ही स्फूर्ति प्रदान करने वाली है, तो उसका प्रारम्भ एक नये चेप्टर में, जो नया एक क्लाज हम जोड़ने जा रहे हैं इस विधेयक में, उसमें शुरू हो। मैं तो कहता हूं कि रुपये का महत्व नहीं है, ५०० रुपया हो या १,२०० रु० हो, इसका कोई एक्सचेकर के अन्दर, खजाने में, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जायगा, लेकिन इसका महत्व एक आदर्श और प्रेरणादायिनी शक्ति के रूप में है, इसलिए मंत्री जी और सरकार इस ५०० रुपये के संशोधन को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--अब पालीवाल जी को मैंने बुला लिया। उनके बोलने के बाद आप प्रस्ताव ला सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक आप से पहले...

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं यह प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि अब इस संशोधन पर विवाद खत्म कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--यही प्रस्ताव माननीय सदस्य ने भी रखा था, लेकिन चूंकि मैं पालीवाल जी का नाम पुकार चुका हूं, तो वह बोल लेंगे फिर उसके बाद प्रश्न कीजियेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं पहले तो आपसे, जो विवाद हो रहा है, उसके सम्बन्ध में आपकी एक व्यवस्था जानना चाहता हूं, और वह यह ह कि क्या इस समय संशोधन में संशोधन उपस्थित हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--हां, हो सकता है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जी, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मेरी कठिनाई यह थी कि मैं न तो जो संशोधन उपस्थित हुआ है उससे सहमत हूं और न जो विधेयक में है उससे सहमत हूं । मैं पसन्द करता अगर आप वाला संशोधन यहां होता या ९०० वाला होता । मुझे दुःख है कि इस विषय पर जो वाद-विवाद हो रहा है वह. . .

श्री उपाध्यक्ष--आप अपना संशोधन पहले रखें, उसके बाद बात करें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं संशोधन करता हूं कि या तो संशोधन में ५०० के स्थान पर १,००० कर दिया जाय, या १,२०० के स्थान पर १,००० कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--आप पहले यह निश्चय कर लें कि आप क्या चाहते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मेरा यह प्रस्तात है कि "संशोधन में प्रस्तावित उपखंड (कक) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'पांच सौ' के स्थान पर शब्द 'एक हजार' रख दिये जायं ।"

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं देखता हूं कि पालीवाल जी का संशोधन नोटिस पेपर पर, एजेंडे में, नहीं है, तो यह कैसे पेश किया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष--नोटिस की आवश्यकता संशोधन में संशोधन करने पर नहीं होती । संशोधन उपस्थित है, कोई माननीय सदस्य संशोधन में संशोधन कभी भी उपस्थित कर सकते हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--मैं देखता हूं कि इस विषय पर जो विवाद हो रहा है वह उस स्तर का नहीं है , जो होना चाहिये । मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने कल यह कहा था कि हम इस बात पर कोई विशेष महत्व नहीं देते कि मंत्रियों के वेतन में कमी होनी चाहिये केवल इसलिये कि मैं विरोधी दल में हूं । लेकिन जो दलीलें दी गयीं उनको सुनकर आश्चर्य हुआ और कभी-कभी मैंने महसूस किया कि मंत्री महोदयों ने जो अपने समर्थकों के भाषण सुने होंगे तो वह अपने हृदय में अनुभव कर रहे होंगे कि " गाड सेव अस फ्राम सच फ्रन्ड्स " ईश्वर एसे दोस्तों से बचाये । जिस स्तर पर समर्थन किया जा रहा था वह बहुत अच्छा नहीं था और मैं यह भी समझता हूं, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा, कि इस विषय को आध घंटे में तय हो जाना चाहिये, उस पर ऐसा विवाद हो और ये बातें कहीं जांय, यह भी अच्छा नहीं है ।

मुझे दुख है कि इस विवाद की जिम्मेदारी विरोधी दलों से ज्यादा सत्ताधारी दल पर है । इसलिये, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाता तो न सरकार की हानि होती , न प्रदेश की हानि होती और विवाद बच जाता और बहुत से संशोधन न आते और आवश्यक सुधार हो जाता और जो दुख उन्हें हुआ और अन्य लोगों को हो रहा है , उसकी आवश्यकता न पड़ती ।

मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है वह केवल इस आधार पर किया है कि अभी मुझसे पहले श्री जयराम वर्मा ने एक बात कही कि सभासचिव से डिप्टी मिनिस्टर ऊंचा है, डिप्टी मिनिस्टर से राज्य-मंत्री ऊंचा है और राज्य-मंत्री से मंत्री ऊंचा है, तो मैं उनकी बात को आधार मानकर चल रहा हूं । बीच में एक बात कह दूं कि मुझे यह पसन्द नहीं लेकिन ऐसा बहुत एतराज भी नहीं है कि रेल में पहले चार दर्जे थे , फर्स्ट, सैकिंड, इंटर, और थर्ड क्लास, उनको हटाकर केवल तीन क्लास रखी गई । लेकिन मंत्रि मंडल में हमने चार क्लास शुरू कर दीं । कैबिनेट

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी। सम्भव है अभी आगे और बढ़ें तो मुझे यह अच्छा नहीं मालूम होता है। लेकिन मैं इसको इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में अधिक विवाद किया जाय लेकिन एक बात कहता हूं कि जब ४ श्रेणी की गई हैं जो अब तक तीन श्रेणियां थीं, उनके वेतन में फर्क रखने की आवश्यकता इस सरकार द्वारा भी समझी गई। लेकिन राज-मंत्री और मंत्री का वेतन एक ही रखने जा रहे हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। जब आपने डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के वेतन में अंतर रखा है तो समझ में नहीं आता है कि जब आप एक नई श्रेणी नियुक्त करने जा रहे हैं तो उसका वेतन डिप्टी मिनिस्टर के वेतन से अधिक लेकिन कैबीनेट मिनिस्टर से कम क्यों नहीं होना चाहिये। इसमें व्यावहारिकता का भी कोई सवाल नहीं आता है बल्कि एक यूनीफारमिटी हो जाती है, एकरूपता आ जाती है। सभा-सचिव का वेतन ६०० रुपये ठीक हैं, डिप्टी मिनिस्टर का वेतन ७५०रु० मान लें, ठीक है, और यह भी मान लें कि जो मंत्री महोदय को १,२०० मिल रहा है जिसमें से वे १,१०० ही ले रहे हैं वह भी ठीक है तब भी यह सवाल आता है कि फिर ज्यादा अच्छा यह होता और मिनिस्टर्स आफ स्टेट के भी हित में होता कि उनका वेतन दोनों के बीच में होता। १,००० साढ़े सात सौ से तो कहीं ज्यादा है और १,२०० से सिर्फ २०० कम है। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार में इतनी सुबुद्धि और सद्बुद्धि आ सके कि वह संशोधन को स्वीकार कर ले तो कोई हानि नहीं होगी। यद्यपि सरकार का ऐसा रवैया रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में इशारा किया कि उनके यहां तो यह है कि जब संख्या का बल हमारे साथ है तो जो हमने गलत-सलत कर दिया उसमें एक कामा और विराम-चिन्ह तक इधर से उधर नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल सरकार की सुबुद्धि और सद्बुद्धि पर छोड़ता हूं कि वह स्वीकार कर ले या न करे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसे साधारण मामले के ऊपर जो बहसें दोनों तरफ से हुईं उनसे यह मालूम होता है कि कम से कम कोई उसूल की बात इसमें नहींहै। जहां तक आदाद और नम्बरों का ताल्लुक है, कोई भी आदाद होती मुझे यकीन है कि अगर २,००० होती तो यह बहस होती कि १,५०० क्यों नहीं किया गया और अगर १,५०० होती तो यह बहस होती कि १,००० क्यों नहीं किया गया और अगर १,००० होती तो यह बहस होती कि ५०० क्यों नहीं किया गया। तो यह हमेशा चलता रहेगा। मगर जहां तक मैंने बहस को सुना उससे इतना ही समझ में आया कि हमारे देश में इसका रिवाज है कि बहुत लोग सादगी की जिन्दगी बसर करते हैं और जहां तक होता है पैसा कम खर्च करते हैं और जितनी ही ज्यादा सादगी की जिन्दगी इन्सान बसर करता है उतनी ही ज्यादा उस आदमी की इज्जत होती है। कितनी ही तनख्वाहें काट दी जांय मगर फिर सवाल आता है कि ५०० क्यों कर दीं और घटा कर ढाई सौ क्यों न कर दी जांय और अगर ढाई सौ कर दी जांय तो फिर सवाल आयेगा कि १०० क्यों न कर दी जांय। तो इस चक्कर में अगर हम पड़े कि क्या फीगर है जो बिलकुल आइडियल है, उसके नीचे नहीं होना चाहिये या कौनसी ऐसी फीगर है कि जो ऐसी आइडियल है कि उससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिये तो मेरे खयाल में हम कहीं पर नहीं पहुंचेंगे। अभी आपने सुना कि हमारे बुजुर्ग पालीवाल जी ने यहां तक तसलीम किया कि और तो कोई बात ज्यादा काबिले एतराज नहीं है मगर यह क्यों है कि मिनिस्टर और मिनिस्टर आफ़ स्टेट में कोई फ़र्क नहीं रखा गया है और उनकी तनख्वाहें बराबर क्यों कर दी गयीं। अगर औरों में फ़र्क है, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज से डिप्टी मिनिस्टर्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की तनख्वाह ज्यादा है और डिप्टी मिनिस्टर्स से ज्यादा मिनिस्टर्स की तनख्वाह है, तो स्टेट मिनिस्टर्स जो डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स के दरमियान में आते हैं उनकी तनख्वाह भी मिनिस्टर्स से कम और डिप्टी मिनिस्टर्स से ज्यादा होनी चाहिये। मैं अर्ज यह करूंगा कि उसमें अन्तर है और वह यह है कि मिनिस्टर्स की तनख्वाह इन्कम टैक्स से बरी है लेकिन जो मिनिस्टर्स आफ़ स्टेट की तनख्वाह है वह सब्जेक्ट टु इन्कम टैक्स है और इन्कम टैक्स कटने के बाद लगभग १,००० के, दो, चार रुपये उससे कम या दो चार रुपये ज्यादा, होती है; और वह अलग से कट जाता है और उसके बाद वह तनख्वाह उनको मिलती है। तो इस वजह से कुछ थोड़ा-सा अन्तर उस में भी रखा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई अन्तर न हो।

अब यह कि तनख्वाहें ५०० कर दी जायं, या इससे भी कम या ५०० से बढ़ाकर ८०० कर दी जांय, या १,००० कर दी जांय, मैंने अर्ज किया कि इस पर ज्यादा बहस करना मेरे खयाल में बहुत जरूरी नहीं है। यह तो फीगर्स का मामला है, कोई न कोई फीगर जरूर होगी कि जिसके ऊपर हमको आना पड़ेगा और जिसके हाथ में शासन होगा उसी को यह फैसला करना पड़ेगा कि कितना मुनासिब है और कितना मुनासिब नहीं है। बार-बार हवाला कराची रेजोल्यूशन का दिया गया। बहरहाल, वह अपनी जगह पर कायम है। तनख्वाहों के लिये जहां तक हो सकता है हम कर रहे हैं। सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात जो हम कहते हैं उस सिलसिले में जो भी कदम हमने उठाये हैं उनका पता माननीय सदस्यों को है। हम उधर जा रहे हैं और उस रेजोल्यूशन में जो ५०० की तनख्वाह मुकर्रर की गई थी वह उस जमाने में की गई थी जब रुपये की कीमत आज से ४ गुना ज्यादा थी। आज रुपये की वैल्यू करीब एक चौथाई रह गई है और उसको देखते हुये अगर १,२०० रुपया तनख्वाह है, या १,१०० रुपये, जैसा कि हम लोग वालंटरी कट कर के ले रहे हैं, तो उसको देखते हुये यह किसी तरह से नहीं कहा जा सकता कि हमने उस उसूल को तोड़ दिया है। वाकया यह है कि आज भी हम उस उसूल पर चल रहे हैं आप देख रहे हैं कि बराबर जहां तक हो सका है हम छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। और बड़े और छोटे मुलाजमीन के तनख्वाहों में जो फर्क है वह घटता चला जा रहा है। एक जमाने में हमारे यहां तनख्वाहों में ३० गुने का फर्क था, छोटी और बड़ी तनख्वाहों में, वह अब काफी कम हो गया है और शायद १६ गुने से ज्यादा फर्क उनमें बाकी नहीं रह गया है। बहरहाल, यह चीजें रहेंगी। जिधर हम जा रहे हैं वहां हम एक दिन में नहीं पहुंच सकते, वहां पहुंचने के लिये थोड़ा वक्त लगेगा।

इस बात का भी हवाला दिया गया कि मिनिस्टर्स के पास बहुत सी आसानियां होती हैं इसलिये उनको तनख्वाह कम मिलनी चाहिये। आप को मालूम है कि फौज या पुलिस में जिस के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है उसका ओहदा भी बड़ा होता है और उसको ज्यादा तनख्वाह भी मिलती है। पुलिस के आर्गनाइजेशन को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि पुलिस के सिपाही को कहीं ज्यादा काम करना पड़ता है, वह ज्यादा मेहनत करता है और उस पर ज्यादा बोझ पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर सब-इंस्पेक्टर होता है, या उससे बड़ा सुपरिंटेंडेंट पुलिस होता है, या इंस्पेक्टर जनरल होता है, उन सबको उस किस्म का काम नहीं करना पड़ता, लेकिन उसको तनख्वाह हमेशा ज्यादा मिलती है। उसकी वजह यह होती है कि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है और इन सब बातों का लिहाज तनख्वाह मुकर्रर करने के वक्त किया जाता है और यह आपको जिन्दगी के हर शोबे में देखने को मिलेगा। जहां भी जिम्मेदारी बढ़ेगी वहां कुछ न कुछ तनख्वाह में आपको फर्क करना पड़ेगा उसी हिसाब से। मैं तो यह समझता हूं कि जो तनख्वाह रखी गई है वह करीब-करीब इतनी कम है कि बड़ी मुश्किल से उसमें आज कल के जमाने में एक इज्जतदार आदमी अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है। ऐसी सूरत में जो मुखालिफत की गई है, मैं समझता हूं कि वह किसी उसूल पर नहीं है, मगर चूंकि हमारे विरोधी दल का फर्ज है कि किसी किस्म की तजवीज आये, वह उसकी मुखालिफत करें; इसलिये इस की भी मुखालिफत की गई है। मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता और जो यह तजवीज पेश की गई है उसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री मलिखानसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया उस सम्बन्ध में वादविवाद हुआ और माननीय मंत्री जी का भाषण भी मैंने सुना किन्तु सिवाय इस के कि विदेशी लोग आकर देखेंगे कि इनका स्टेंडर्ड आफ लिविंग क्या है और यह कैसे रहते हैं या तनख्वाहें जो हैं वह किसी निश्चित नियम पर ठोस आधार पर आधारित नहीं हैं, इसके अलावा कोई भी ठोस तथ्य उन्होंने हमारे सामने नहीं रखा। श्रीमन्, मैं इस आधार पर कह रहा था कि जब आज हम यहां यह महसूस करते हैं कि हमें अपने देश के लिये पैसे की आवश्यकता है और जनता से हम पैसा मांगते हैं टैक्स के द्वारा; कहीं अल्पबचत योजना से, कहीं भूदान के सम्बन्ध में नयी-नयी स्कीम चलाते हैं केवल इसलिये कि हमको पैसे की जरूरत है। तो हम किसी तरह से भी जनता के स्तर को उठाना चाहते हैं। तनख्वाह का स्तर कम से कम १०० रुपया रखना चाहते हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन में अच्छी तरह से पालन-पोषण कर सके। तो जब तक हम लोग जनता के सामने उदाहरण नहीं बनेंगे तब तक हम यह नहीं कह सकते कि आज देश के लिये जरूरत है और तुम लोग एक हजार के स्थान पर ५०० रु० ले लो जब कि हम इतना ले रहे हैं। जब हम लोग एक हजार के स्थान पर ५०० लेंगे तो तभी जनता के सामने जाकर कह सकते हैं कि कुछ दान करो या देश के निर्माण के लिये कुछ सहायता करो। तभी हम राष्ट्र के सामने एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। लेकिन इस आधार पर, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, देश के निर्माण की बात हम कहते हैं तो किसी प्रकार से उत्थान नहीं कर सकते। आज प्रश्न इस बात का था कि ५०० रुपया राज्य-मंत्रियों के लिये यहां पर रखा जाय जो उनके परिवार के भरण-पोषण के लिये भी पूरा हो सके और जो सहायता यातायात या रहने के स्थान की है वह स्टेट की तरफ से कर दी जाय। तो मेरी समझ में आज के युग में जबकि हम पैसे के मारे दर-दर मारे फिरते हैं और सरकारी कर्मचारियों को यह आदेश करते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट में भी यह प्रस्ताव है कि दशांश कटौती उनके वेतन से होनी चाहिये वह भी हल हो सकती है। मैं मानता हूं कि सरकार उसी अपनी भारतीय संस्कृति पर आगयी कि जब लोगों से यह कहा जाता है कि दशमांश दान कर दो। अगर ऐसा हो जाय तो जो हमारे देश के सेठ और पूंजीपति हैं वह अगर इतना दशमांश दान कर दें तो यह निर्माण का काम मिनटों में हो सकता है। जब तक सरकार यह आदर्श जनता के सामने नहीं रखेगी तब तक जनता पर यह असर नहीं पड़ सकता है। एक तरफ तो आप गांधी जी के सिद्धान्तों को लेते हैं और उनकी लंगोटी की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ निर्माण का नारा लगाते हैं। खुद लग्जरी में रहते हैं और गद्दे पर आराम करना चाहते हैं। उस समय उस श्रमिक को जो गांव में गर्मी और धूप में काम करता है उसको भूल जाते हैं। इसलिये सरकार यदि देश का निर्माण करना चाहती है तो वह स्वयं उदाहरण बने और ५०० रुपये के मेरे संशोधन को माने। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि जो ५०० रुपये का संशोधन मैंने उपस्थित किया है सदन उसको स्वीकार करे।

श्री सैयद अली जहीर--मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--मेरे सामने दो प्रस्ताव हैं, एक ५०० रुपये वाला श्री मलिखानसिंह का और दूसरा १,००० रुपये वाला श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल का। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहले संशोधन के संशोधन पर मत ले लिये जांय और फिर बाद को मूल संशोधन पर मत ले लिये जांय या मूल संशोधन पर ही मत ले लिये जांय और यदि यह अस्वीकृत होता है तो वह संशोधन का संशोधन भी अस्वीकृत हो जायगा। इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि श्री मलिखानसिंह के मूल संशोधन पर ही मत ले लिये जांय। अगर सदन ने इसको अस्वीकार कर दिया तो पालीवाल जी का संशोधन भी गिर जायगा।

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (कक) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय :--

"(कक) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक राज्य-मन्त्री को पांच सौ रुपया मासिक वेतन दिया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) द्वारा प्रस्तावित खंड (कक) को निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय मोतीलाल जी से चाहूंगा कि वह यह स्पष्ट करें कि इस संशोधन से उनका मतलब क्या है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं इस संशोधन के द्वारा आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि मुझे तो यह राज-मंत्रियों के सम्बन्ध में जो तनख्वाह रखी है वह बिलकुल अनावश्यक सी मालूम होती है ।

श्री उपाध्यक्ष--इससे तो यह भी अर्थ निकल सकता है कि माननीय राज-मंत्रियों को वेतन न दिया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं चाहता हूं कि मुझे कहने का मौका दिया जाय और मेरी मंशा उस वक्तव्य से निकल आयेगी ।

श्री उपाध्यक्ष--मतलब स्पष्ट करने के बाद ही आपको वक्तव्य देने का मौका दिया जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरे संशोधन से मेरी मंशा यह है कि मैं राज-मंत्रियों का पद ही आवश्यक नहीं समझता ।

श्री उपाध्यक्ष--इससे ऐसा कैसे समझा जा सकता है कि उनको वेतन ही न दिया जाय ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--बिना वेतन तो कोई मंत्री काम ही न कर सकेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--इससे मैं समझता हूं कि आपका संशोधन नियमानुसार नहीं है क्योंकि आपकी मंशा है कि राज-मंत्री न रखे जांय लेकिन वे रख लिये गये हैं, उनका अस्तित्व है । यह तो हो नहीं सकता । केवल आपके संशोधन से एक ही अर्थ निकल सकता है कि वह आनरेरी काम करें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उनका आशय यह है कि वे वही तनख्वाह पायें जो मेम्बरों को मिलती है ।

श्री उपाध्यक्ष--यह मैं उन्हीं से पूछ रहा हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरी तो मंशा यह है कि उनको बारह सौ रुपया न दिया जाय लेकिन अब मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस पद को बिना तनख्वाह के स्वीकार करेंगे । मेरी मंशा यह नहीं है कि पद ही न रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--आपकी मंशा यह है कि वे आनरेरी काम करें या आप यह चाहते हैं कि जैसा कि माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि २०० रुपया ही वेतन लें । लेकिन पद ही न रखा जाय ऐसा नहीं हो सकता । आप क्या चाहते हैं, यह आप निश्चित शब्दों में बतला दें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरी मंशा पद को हटाने की नहीं है अगर तनख्वाह का सवाल न हो । मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--और तनख्वाह क्या रक्खी जाय ? आपके संशोधन के मूल में जो आपका सिद्धान्त है उसको आप समझा नहीं पा रहे हैं । यह अनियमित है, इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मुझे अपनी पूरी बात कहने दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---जब आप स्वयं ही उसका मतलब ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं तो सदन को किस प्रकार समझायेंगे ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं लेकिन मुझे उसका मौका ही नहीं दिया जाता ।

श्री उपाध्यक्ष---उसका मौका तो आप को दिया गया है, लेकिन आप उसको स्पष्ट करने में असफल रहे हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से खंड २ के उप-खंड (२) को निकाल दिया जाय, इस सम्बन्ध में संशोधन उपस्थित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---इसका भी स्पष्टीकरण करने की कृपा करें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं आप के सामने संशोधन रखता हूं कि अगर खंड २ के उप-खंड (२) को निकाल दिया जाता है, तो जो मूल चीज उसमें स्थायी रहती है . . .

श्री उपाध्यक्ष---कौन मूल चीज है, उसको जरा पढ़ कर बतला दें । उसके निकालने के बाद क्या चीज हो जायगी, उसको पहले आप मुझे समझा दें, तब मैं आपको इजाजत दूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेरे पास मूल विधेयक नहीं है, इसलिए मैं मूल विधेयक नहीं पढ़ सकता हूं । अगर मुझे दिला दिया जाय तो मैं पढ़ दूं ।

श्री उपाध्यक्ष---आप इस पर भी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, तो फिर मैं क्या करूं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---नियम जो दिया हुआ है, उसे मैं पढ़ कर सुना दूं ?

श्री उपाध्यक्ष---नियम नहीं, धारा ३ देखिये कि उसमें क्या है ।

(कुछ देर पश्चात्)

माननीय सदस्य को काफी तैयारी करके आना चाहिए था । अगर उनके पास मूल अधिनियम नहीं है तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उनको मूल अधिनियम दूं । ऐसी सूरत में यह संशोधन व्यर्थ-सा हो जाता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेरे सामने दिक्कत यह है कि मैं पुस्तकालय में अधिनियम की एक प्रति लेने के लिए गया, लेकिन वहां प्रतियां कम हैं जिससे मुझे वहां नहीं मिल सकी ।

श्री उपाध्यक्ष---क्या आप कहना चाहते हैं, जब आप खुद निश्चित नहीं हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं पूरी तरह से अपने विचारों के बारे में निश्चित हूं, लेकिन मेरे पास प्रति नहीं है, जिससे मैं पढ़ सकूं ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं आपको मौका देता हूं । अगर आप उन धाराओं के बारे में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---ये राज्य-मन्त्री जो बढ़ाये जा रहे हैं और उनकी तनख्वाह जिस रूप में रखी जा रही है, उसके मैं विरुद्ध हूं । अगर दूसरे रूप में उनको रखा जाय तो उससे मुझे कोई विरोध नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---कम से कम मुझे स्पष्ट नहीं हुआ कि आप क्या चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं ।

(श्री झारखंडे राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---एक बात मुझे अर्ज करनी है । मैं किसानों की तरफ से आया हूं . . .

श्री उपाध्यक्ष---यह नियमानुकूल नहीं है। आप कृपा कर के बैठ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी---मेरी बात तो सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष---मैं कहता हूं कि आप बैठ जाइये।

श्री टीकाराम पुजारी---बैठूंगा, लेकिन मेरी बात पहले एक मिनट सुन ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने कह दिया कि आप बैठ जायं, जब मैं आपका नाम पुकारूं, फिर आप कहें। मैंने श्री झारखंडेराय का नाम पुकारा है।

श्री झारखंडेराय---उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन की मेरे पिछले दोनों संशोधनों से संगति ठीक बैठती नहीं है। जब यह चीज पास हो गयी, कि राज्य-मन्त्री रहेंगे और उनकी तनख्वाह भी १,२०० रुपये रहेगी, इसलिए मैं इसको पेश करना नहीं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष (श्री टीकाराम पुजारी से)---अब आप अपनी बात कहें, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री टीकाराम पुजारी---मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चार से तीन क्लास तो रेलगाड़ी में बन गयी और जमींदारी प्रथा खतम हुई तो जब कि किसानों के तीन क्लास थे तो उसमें ४ क्लास बन गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---तो मतलब यह है कि आप खंड २ का विरोध कर रहे हैं।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं तो जी यह अर्ज कर रहा हूं कि इस सदन में भी अब कई क्लास हैं। जो यहां पर बोलना जानते हैं वह तो दस दिन में १५ बार बोलने का मौका पा जाते हैं। लेकिन जो किसानों की बात कह सकते हैं या मजदूरों की बात कह सकते हैं उनका इस सदन में कभी नम्बर नहीं आता है, यह तो श्रीमान् जी, बड़े खेद की बात है।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठ जाइये, आप पहले सुन लीजिये। इस सदन में उन्हीं माननीय सदस्यों को पुकारा जाता है जिन पर अध्यक्ष की निगाह पड़ जाती है। न यहां कोई किसी के साथ भेदभाव है और न कोई क्लास है, ऐसा भेदभाव कभी नहीं हो सकता। अब आगे मैं आप को इजाजत नहीं देता, अब आप कृपा करके न बोलें।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १२, १९५२ का संशोधन।

३---उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ ई० में---

(१) धारा २-क निकाल दी जाय, तथा

(२) धारा २-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

सदस्यों के प्रयोग के लिए निःशुल्क सुसज्जित आवास।

"२-ख---(क) प्रत्येक सदस्य अपने कार्य काल की अवधिपर्यन्त बिना किराया दिये हुए, लखनऊ में स्थित किसी ऐसे भवन में आवास प्रयोग का अधिकारी होगा, जिसे राज्य सरकार ने एतदर्थ प्रख्यापित किया हो और जब उपर्युक्त प्रकार के आवास की (accommodation) व्यवस्था न की गयी हो, तो उसे उस दर से प्रतिकर भत्ता मिलेगा, जो नियमों द्वारा नियत की जाय।

(ख) राज्य सरकार ऐसे भवन के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अन्य व्ययों (charges) के सम्बन्ध में नियम बना सकती है।"

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के शब्द "धारा २-क" तथा शब्द "निकाल" के बीच में शब्द "तथा धारा २-ख" रख दिये जायं।

इस संशोधन से मेरा तात्पर्य यह है कि माननीय सदस्यों को जो आवास दिया जा रहा है उनको निःशुल्क कमरे देने की जो बात लायी गयी है, उसका मैं विरोध करता हूं। हमारे जो यह आवास बनाये जा रहे हैं उन पर जनता के राज्य-कोष का बहुत बड़ा धन व्यय किया जा रहा है। जब दस रुपये रोज का एलाउंस और दो सौ रुपये माहवार तनख्वाह सदस्यों को दी जाती है, तो उनसे आवास किराया भी लिया जाना चाहिए और इसी प्रकार पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज, डिप्टी मिनिस्टर्स से, स्टेट मिनिस्टर्स से, और मिनिस्टर्स से तथा चीफ मिनिस्टर और जितने भी उच्चवर्ग के अधिकारी हैं, उन सब से आवास का किराया लिया जाय। मैंने संशोधन आपकी मेज पर रख दिया है और इसके बाद जो मुझे कहना होगा, वह डिबेट के बाद कहूंगा।

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, खंड ३ की जो उप-धारा है, उसके जरिये से जो माननीय सदस्यों को एकोमोडेशन दी जाती है, उसके लिए यह रखा गया है कि उन्हें कोई किराया उसका नहीं देना होगा। बहरहाल यह भी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर दो रायें हो सकती हैं। इसमें शक नहीं कि जिस वक्त माननीय सदस्य लखनऊ आते हैं यहां एक मुद्दत तक उनका कयाम रहता है। यह मुमकिन नहीं है कि बिला किसी तरह के ठिकाने के ४३० मेम्बरान आराम से रह सकें। उनके लिए जगह का इन्तजाम करना बहुत जरूरी होता है। अब, इसका किराया लिया जाय या न लिया जाय यह एक मसला है जिसके ऊपर अर्से से गौर हो रहा है। पहले किराया मुकर्रर था। किराये के बिल वगैरह बना करते थे और किराया मांगा जाता था। लेकिन तजर्बा यह हुआ कि माननीय सदस्यों को यह किराया देना कुछ अच्छा नहीं लगता। इस वजह से आखिर में सरकार ने यह तय किया कि बहरहाल जगह तो देनी है। मकानात बन गये हैं। उसमें वह रहते हैं। अगर इसका किराया न लिया जाय तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा और इससे मेम्बरों को सहूलियत होगी। इस वजह से यह लाया गया है। सरकार यह समझती है कि यह जरूरी तरमीम है और मेरे खयाल में इसके ऊपर एतराज नहीं होगा, और माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, हमारे यहां जब कोई कार्य करने हम लोग चलते हैं तो पहले शकुन देखा जाता है। श्रीमन्, इस वजह से मुझे अफसोस है कि थोड़ा सा अशकुन जरूर हो गया है। अशकुन केवल यह हो गया है कि एक सम्मानित सदस्य ने छींक दिया है इस कारण संशोधन गिर जायगा। लेकिन फिर भी मैं आप की सेवा में कुछ अर्ज करूंगा। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि कल से आज तक इस बिल पर सभी तरह के संशोधनों पर और सब तरह की बातों पर बहुत से भाषण हुए, कुछ संसदीय भाषा में हुए।

श्री उपाध्यक्ष---कल क्या हुआ इसके कहने की क्या जरूरत है? इस संशोधन पर जो जवाब माननीय मन्त्री जी ने दिया उसी का जवाब देने का आपको अधिकार है।

श्री शिवप्रसाद नागर---यह संशोधन जो मैंने पेश किया है इसका ताल्लुक तो पूरे बिल से है और जो कुछ बिल में आया है उस में नीचे से ऊपर तक इसका जिक्र कल भी हुआ है और आज भी हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---जब संशोधन आपने रखा था, उस समय पूरी बात कहने का मौका था। उस समय आपने कहा नहीं। माननीय मन्त्री ने जवाब दे दिया। अब उनके जवाब के उत्तर में जो आप कहना चाहें, सिर्फ उसकी इजाजत दी जा सकती है।

(श्री शिव प्रसाद नागर के खड़े न होने पर) तो आपको कुछ नहीं कहना है, इसका मतलब यह है?

श्री शिवप्रसाद नागर---अच्छा साहब, कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय शिवप्रसाद नागर जी का जो संशोधन है जरा माननीय सदस्यों की समझ में न आया होगा। वह मैं साफ कर देता हूं---"खंड ३ में प्रस्तावित धारा २-ख निकाल दी जाय"। क्योंकि २-क सरकार भी निकाल रही है। तो जोर उनका २-ख पर है।

प्रश्न यह है कि खंड ३ में प्रस्तावित धारा २-ख निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री रामशरण यादव का नाम पुकारा।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी इच्छा यह है कि अपने संशोधन को पेश करने का अधिकार वे मुझे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---जी हां, तो आप इसको पेश कीजिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा २-ख के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "में" तथा शब्द "आवास" के बीच में शब्द "उपयुक्त" रख दिया जाय।

इस संशोधन के सम्बन्ध में मुझे कोई लम्बी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही निरपराध संशोधन है और इसके आगे जो बहुत से संशोधन दिये गये हैं वह सब भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उपयुक्त आवास से मेरा मतलब यह है कि कम से कम हर सदस्य के लिए अलग-अलग एक कमरा अवश्य हो जिसमें कि शौचालय और बाथरूम दोनों चीजें अलग-अलग हों। इसके अलावा मैंने तो यह भी निवेदन किया था कि ज्यादा अच्छा यह हो कि उपयुक्त आवास की दृष्टि से डबल रूम्स की व्यवस्था बिलकुल न रहे, जिसमें कि दो सदस्य रखे जायं। यह बीस-बीस हजार बाईस-बाईस हजार के खर्चे पर जो एक एक कमरे बनाये गये हैं जिनमें कि दो-दो सदस्य रखे जाते हैं उससे कम में ही दस-पन्द्रह हजार में ही बहुत अच्छी तरह से अच्छे आवास ऐसे बन सकते हैं जिसमें कि दो कमरे सदस्यों को दिये जा सकें, जिससे कि उनकी प्राइवेसी भी रहे, उनकी फैमिली भी रह सके और सरकार का खर्चा भी आज से कम हो। सरकार के ऊपर भार न पड़े। तो उपयुक्त आवास इस माने में मैं मानता हूं। लेकिन इस समय जो कि आवास विद्यमान हैं उनके सम्बन्ध में भी उपयुक्त आवास मिलने के लिए एक असुविधा होती है, उसकी ओर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह असुविधा यह है कि आवासों के एलाटमेंट का अधिकार या भार माननीय वित्त मन्त्री महोदय पर है। मेरा निवेदन यह है कि किसी माननीय मन्त्री के लिए भी यह बड़ा एम्बैरेसिंग और गलत है कि उनके हाथ में विधायकों के आवास का एलाटमेंट हो, क्योंकि सब लोग यह जानते हैं, सर्वसम्मत बात है कि ईश्वर भी न्याय करता हो, लेकिन जब अधिकार हाथ में रहता है तो ईश्वर के साथ में भी एक पक्ष हो और दूसरे पक्ष के लोग भी हों, तो चाहे वह न्यायपूर्वक ही काम करे, लेकिन दूसरे पक्ष को यह शिकायत पैदा हो जाती है कि न्याय से काम नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए सब बातों में, न्याय के मामले में, वेतन के मामले में, नियुक्तियों के मामले में, मंत्रियों से यह अधिकार अलग कर के दूसरों को दिया जाता है। इसके अलावा मैं यह भी जानता हूं, जैसा कि दिल्ली में शायद है, अब क्या है इन दिनों मुझे नहीं मालूम, लेकिन केन्द्रीय असेम्बली के जमाने में वहां बड़ा अच्छा तरीका था। वह तरीका यह था कि आवासों को श्रेणी में बांट दिया गया था, जैसे कि यहां भी नैनीताल क्लब के आवासों को दो श्रेणियों में बांटा गया है और सदस्यों से यह पूछा जाता है कि आप इन श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी का कमरा चाहते हैं। उनसे प्रिफरेंसेज मंगा लिये जाते हैं। इसी तरह से यहां भी श्रेणियों में बांट दीजिये। दो, तीन, चार जितनी भी श्रेणियां

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

हों, उनमें बांट दीजिये और सदस्यों से उनके प्रेफरेंसेज मंगा लीजिये। उनके आ जाने पर जितने ऐसे कमरे हों जहां कि सिर्फ एक ही सदस्य का प्रेफरेंस आया हो वह उनको आटोमेटिकली मिल जायगा। जहां एक से अधिक प्रेफरेंस हो वहां की व्यवस्था यह है कि मिनिस्टर या इस्टेट आफिसर उनका निर्णय नहीं करता। लाट्स ड्रा कर लिये जाते हैं और उन लाट्स के आधार पर तीन, चार सदस्यों ने अगर एक ही कमरे के लिए प्रिफरेंस दिया है तो लाट जिनके नाम आ जाय उनको वह आवास एलाट कर दिया जाता है। इस तरह से करने से किसी अधिकारी के ऊपर भी ऐसा भार नहीं पड़ता और न किसी मिनिस्टर के ऊपर ही पड़ता है। मिनिस्टर के ऊपर तो और नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मिनिस्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वह एक पार्टी का नेता होता है, और जैसा मैंने आपसे कहा कि केन्द्र में यही व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था यहां हो जाय तो जितने आवास उपलब्ध हैं उनमें भी सदस्यों को अपनी-अपनी मर्जी के मुताबिक प्रिफरेंस के जरिये एक उपयुक्त आवास मिलने में आसानी हो। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय जो नियम हैं एलाटमेंट के, उनमें आवश्यक संशोधन करेंगे। इससे अधिक मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना चाहता। जैसा कि मैंने निवेदन किया ज्यादा बहस की बात नहीं है, लेकिन जो संशोधन आगे आये हुए हैं, और वे सब दलों की ओर से हैं, उनसे पता चलता है कि इस मामले में सब लोग सर्वसम्मत हैं कि जो आवास की व्यवस्था है। उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। इसलिए इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

*श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो बहस की उसका कोई ताल्लुक तरमीम से नहीं है। जहां तक संशोधन का ताल्लुक है वह तो यह है कि उपयुक्त आवास होना चाहिए, यानी सूटेबिल एकोमोडेशन मेम्बरान के लिए होनी चाहिए, लेकिन जिस बात की उन्होंने शिकायत की वह यह है कि जो एकोमोडेशन है वह सही तरीके से तकसीम नहीं होता है, तो यह तो बिलकुल दूसरी चीज है। तो जहां तक एकोमोडेशन की तकसीम का ताल्लुक है लफ्ज "सूटेबिल" रख देने से तो उसमें भ्रम पैदा हो जायगा। फिर जहां तक "सूटेबिल" का ताल्लुक है, एक साहब एक चीज को सूटेबिल कहेंगे और दूसरे साहब उसे अनसूटेबिल कहेंगे। तो यह तय करना कि क्या सूटेबिल है और क्या अनसूटेबिल है बड़ा मुश्किल है और इससे बड़ी कठिनाई बढ़ जायगी। लफ्ज "सूटेबिल" रखने से कोई मतलब नहीं निकलता।

जहां तक उनकी शिकायत कमरों के एलाटमेंट के सम्बन्ध में है, यह मसला दूसरे एक माननीय मन्त्री से मुताल्लिक है और उसका कोई एक तरीका होना चाहिए यह एक अलग चीज है और मुझे यकीन है कि अगर माननीय पालीवाल जी माननीय मन्त्री जी से इसके मुताल्लिक जिक्र करेंगे और कोई बेहतर तरीका एलाटमेंट का उनके सामने रक्खेंगे तो यकीनन वे उस पर गौर करेंगे और कोई न कोई रास्ता निकलेगा जो उनके लिए भी इत्मीनान बख्श हो और माननीय मन्त्री जी भी उस पर राजी हो जायं। लेकिन वह एक अलग चीज है। जहां तक इस तरमीम का ताल्लुक है इससे किसी तरह से फायदा नहीं होता, बल्कि कानून में एक किस्म से उजलत हो जाती है और इस बात का अन्देशा है कि उस से ज्यादा गड़बड़ हो और मामला साफ न हो।

जो कुछ एकोमोडेशन है माननीय सदस्य उसे जानते हैं। आज कोई नयी नहीं बनी है। अर्से से बनी है। सूटेबिल है तो वह है और अनसूटेबिल है तो वह है। यह तजवीज नहीं है कि उसे गिरा कर कोई नयी एकोमोडेशन बनायी जाय। बहरहाल जो कमी हो रही है वह पूरी हो रही है। मुख्तलिफ किस्म के कमरे बन रहे हैं और कोशिश हो रही है कि जहां तक हो सके माननीय सदस्यों को आराम मिले। चूंकि 'सूटेबिल' लफ्ज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, लिहाजा मैं उसे मंजूर नहीं करता, उसको अपोज करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उपयुक्त शब्द की परिभाषा बतला दी है और वह यह है कि कम से कम एक कमरा हो हर सदस्य के लिए और उसके साथ कम से कम एक अलग शौचालय और स्नानागार हो। उपयुक्त के मानी में इतना समझता हूं। अगर माननीय मन्त्री की भावना यह हो कि वे उसको मान लें तो उपयुक्त शब्द की व्याख्या वे नियमों में कर सकते हैं और वह व्याख्या यह हो कि एक-एक कमरा अलग-अलग होगा और उसमें एक शौचालय और एक स्नानागार अवश्य हो। हां, मानना न मानना उनके अधिकार में है। मैं ऐसी आशा तो करता भी नहीं कि वे मानेंगे। लेकिन मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं सही बात कहूं, मानें या न मानें यह उनका काम है।

एलाटमेंट का जहां तक सम्बन्ध है, मुझे कोई अपने बारे में व्यक्तिगत शिकायत नहीं है।

व्यक्तिगत शिकायत हो भी, तो मैं अपनी डिगनिटी के विरुद्ध समझता हूं कि कोई व्यक्तिगत शिकायत करूं। यद्यपि मैं यह जानता हूं कि बहुत से सदस्यों को यह शिकायत है, फिर भी जैसा मैंने कहा, दूसरी बात को भी मैं स्तर के विरुद्ध समझता हूं कि इस तरह की शिकायतें यहां सदन में लाकर कीचड़ उछालूं। इसलिए मैंने व्यक्तिगत शिकायतों की बात नहीं कही थी, एक सिद्धान्त की बात कही थी कि मन्त्री जी के खुद के एम्बरेसमेंट को बचाने के लिए एसा परिवर्तन कर दिया जाय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि सम्बन्धित मन्त्री इस पर विचार करें। वह करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर मंत्रिमंडल इस पर विचार करे और इसको नियम में ही परिवर्तित कर दें, कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, तो अच्छा होगा। वैसे जो उचित समझें, वह करें।

श्री उपाध्यक्ष---(न्याय मंत्री से) आपको कुछ कहना है ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि जहां तक दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही, उससे मुझे एतराज नहीं है। वह तो ठीक ही है, उसके मुताबिक नियम बन जायं या कोई हाउस कमेटी हो उससे तय हो जाय, वह तो अपनी जगह पर है; लेकिन "उपयुक्त" को रखकर उसकी तारीफ करना, उसकी डेफिनीशन अगर यह बतला दें कि उसमें बाथरूम हो, एक कमरा हो, या एक साथ में बवर्चीखाना हो, या उसके साथ में मोटर गैराज हो, तो वह एक तूल अमर हो जायगा, इसलिए मैं उसकी मुखालिफत करता हूं।

जहां तक दूसरी बात है वह यकीनन तय हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा २-ख के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "में" तथा शब्द "आवास" के बीच में शब्द "उपयुक्त" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा २-ख के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "आवास" और शब्द "प्रयोग" के बीच में शब्द "प्रत्येक सदस्य के लिए जिसमें कम से कम एक कमरा और बाथरूम होगा के" रख दिये जायं, यह संशोधन रखना चाहती हूं।

मेरा मतलब इस संशोधन के रखने से यह है कि प्रत्येक सदस्य के काम करने के लिए जैसा कि कल हाउस में भी बहुत से भाइयों ने अपने भाव व्यक्त किये थे, स्वतंत्रता से काम करने के लिए मनुष्य को रहने का भी एक स्वतंत्र रूप से सहारा होना चाहिए, जिससे कि वह अपना कार्य सुचारु रूप से कर सके। और बहुत सी बातें जो कि सदन में बतायी गयी हैं, उनको मैं यहां दोहराना नहीं चाहती, केवल इतना मात्र जोर देना उचित समझती हूं कि जो महिला सदस्याएं हैं उनके लिए तो असम्भव सा हो जाता है कि वह दूसरे साथी के साथ में रह सकें। हमारे साथ में जो बहिनें हैं वह भी रखी जायं, इससे भी हम लोगों को दिक्कत होती है और इसमें कोई छोटे

[श्रीमती चन्द्रावती]

कमरे या बड़े कमरे की कैटेगरी न रखी जाय, जैसा कि कमरे का हिसाब किताब सरकार के सामने है वह होना चाहिये, किन्तु उसमें यह रखना चाहिये कि वह कमरा अलग ही हो तो अच्छा है, क्योंकि हर एक तरह से सुविधा हो तो काम करने में अच्छी तरह से उपयुक्त होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्री महोदय न "उपयुक्त" शब्द के सम्बन्ध में जो कठिनाई बतायी थी वह भी दूर हो गयी और इसीलिए मैं उनसे कह रहा था। मैं जानता था अपनी जगह पर कि "उपयुक्त" शब्द को नहीं मानेंगे तब भी उनको निकलकर भागने का रास्ता आसानी से नहीं मिलेगा, और इसलिए मैं माननीया चन्द्रावती के संशोधन का समर्थन करता हूं, और उसमें चूंकि किसी प्रकार की ऐम्बीगुइटी नहीं है, बहुत साफ कहा गया है कि एक सदस्य के लिए एक कमरा और बाथरूम हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि वह इसको इसलिए मान लग चूंकि वह ठीक ह, इसलिए मान लेंगे चूंकि वह उनके तर्क के अनुसार ठीक है और इसलिए भी मान लेंगे कि उसको एक महिला ने पेश किया है। मैं देखता हूं कि तीन-तीन गुणों के होते हुये भी माननीय मंत्री जी अपने हठ पर कायम रहेंगे या एक बार यह दिखायेंग कि यहां कुछ विवेक और सद्बुद्धि से भी काम होता है।

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त पालीवाल जी को कुछ महसूस न हो इसलिये मैं इस संशोधन को भी मंजूर नहीं करता हूं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इस वक्त जो कुछ एकोमोडेशन हमारे पास है उसको पुराने माननीय सदस्य मेरे ख्याल में पांच वर्षों से ज्यादा जान गये हैं और बाकी माननीय सदस्य भी ३-४ महीने से वाकिफ हो गये हैं कि किस किस्म की एकोमोडेशन है। अगर उसकी तकसीम में या एलाटमेंट में कोई दिक्कत है तो उसको हम हमशा दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी कोई शर्त कानून में मान लें कि कम से कम एक कमरा और बाथरूम हर माननीय सदस्य को देंगे तो यह हमारे इमकान के बाहर होगा। इसके माने यह होंगे कि फौरन ही लाखों रुपये लगा कर इमारतें बनवाई जायं और ५०० मेम्बरों को एकोमोडेशन मुहैया करें। यह चीज अभी गवर्नमेंट के इमकान में नहीं है और हम इसको मुनासिब भी नहीं समझते हैं। मैं समझता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब श्रीमती जी को एक कमरे का कहीं न कहीं इन्तजाम कर देंगे। लेकिन आम-तौर स इस चीज को विधेयक में रख देना, इसको हम मंजूर नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको वापस लेती हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पांच बजने में अब बीस मिनट रह गये हैं और पांच बजे तक हमें इसे पास कर लेना है। इसलिये मैं सदस्यों का नाम पुकारूंगा और जो माननीय सदस्य खड़े हो जायंगे उनका मैं संशोधन उपस्थित कर दूंगा। इसी तरह से कार्य होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा सा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। इसमें इतना लिखना रह गया है कि खंड ३ (क) जोड़ा जाय। यह उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव चैम्बर्स (मेम्बर्स एमोल्यूमेंट्स) ऐक्ट, १९५२ में अमेंडमेंट है। इसमें आप देखेंगे कि यह एक ऐक्ट से ही संबंधित नहीं है बल्कि दो तीन ऐक्टों से है। मेरा अमेंडमेंट इसी ऐक्ट के सिलसिले में है। इसलिये यह बहुत जरूरी है। अगर यह अमेंडमेंट नहीं किया जायगा तो राज्य मंत्री दो तनख्वाहों का हकदार हो जायगा, एक तो मंत्री की हैसियत से १,२०० रुपये वाली का और दूसरे २०० रुपये मेम्बर वाली का.....

श्री उपाध्यक्ष—आपने बात कहना शुरू कर दिया है, या तो आप संशोधन पेश करें या संशोधन में सुधार करके भेज दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, सुधार कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप सुधार करके भेज दीजिये तो उस पर मैं राय ले लूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खंड ३ को खंड ३-क लिखा जाय व खंड ३ इस प्रकार रख दिया जाय :--

"लेजिस्लेटिव चेम्बर्स (मेम्बर्स एमाल्यूमेंट्स) ऐक्ट, १९५२ की धारा ३ में शब्द 'अध्यक्ष' के बाद शब्द 'उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन, राज्य-मंत्री' बढ़ा दिये जायं।"

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो आपका पहला संशोधन है उसमें "धारा २" के स्थान पर "धारा ३" रखने से आपका काम चल जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ३ को खंड ३-क लिखा जाय व खंड ३ इस प्रकार रख दिया जाय--

"३--मूल अधिनियम की धारा ३ में शब्द 'अध्यक्ष' के बाद शब्द 'उपाध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन, राज्य-मंत्री' बढ़ा दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३-क के पश्चात् नया खंड ३-ख जोड़ दिया जाय--

"३-ख--मूल अधिनियम की धारा ३ के शब्द 'चेयरमैन' के बाद शब्द 'राज्य मंत्री' बढ़ा दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग बने।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४--उत्तर प्रदेश राज्य-विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उप-बन्धों) का अधिनियम, १९५६ में--

(१) धारा ५ में शब्द "मंत्री" के पश्चात् शब्द "राज्य-मंत्री" तथा विराम चिन्ह "कामा" रख दिये जायं, तथा

(२) धारा ११ में शब्द "मंत्री" जहां कहीं भी वह आया हो, के पश्चात् शब्द "राज्य-मंत्री" तथा विराम चिन्ह "कामा" बढ़ा दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ८, १९५६ का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) और (२) निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग बनाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ५

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि विधेयक के अन्त में निम्नलिखित नया खंड ५ के रूप में जोड़ दिया जाय--

"५--खंड ३ के उपखंड (२) में प्रस्तावित धारा २-ख के भाग (क) तथा (ख) के अन्तर्गत जो नियम बनाये जायंगे वे सरकारी गजट में प्रकाशित होते ही लागू हो जायंगे लेकिन इन नियमों को सदन के पहले ही सत्र में शीघ्रातिशीघ्र सदन की मेज पर चौदह दिन के लिए रखा जायगा और उन संशोधनों और परिष्कारों के अधीन होगा जो सदन उसमें करना उचित समझे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्ष-नाम तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलाएगा।

(२) यह ९ अप्रैल, १९५७ को तथा से प्रचलित हुआ समझा जाएगा।

श्री मलिखान सिंह--श्रीमन्, खंड १ के उपखंड (२) में यह है कि यह ९ अप्रैल, १९५७ से प्रचलित हुआ समझा जाय। कल भी इसके वादविवाद में...

श्री उपाध्यक्ष--वह सबके सामने स्पष्ट है। अब चूंकि समय नहीं है इसलिये आपको भाषण करने का मौका नहीं दिया जा सकता। कोई गलतफहमी आपके संशोधन के बारे में नहीं है।

श्री मलिखान सिंह--पहली अप्रैल से जिन सदस्यों ने अन्तराल के फार्म भरे हैं उनसे पैसा वापस लिया जायगा। इसका मतलब यह है कि जिस समय से अन्तराल भरे हैं मंत्रियों ने, उस समय से उनको तनख्वाह दी जाय। मेरा संशोधन यह है कि इसको निकाल दिया जाय और जिस दिन से यह पारित हो उस दिन से तनख्वाह दी जाय।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में एक अमेंडमेंट आ रहा है जिसके मंजूर कर लिये जाने के बाद यह गलतफहमी दूर हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री मलिखान सिंह से) ऐसी हालत में आप इसको वापस लेना चाहेंगे?

श्री मलिखान सिंह--मैं इसको वापस नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(२) जिस तिथि को पारित हो उसी से प्रचलित समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के छपने में दो गलतियां रह गई हैं वह इस प्रकार हैं कि पहली पंक्ति के शब्द "खंड" के स्थान पर शब्द "धारा" होना चाहिये और उसी के आगे शब्द "उपखंड" के स्थान पर शब्द "खंड" होना चाहिये। इन संशोधनों के साथ में छपे हुए संशोधन को पेश करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा ३ के खंड (१) द्वारा हुआ संशोधन उसी दिनांक से प्रचलित होगा जिस दिनांक को यह अधिनियम सरकारी गजट में प्रकाशित होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक व प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७

राज्य-मंत्रियों (Ministers of State) को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की तथा राज्य विधान मंडल के सदस्यों से सम्बद्ध कतिपय विषयों की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य-मंत्रियों (Ministers of State) को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की तथा राज्य विधान मण्डल के सदस्यों से सम्बद्ध कतिपय विषयों की व्यवस्था की जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह इस सदन से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं इसका विरोध कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--अवश्य।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मुझे इस बिल के तृतीय वाचन के अवसर पर अपना यह विरोध प्रकट करना है कि इस बिल में बहुत से अंश ऐसे हैं कि जो बिल्कुल निराधार हैं और जिनका उपस्थित किया जाना अनावश्यक था। एक तो राज्य मंत्रियों को बनाना और उनके लिये वेतन का मांगना इसलिये अनुचित था कि अभी हमने बजट में प्रशासन के अन्तर्गत एक मद पास की है कि जिसमें हम ने उनके लिये ९६,००० रुपया रखा है। आज ७५० रुपये के हिसाब से एक राज्य मंत्री का वेतन हुआ करता है। इस सदन ने करीब १० उपमंत्रियों तथा मंत्रियों के वेतन के लिये रुपया मंजूर किया है और यह आशा थी कि सरकार का काम जिस प्रकार से अभी तक प्रारम्भ से चलता रहा है उसी प्रकार से चलता रहेगा। किन्तु न मालूम सरकार को क्यों आवश्यकता दिखाई पड़ी कि मंत्रियों की संख्या बढ़ायी जाय और उनका

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

दर्जा भी अब बढ़ाना चाहते हैं। इसलिये यह बिल बिल्कुल अनावश्यक है और गलत है। इसकी कोई धारा भी बिल्कुल किसी आवश्यकता के लिये नहीं है। अन्य धाराओं पर काफी विवाद हुआ है और एकमत हम नहीं हो सके हैं। इसलिये हम इसके तृतीय वाचन का विरोध करते हैं।

*श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में, जिसका अभी माननीय सदस्य ने विरोध किया है, २, ३ बातें रखी गयी हैं। बाज ऐसी चीजें हैं जो कि पहले ही कानून में पास हो चुकी हैं। इसके मुताल्लिक बहस में बहुत कुछ कहा गया लेकिन वाक़या यही है कि कम से कम इस बिल से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। मिनिस्टर्स आफ स्टेट्स जो बनाये गये हैं, उनका मसला है। बहरहाल, जो शख्स शासन के चलाने की जिम्मेदारी लेता है उसको इसकी जरूरत महसूस होती है कि वह कितने अपने साथी रखे और किस प्रकार से अपने शासन को चलाये। सही राय इसके मुताल्लिक उसी की हो सकती है जिसके कन्धों पर यह जिम्मेदारी डाली जाय। जो कुछ वेतन वगैरह के मुताल्लिक कहा गया है उसका जवाब हो चुका है। इस पर मुझे ज्यादा नहीं कहना है।

सिर्फ एक बात और इसमें रखी गयी है। जो मकानात वगैरह बने हुये हैं, जिनमें माननीय सदस्य रहते हैं उनके मुताल्लिक कुछ संशोधन किया गया है। वह एक ऐसी चीज है जिसको खास जरूरत की वजह से रखा गया है ताकि माननीय सदस्य जो यहां आते हैं उनकी तकलीफ कुछ कम हो जाय। इसलिये उसको रखा गया है और मुझे यकीन है कि हर तरफ से उसको क़बूल किया जायगा। सदन में चाहे जो कुछ कहा जाय लेकिन यह ऐसा प्राविजन है जिसको हर शख्स पसन्द करेगा।

इसके अलावा एक बात यह रखी गयी है कि जब बाहर यहां से मेम्बर साहबान जाते थे तो कुछ उनके भत्ते के लिये था। उसके अन्दर अब संशोधन किया गया है। वह एक ऐसी चीज है जो आवश्यक थी और जिसका तब्दील करना जरूरी था। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर विरोधीदल का फंडामेंटल इख्तलाफ हो। मैं समझता हूं कि जिस तरह से यह कानून लाया गया है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर किसी तरह से कोई मुखालिफत की जाय। मैं समझता हूं यह सदन इसको पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह इस सदन से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--मुझे मालूम हुआ है कि स्थायी समिति के सदस्यों की नामजदगी का समय खत्म हो गया। २५ समितियों में २ समितियां केवल ऐसी हैं जिनमें आवश्यक संख्या से अधिक नाम रखे गये हैं इसके अलावा समितियों में सदस्य कम हो गये हैं। उसकी घोषणा बाद को हो जायगी। दो समितियां ये हैं: विकास नियोजन स्थायी समिति में १५ और चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति में १५। निर्वाचन के लिये ३१ तारीख कल की रखी गई थी। लेकिन चूंकि कल असेम्बली नहीं है, मुझसे निवेदन किया गया है कि वह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हटा कर ६ सितम्बर कर दिया जाय। मैंने वह स्वीकार कर ली है। अब ६ सितम्बर, १९५७ को ११ बजे से ४ बजे तक विधान वाचनालय में चुनाव होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जो निर्विरोध चुने गये हैं उनके नाम तो शायद आप पढ़ ही देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--सूची काफी लम्बी है, इसलिये पत्र द्वारा माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायगा।

अब हम उठते हैं और तारीख २ सितम्बर, सोमवार, को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५८ मिनट पर सोमवार, २ सितम्बर, १९५७ को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
३० अगस्त, १९५७।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५८ पर)

सेन्ट्रल डेयरी फार्म का वार्षिक लाभ तथा हानि का ब्यौरा

१ नवम्बर सन् १९४८ से ३१ मार्च, १९५७ तक।

वर्ष	ब्योरा	रु०	आ०	पा०	
१९४८–४९	.. .. ..	८६,३४०	१५	०	लाभ
१९४९–५०	.. .. ..	५,४३२	६	६	लाभ
१९५०–५१	.. .. ..	१३,४६६	६	६	लाभ
१९५१–५२	.. .. ..	१,५५,३३१	९	५	हानि
१९५२–५३	.. .. ..	१,८२,४८६	३	४	हानि
१९५३–५४	.. .. ..	६,८२९	०	५	लाभ
१९५४–५५	.. .. ..	२३,५६९	७	६	लाभ
१९५५–५६	.. .. ..	२४,४५८	३	६	लाभ
१९५६–५७	.. .. ..	१,९७२	१५	१०	लाभ

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६३ पर)

Statement showing number of patients treated in all classes of medical institutions in Uttar Pradesh during the year 1956

1	2		3	4
Name of District	Total number of patients treated for all diseases		Number of Leprosy cases out of column 2	Number of Eye cases out of column 2
	In-door	Out-door		
Agra	33,842	6,95,341	741	43,856
Allahabad ..	26,683	5,45,366	179	91,612
Aligarh ..	16,173	5,06,588	170	17,523
Azamgarh ..	4,990	2,98,782	628	22,203
Almora ..	3,417	2,57,587	579	29,992
Banda	3,032	1,61,499	135	9,919
Bareilly ..	15,202	3,70,735	325	27,147
Varanasi ..	25,580	5,66,730	2,814	50,836
Bijnor ..	3,253	6,04,214	50	72,920
Bulandshahr ..	8,975	4,53,709	81	50,364
Ballia	4,807	2,26,744	535	3,937
Budaun ..	6,061	3,94,000	273	33,775
Basti	7,801	2,95,354	903	19,327
Bahraich ..	4,603	3,38,641	938	27,367
Bara Banki ..	3,413	2,80,642	829	25,168
Dehra Dun ..	8,813	1,96,967	601	12,319
Deoria ..	5,356	2,73,830	1,507	19,428
Etah	7,063	1,91,028	127	14,891
Etawah ..	7,230	3,15,456	209	31,315
Farrukhabad ..	7,616	2,86,584	157	25,072
Fatehpur ..	4,168	1,30,721	129	19,054
Faizabad ..	8,155	3,66,066	3,588	76,860
Ghazipur ..	3,627	1,68,694	346	17,669
Garhwal ..	2,960	1,01,911	120	21,455
Gonda ..	7,280	3,54,921	1,557	21,010
Gorakhpur ..	13,876	4,36,860	1,046	22,526
Hamirpur ..	1,850	2,02,823	275	3,827
Hardoi	3,777	2,93,479	289	32,085
Jalaun	3,241	1,75,108	102	16,846
Jhansi ..	9,103	1,65,618	191	20,935
Jaunpur ..	4,832	2,06,928	146	10,838
Kanpur ..	26,328	4,66,383	2,912	52,224

Statement showing number of patients treated in all classes of medical institutions in Uttar Pradesh during the year 1956

1	2		3	4
Name of District	Total No. of Patients treated for all diseases.		Number of Leprosy cases out of column 2	Number of Eye cases out of column 2
	In-door	Out-door		
Kheri	4,385	2,84,707	1,103	30,898
Lucknow ..	43,908	3,36,275	1,092	30,531
Meerut	12,564	5,15,448	34	22,599
Mirzapur ..	7,518	2,77,688	147	24,610
Moradabad ..	11,139	5,27,225	156	39,934
Muzaffarnagar ..	4,641	2,16,371	7	20,570
Mathura ..	7,915	2,63,688	49	8,728
Mainpuri ..	3,558	2,35,394	26	16,605
Nainital ..	8,313	3,33,822	205	28,826
Pratapgarh ..	2,919	1,88,048	27	13,682
Pilibhit	4,530	2,11,907	64	20,261
Rae Bareli ..	5,240	3,19,843	220	1,18,449
Rampur ..	5,240	2,02,897	94	17,670
Saharanpur ..	7,161	3,78,919	29	34,384
Shahjahanpur ..	4,479	1,55,012	118	15,754
Sitapur	15,856	3,56,694	806	48,152
Sultanpur ..	4,136	2,59,781	160	18,350
Tehri ..	1,039	80,581	84	4,880
Unnao ..	4,209	2,09,829	206	23,497

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७६ पर)

प्रतिलिपि जिला हरिजन सहायक उपसमिति जिसकी बैठक दिनांक २० मार्च, ५७ को १ बजे दिन में जिला नियोजन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई । उपस्थित :

१—जिला नियोजन अधिकारी ।
२—श्री गजराज प्रसाद, सदस्य, जिला बोर्ड ।
३—श्री हीरा लाल, ग्राम जलाल पुर ।
४—श्री सरदार सिंह, ग्राम वरवरिया
५—श्री जय लाल, प्रधान, मंझला ।
६—श्री हुब लाल, सदस्य, म्युनिसिपल बोर्ड

१—पिछली बैठक की कार्यवाही पर विचार तथा पुष्टीकरण । पढ़ी गई और पुष्टि की गई ।

२—संचालक, हरिजन कल्याण द्वारा स्वीकृत ८,००० रु० कृषि उद्योग अनुदान के वितरण पर विचार । निश्चय हुआ कि जो प्रार्थना-पत्र अभी तक इस कार्यालय में आ चुके हैं उन सबको निम्न प्रकार स्वीकृत किया जाता है जिससे वे बैल खरीदेंगे ।

	ग्रान्ट रु०
१—श्री रामकृष्ण पुत्र छोटकऊ, रहीमाबाद	१५०
२—श्री लोचन चमार, रहीमाबाद ..	१५०
३—श्री मुल्ला चमार, रहीमाबाद ..	१५०
४—श्री बन्देऊ चमार	१५०
५—श्री रूपन चमार	१५०
६—श्री कुशाल चमार	१५०
७—श्री गुरदीन चमार, अरसेलिया ..	३००
८—श्री चुन्ना चमार, तेवां, पहेलवां ..	१५०
९—श्री ईश्वरी धोबी	१५०
१०—श्री कल्लू चमार महिगवां	२००
११—श्री छेदा चमार, प्रथनापुर	१५०
१२—श्री मन्ना	१५०
१३—श्री कल्लू	१५०
१४—श्री जवाहर चमार, महिलरा ..	३००
१५—श्री तुला चमार, सुल्तानपुर (बिलग्राम) ..	१५०
१६—श्री पन्ना चमार	१५०
१७—श्री करन लाल चमार, सोहागपुर ..	१५०
१८—श्री मथुरा पासी, कनौरा	३००
१९—श्री कढ़िले चमार, हरीपुर मुठिया ..	१५०
२०—श्री दुलारे पासी, रामपुर, मुठिया ..	१५०
२१—श्री छोटा चमार हर्रया	१५०
२२—श्री चिन्ता चमार	१५०

	ग्रान्ट रुपया
२३—श्री रघुवीर धोबी, कल्हेपुर	३००
२४—श्री पोहकर पासी	२५०
२५—श्री बीरबल धोबी, कठिगरा, संदीला ..	२५०
२६—श्री गोकुल चमार, जनगांव	२५०
२७—श्री धूरा चमार, जनगांव	२५०
२८—श्री लल्लू चमार, भगवान सेरा ..	१५०
२९—श्री भूधर चमार	१५०
३०—श्री बक्सी चमार, जरारा	३००
३१—श्री छोटे लाल धोबी, टंडियावां ..	२५०
३२—श्री लैकू चमार, पैदापुर	२५०
३३—श्री कुबेर चमार, रामापुर	१५०
३४—श्री होरी लाल चमार, रामापुर ..	१५०
३५—श्री शोभा चमार, रामापुर	१५०
३६—श्री पोहप चमार, रामापुर	१५०
३७—श्री केवल चमार, रामापुर	१५०
३८—श्री गयादीन चमार, खोदाई ..	२५०
३९—श्री रुप्पा अतादरा, पचलाई	२५०
४०—श्री रघुनाथ चमार, जलालपुर ..	२५०
४१—श्री द्वारका चमार, चचरापुर	१५०
४२—श्री मथुरी चमार, चचरापुर	१५०
योग	८,०००

१—जिला हरिजन कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या एच० डी० जी०। १७१००३५—१८(५६)१९१, दिनांक फरवरी ४, १९५७ जिसमें हरिजनों के कूप, मकान तथा कृषि सम्बन्ध में सहायता प्राप्त हुई। (अ) कुआं १२,००० रु० सहायता (भारत सरकार)

निश्चय हुआ कि विकास अधिकारी बावन तथा हरिजन सुपरवाइजर ने जो प्रार्थना-पत्र कूप निर्माण हेतु व मकान निर्माण हेतु भेजे हैं उनको निम्न प्रकार से मंजूर किया जाता है।

	रु०
१—श्री बच्चूलाल, गुलामऊ	७५०
२—श्री गिरवर, सकतपुर	७५०
३—श्री शिवराज, बरखेरा	७५०
४—श्री नरपति, मझेरापुरवा मजरा, मानपुर. .	७५०
५—श्री मिट्ठू, सकरा	७५०
६—श्री दयाराम, कुरोरी	७५०
७—श्री भग्गा, गत्थना	७५०
८—श्री निहाला, सुहेरी	७५०
९—श्री इंदल, चिन्तालपुर	७५०
१०—श्री जेजेराम, खमरिया	७५०
११—श्री बुद्धा, भिढारी	७५०
१२—श्री लेक्खा, कुअरापुर	७५०
१३—श्री मन्ना, बाजपुर नकटौरा	७५०
१५—श्री खिम्मा, बरसोहिया	७५०
१५—श्री पोहप, चांदे पुरवा बरसोहिया ..	७५०
१६—श्री मंगा, बरवन	७५०
योग	१२,०००

		रु०
(ब) मकान ३७,५०० रुपया सहायता (भारत सरकार)	१—श्री घासी, अमखेखा	७५०
	२—श्री म्यौनी भंगी, मानपुर	७५०
	३—श्री मलूके भंगी, मानपुर	७५०
	४—श्री भगवन्नू भंगी, मानपुर	७५०
	५—श्री बेनी, बाबन	७५०
	६—श्री कहू, बाबन	७५०
	७—श्री झिगुरी, बाबन	७५०
	८—श्री रामस्वरूप, बाबन	७५०
	९—श्री कन्हई, बाबन	७५०
	१०—श्री गन्ना, बाबन	७५०
	११—श्री मैकू, बाबन	७५०
	१२—श्री गुमानी, बाबन	७५०
	१३—श्री छत्तर, बाबन	७५०
	१४—श्री भूधर, बाबन	७५०
	१५—श्री दलगंजन, बावन	७५०
	१६—श्री शंकर, बाबन	७५०
	१७—श्री मलूप, बाबन	७५०
	१८—श्री प्यारे लाल, बाबन	७५०
	१९—श्री रामलाल, बाबन	७५०
	२०—श्री इतवारी, बाबन	७५०
	२१—श्री गुरदयाल, बाबन	७५०
	२२—श्री उमराम, बाबन	७५०
	२३—श्री किदर, बाबन	७५०
	२४—श्री बड़कौनू, बावन	७५०
	२५—श्री लोकनाथ, बाबन	७५०
	२६—श्री बिहारी, बाबन	७५०
	२७—श्री विस्सा, बाबन	७५०
	२८—श्री तन्सुख, बाबन	७५०
	२९—श्री हीरा लाल, बाबन	७५०
	३०—श्री धन्ना, बाबन	७५०
	३१—श्री अम्बर, अमखेरवा	७५०
	३२—श्री बच्चूला, गुलामऊ	७५०
	३३—श्री मकरन्द, गुलामऊ	७५०
	३४—श्री उमराम, गुलामऊ	७५०
	३५—श्री कल्लू, गुलामऊ	७५०
	३६—श्री हीरा, गुलामऊ	७५०
	३७—श्री जब्बर, गुलामऊ	७५०
	३८—श्री बोदिल, गुलामऊ	७५०
	३९—श्री गोकुल, गुलामऊ	७५०
	४०—श्री हेमचल (खमारीपुर)	७५०
	४१—श्री इन्दा, बरबन	७५०
	४२—श्री कुन्दन। जमुनी पुरवा (गंगोली) ..	७५०
	४३—श्री कल्लू, जमुनी पुरवा (गंगोली) ..	७५०
	४४—श्री छोटा, जमुनी पुरवा (गंगोली) ..	७५०

		रु०
४५—श्री छेदा, जमुनी पुरवा (गंगोली)	..	७५०
४६—श्री झंगुरी भंगी, मानपुर ..	..	७५०
४७—श्री सरदार, मानपुर ..	..	७५०
४८—श्री चोखेलाल, अमखेरबा ..	..	७५०
४९—श्री मथुरी, मानपुर ..	..	७५०
५०—श्री मनोहर, मानपुर ..	..	७५०
	योग	३७,५००

(स) कृषि संबंधित सहायता ५१०० रुपये (भारत-सरकार)

निश्चय हुआ कि विकास अधिकारी बाबन को फिर से लिखा जाय कि वे १७ हरिजनों के बैल खरीदने हेतु नाम व प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में शीघ्रातिशीघ्र दाखिल करें। ये प्रार्थना-पत्र कृषि नियमों के आधार पर भेजे जावेंगे।

मंत्री ह०एन०एस० अन्सारी, जिला हरिजन सहायक उप-समिति, हरदोई।

अध्यक्ष ह०एन०एस० अन्सारी, जिला हरिजन सहायक उप-समिति, हरदोई।

स्वीकार है।

ह० नि० सिंह देव

१७-६-५७

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८७६ पर)

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १६५७

पर

संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट

हम, संयुक्त प्रवर समिति के निम्न हस्ताक्षरित सदस्यों को उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १६५७ विचारार्थ दिया गया था। हमने इस विधेयक पर विचार कर लिया है और अब हम संलग्न विधेयक के साथ, जिस रूप में हमने इसका संशोधन किया है, अपनी यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

२—समिति ने अपनी बैठकें १२, १३, १७, १८, १६, २०, २१, २२, २४, २५ तथा २६ जून, १६५७ को नैनीताल स्थित सचिवालय में और १७, १८, २६, २७, २६ तथा ३० जुलाई व ५, २२ तथा २८ अगस्त, १६५७ को विधान भवन, लखनऊ में स्वशासन मन्त्री श्री विचित्र नारायण शर्मा जी के सभापतित्व में की।

३—हमने विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार कर के बहुत से संशोधनों का प्रस्ताव किया है परन्तु उनमें सभी संशोधन बराबर महत्व के नहीं हैं। विधेयक के महत्वपूर्ण संशोधन नीचे दिये जाते हैं:

विधेयक का खंड ५—हमने स्थायी समिति का नाम बदल कर कार्य-कारिणी समिति (Executive Committee) कर दिया है।

विधेयक का खंड ६—हमनें सिफारिश की है कि किसी निगम के कौंसिलरों की अधिकतम संख्या ६० से अधिक न होनी चाहिए और ऐल्डरमेन की कुल संख्या कौंसिलरों की संख्या के ६वें भाग के बराबर होनी चाहिए।

हम ने उप-खंड (३) निकाल दिया है क्योंकि हम समझते हैं कि सरकार द्वारा एल्डरमेन का नाम निर्देशन आवश्यक नहीं है।

विधेयक का खंड ७—हमने उपखंड (२) में संशोधन कर दिया है जिसमें यह व्यवस्था थी कि अनुसूचित जातियों के लिए संरक्षण (reservation) २५ जनवरी, १६६० ई० के पश्चात् प्रभावी न होगा। संविधान में संशोधन होने की दशा में इस खंड के उपबन्धों में संशोधन की आवश्यकता न पड़े, इस बात का विचार करके हमने यह व्यवस्था की है कि अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का संरक्षण (reservation) तब तक बना रहना चाहिए जब तक कि वह संविधान में वर्तमान है।

विधेयक का खंड ८—चूंकि कौंसिलरों के वार्षिक तथा एल्डरमेन के द्विवार्षिक सेवा निवृत्ति (retirement) क पक्ष में हम नहीं हैं इसलिए इस खंड में संशोधन कर के हमने यह व्यवस्था की है कि निगम का कार्यकाल ५ वर्ष होगा। यह भी व्यवस्था की गयी है कि निगम का कार्यकाल २ वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है—यदि आवश्यक हो तो प्रायः एक वर्ष के लिए और आपात (emergency) की स्थिति हो तो एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

विधेयक का खंड ११—हम समझते हैं कि मेयर के रूप में निर्वाचन के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों की योग्यतायें स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी जायं। हमारा यह भी मत है कि लगातार दो बार मेयर के पद पर रह चुकने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति मेयर के रूप में निर्वाचन के लिए खड़ा होना चाहे तो उस पर कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिए। इस खंड में तदनुसार परिवर्तन कर दिया गया है।

विधेयक का खंड १२—हमने यह व्यवस्था कि है कि मेयर और डिप्टी मेयर का निर्वाचन आनुपातिक प्रणाली (system of proportional representation) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होगा।

विधेयक का खंड १४—हमने मेयर की पद स्थिति के प्रश्न पर सावधानी तथा गम्भीरतापूर्वक विचार किया है। इस सिलसिले में एक बार हम लोगों का यह भी मत हुआ था कि मेयर को कार्य-कारिणी समिति तथा विकास समिति का पदेन सभापति (*ex officio*, Chairman) होना चाहिए, किन्तु उसका कार्यकाल निगम के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जावे इसके कारण उसके विरुद्ध विधेयक में अविश्वास के प्रस्ताव के लिए उपबन्ध रखने की आवश्यकता पड़ती। किन्तु देश के अन्य निगमों में मेयर की स्थिति तथा इस पद की गरिमा को देखते हुए हमने यह सोचा है कि मेयर को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए। तदनुसार हमने सिफारिश की है कि खंड ५० और ५३ मेंमेयर की बजाय डिप्टी मेयर का कार्य-कारिणी समिति तथा विकास समिति का पदेन सभापति होना चाहिए। हमने यह भी सिफारिश की है कि मेयर का कार्यकाल एक वर्ष होना चाहिए किन्तु डिप्टी मेयर का कार्यकाल निगम के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त हो जावे। डिप्टी मेयर के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के लिए उपबन्ध खंड १४-क में अब रख दिये गये हैं।

विधेयक का खंड १८—हमने सिफारिश की है कि एल्डरमेन के निर्वाचन के लिए आयु ३५ वर्ष के बदले ३० वर्ष होनी चाहिए और शिक्षा सम्बन्धी योग्यता बिलकुल निकाल दी जानी चाहिए।

विधेयक का खंड १९—हमने इस खंड को निकाल दिया है। कौंसिलरों और एल्डरमेन दोनों की पदावधि निगम के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाना चाहिए और तदनुसार खंड २५ में व्यवस्था कर दी गयी है।

विधेयक का खंड २४—इस पूरे खंड का आलेख फिर से तैयार किया गया है और उसे रिप्रेजेन्टेशन आफ़ दि पिपुल ऐक्ट, १९५१ के उपबन्धों के अनुरूप कर दिया गया है। उपखंड (क) को और अधिक व्यापक कर दिया गया है इसलिए एसेंशियल सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४६ तथा यू० पी० कन्ट्रोल ऐण्ड सप्लाईज (टेम्पोरेरी पावर्स) ऐक्ट, १९४७ के विशेष अभिदेश निकाल दिये गये हैं।

विधेयक का खंड ४१—हमने उपखंड ५ में इस आशय का एक प्रतिबन्ध (proviso) बढ़ा दिया है कि उक्त उपखंड के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन निवारक निरोध (preventive detention) का पात्र हो (subjected to)।

विधेयक का खंड ५०—जैसा कि खंड १४ के सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है, हमने सिफारिश की है कि डिप्टी मेयर को कार्य-कारिणी समिति का पदेन सभापति होना चाहिए। इस समिति का कार्यकाल निगम के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त हो जायगा। हमने यह भी सिफारिश की है कि समिति के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा होना चाहिए। हमने यह भी सिफारिश की है कि समिति के आधे सदस्य प्रत्येक वर्ष पारी-पारी (in rotation) से सेवा निवृत्त होंगे। यह खंड तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

विधेयक का खंड ५३—यह खंड भी खंड ५० के अनुसार संशोधित कर दिया गया है किन्तु हमने यह व्यवस्था की है कि संयोजित (co-opted) सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

विधेयक का खंड ६० :७७: —ये खंड निर्वाचन सम्बन्धी विवादों के विषय में हैं। उन्हें रिप्रेजेन्टेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, १९५१ के नवीनतम संशोधनों के अनुरूप कर दिया गया है। तदनुसार न्यायाधिकरण (tribunal) की आज्ञा के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करने के लिए

व्यवस्था कर दी गयी है। हम समझते हैं कि निगम की समिति के सदस्यों के निर्वाचन की निर्वाचन याचिकाएं प्रस्तुत करने का आधार न बनाया जाना चाहिए। तदनुसार खंड ६२ को निकाल दिया है और किसी व्यक्ति के मेयर या डिप्टी मेयर के रूप में निर्वाचन के विरुद्ध निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के निमित्त खंड ६० में व्यवस्था कर दी गयी है।

विधेयक का खंड ८२—हमने उपखंड (३) का जिसमें निगम के सदस्यों के निलम्बन (suspension) का उपबन्ध था, निकाल दिया है। हमने उपखंड (४) में से निलम्बन का उपबन्ध भी निकाल दिया है और यह व्यवस्था की है कि राज्य सरकार ऐसे सदस्य को, जो किसी निर्दिष्ट संक्रामक रोग से पीड़ित हों, यह निदेश दे सकती है कि वह निगम या उसकी किसी समिति की बैठक में तब तक उपस्थित न हो जब तक कि वह रोग मुक्त न हो जाय और निदेश वापस न ले लिया जाय।

विधेयक का खंड ८७—हमने यह व्यवस्था की है कि ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन जिन्हें अधिष्ठाता (Presiding Officer) लगायें, निगम की बैठकें जनता के लिए खुली रहेंगी।

विधेयक का खंड १०५—हम समझते हैं कि निगम का अपना आडिट संगठन हो और म्युनिसिपल चीफ आडिटर उक्त संगठन का प्रधान हो। इसलिए इस खंड में उल्लिखित प्रमुख अधिकारियों की सूची में म्युनिसिपल चीफ आडिटर को भी सम्मिलित कर लिया गया है। उसकी नियुक्ति मेयर द्वारा राजकीय लोक सेवा आयोग से परामर्श करके की जायगी, जैसा कि खंड १०६ उपखंड (१) में व्यवस्था है।

विधेयक का खंड १०६—निगम के मेडिकल आफ़िसर आफ़ हेल्थ को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने के प्रश्न पर हमने सावधानी के साथ विचार किया। इस सम्बन्ध में म्युनिसिपल बोर्डों में स्थिति यह है कि मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं और अधिकांशतः वे इक्जीक्युटिव अफसरों के नियंत्रण से मुक्त रूप में कार्य करते हैं। इस दोहरे नियंत्रण से बोर्डों के सुचारु-रूप से कार्य करने में प्रायः बाधा पहुंचती है। अतएव हमने यह व्यवस्था की है कि मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ की नियुक्ति मेयर द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जायगी। किन्तु हमने यह व्यवस्था की है कि नियुक्तियां विशेषतः (preferably) सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के ऐसे अधिकारियों में से की जायंगी जिन्हें राज्य सरकार प्रतिनियुक्ति (on deputation) पर भेजने के लिए सहमत हो, और ऐसे मामलों में लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक न होगा।

हमने यह भी सिफारिश की है कि अन्य पदों पर नियुक्तियां, जिनका वेतन ५० रुपया से लेकर २०० रुपया तक हो, एक चयन समिति (Selection Committee) द्वारा की जायं, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति (nominee) म्युनिसिपल चीफ आडिटर और उस विभाग का अध्यक्ष जिसके लिए नियुक्त करना है, हो, तदनुसार इस खंड में एक नया उपखंड (क) बढ़ाकर चयन समिति के गठन के लिए व्यवस्था कर दी गयी है।

विधेयक का खंड ११२—हमने निगम के अनिवार्य कर्त्तव्यों में शिशु शिक्षा (nursery education) को सम्मिलित किया है [उपखंड (१) २५]।

हमने उपखंड (२) को निकाल दिया है जिसमें व्यवस्था थी कि इस आधार पर कि उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किन्हीं कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया गया है, निगम या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरुद्ध क्षति (damages) के लिए या किसी विशेष कार्य को करने के लिए (specific performance) कोई वाद (suit) प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

विधेयक का खंड ११३—हमने सिफारिश की है कि निगम के स्वविवेकानुसार कर्त्तव्यों में निम्नांकित बढ़ा दिये जायं :—

(१) नगर के भीतर तथा बाहर स्थित शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान देना [उपखंड (६-क)]।

(२) एक कारपोरेशन बैंक स्थापित करना [उपखंड (३५)]।

(३) बेरोज़गारी (unemployment) दूर करना [उपखंड (४१)]।

विधेयक का खंड ११५—हमने उप-खंड (६-क) में इस प्रकार संशोधन किया है कि म्युनिसिपल चीफ आडिटर म्युनिसिपल कमिश्नर के नियंत्रण से मुक्त रहे। म्युनिसिपल चीफ़ आडिटर के अधिकार तथा कर्त्तव्य एक नये खंड ११५ (क) में निर्धारित कर दिये गये हैं।

विधेयक का खंड १३६—हमने यह व्यवस्था की है कि म्युनिसिपल चीफ आडिटर लेखे की जांच हर दो महीने के पश्चात् करेगा और एक महीने के भीतर कार्यकारिणी समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

विधेयक का खंड १४३—मेयर के पद की गरिमा को दृष्टि में रखकर हम समझते हैं कि बजट में पांच हज़ार रुपये से अनधिक की एक धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिए जिसे मेयर धारा ११२ या ११३ में निर्दिष्ट किसी एक या एक से अधिक विषयों पर स्वविवेकानुसार व्यय कर सके। यह खंड तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

विधेयक का खंड १७०—हमने सिफ़ारिश की है कि सम्पत्ति कर की अधिकतम सीमा इमारत या भूमि के वार्षिक मूल्य के ३० प्रतिशत के बजाय जैसा कि विधेयक में व्यवस्था है, २५ प्रतिशत होनी चाहिए। यह खंड तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

विधेयक का खंड १७१—हमने इस आशय का प्रतिबन्ध बढ़ा दिया है कि यदि निगम ऐसा संकल्प करे तो उन इमारतों या भूमि का वार्षिक मूल्य, जिनमें उनका मालिक स्वयं रहता है, सम्पत्ति कर के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए उस वार्षिक मूल्य से, जो उस खंड के अधीन अन्यथा अवधारित (determine) किया जाय, २५ प्रतिशत कम माना जायगा।

विधेयक का खंड १७४ (इ)—हमने भवन तथा भूमि पर सामान्य कर में छूट की सीमा (exemption limit) ४८ रुपया वार्षिक से बढ़ाकर ६० रुपया वार्षिक कर दी है किन्तु यह छूट इस शर्त के अधीन दी जायगी कि सम्बन्धित मालिक की नगर में कोई दूसरी इमारत या भूमि न हो।

विधेयक का खंड १९२—हमने यह व्यवस्था की है कि वह व्यक्ति, जिसके लिए या जिसके प्रयोजनार्थ वह विज्ञापन प्रकटतः (prima-facie) उक्त रूप में लगाया जाय, प्रदर्शित किया जाय, चिपकाया जाय, या कायम रखा जाय, कर के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार माना जायगा।

विधेयक का खंड २०४—हमने उपखंड (२) निकाल दिया है, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर को कर निर्धारण सूचियां बनाने के सम्बन्ध में नियुक्तियां करने का अधिकार दिया गया था। अब ये नियुक्तियां नियुक्ति करने वाले अधिकारी (appointing authority) द्वारा उन वेतन सीमाओं के अनुसार की जायगी जैसी कि खंड १०६ में व्यवस्था है।

विधेयक का खंड ३२६—हमने यह प्रतिबन्ध बढ़ा दिया है कि किसी नव-निर्मित भवन या किसी वर्तमान भवन में परिवर्द्धन या परिवर्तन सम्बन्धी समाप्ति के प्रमाणपत्र का आवेदन-पत्र दिया जा सकता है और म्युनिसिपल कमिश्नर सम्बन्धित भवन के भाग में भी रहने की अनुमति दे सकता है, यदि उसका समाधान हो जाय कि उक्त भाग रहने योग्य हो गया है।

विधेयक का खंड ३४३—हमने यह अनिवार्य (obligatory) कर दिया है कि जब विकास समिति ऐसी कोई विकास योजना बनाने का संकल्प करे जिससे व्यक्तियों के विस्थापित हो

जाने की सम्भावना हो, तो समिति म्युनिसिपल कमिश्नर को भी निदेश देगी कि वह ऐसे व्यक्तियों के लिए गृह पुनर्निर्माण योजना बनाये ।

विधेयक का खंड ३५०—हमने निगम को अधिकार दिया है कि वह विकास की योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में यथोचित संख्या से अधिक व्यक्तियों को न बसने दें (prevent overcrowding) ।

विधेयक का खंड ३५० (क)—हमने एक नया खंड बढ़ाया है जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि धारा ३४० के खंड (क), (ख), या (छ) में उल्लिखित किसी विकास योजना में नगर की सीमाओं के बाहर चारों ओर २ मील तक का क्षेत्र भी सम्मिलित किया जा सकेगा।

विधेयक का खंड ३६१—हमने यह व्यवस्था की है कि किसी विकास योजना के लिए की जाने वाली भूमि अर्जन की समस्त कार्यवाही योजना की विज्ञप्ति के ५ वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम निर्णय (award) देने की स्थिति (stay) तक समाप्त कर ली जायगी और ऐसी भूमि पर जिस के सम्बन्ध में अर्जन की कार्यवाही इस प्रकार समाप्त न की जा सके और उसके स्वामी और अध्यासी (owner and occupier) पर इस अध्याय के अधीन कोई दायित्व (liabilities) लागू न रह जायेंगे।

विधेयक का खंड ३६४—हमने इस आशय का प्रतिबन्ध बढ़ा दिया है कि किसी योजना के सम्बन्ध में अर्जित भूमि को पट्टे पर देने, बेचने, या उसका विनिमय करने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के विषय में ऐसे व्यक्तियों को वरीयता दी जायगी जिनकी भूमि ऐसी योजनाओं के लिए अर्जित की गयी हो।

विधेयक का खंड ३८७—हमने इस खंड में पदावलि "मनुष्यों के रहने के लिए अयोग्य" (unfit for human habitation) की परिभाषा दे दी है।

विधेयक का खंड ४६७—हमने सिफारिश की है कि कर के विरुद्ध अपीलें डिवीजन के कमिश्नर के बजाय जज को की जायं।

विधेयक का खंड ५२६—हमने प्रतिबन्ध को इस उद्देश्य से संशोधित किया है कि आपात की परिस्थितियों में जब कि राज्य सरकार निगम का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर न दे, तो राज्य सरकार तत्सम्बन्धी कारणों को लिपिबद्ध करेगी।

विधेयक का खंड ५३४—हमने सिफारिश की है कि केवल अत्यन्त आवश्यक स्थिति में ही किसी निगम का अवक्रमण किया जाय और वह भी केवल उस स्थिति में जब कि निगम को भंग या पुनर्गठित करने की कार्यवाही (remedy) प्रभावहीन सिद्ध हो। हमने व्यवस्था की है कि अवक्रमण की अवधि सामान्यतया १ वर्ष होनी चाहिए और गम्भीर अवस्थाओं में ही अवक्रमण की अवधि १ वर्ष के लिए और बढ़ायी जा सकती है। यह खंड तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

हमने यह भी व्यवस्था की है कि निगम को भंग करने या उसको अवक्रमण करने की प्रत्येक आज्ञा विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाय ।

विधेयक का खंड ५३५—हमने व्यवस्था की है कि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखें जायें।

४—यह विधेयक १६ अप्रैल, १९५७ के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया था। हमारा मत है कि इस संशोधित विधेयक को फिर से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

विचित्र नारायण शर्मा
रामस्वरूप यादव

देवकी नन्दन विभव
टम्बरेश्वर प्रसाद

कैलाश नारायण गुप्त
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
*श्रीकृष्णदत्त पालीवाल
*गुरु नारायण
*पीताम्बर दास
*वीरेन्द्र स्वरूप
निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी
प्रसिद्ध नारायण अनद
*शिवराज बहादुर
*मोतीलाल अवस्थी
सैयद अली जहीर
मोहनलाल गौतम
तारा अग्रवाल
ब्रह्मदत्त दीक्षित
कमलापति त्रिपाठी
विन्दुमती दास।

सत्यमेव जयते

विमति टिप्पणी के अधीन।

विमति टिप्पणी

मेरा कर्तव्य है कि संयुक्त प्रवर समिति ने जिस सुमति, सहयोग और सद्भावना से काम किया उसके लिये मैं समिति के सभी सदस्यों और उसके सभापति को धन्यवाद दूं विशेष कर सभापति को, क्योंकि उनके गांधीवादी और जनतंत्रीय ढंग से उपरोक्त वातावरण की स्थापना में बहुत सहायता मिली।

राष्ट्र के बापू महात्मा गांधी और सन्त विनोबा का निश्चित मत है कि सच्चा स्वराज्य और वास्तविक स्वाधीनता विकेन्द्रीकरण से ही सम्भव है। इसलिये वे ग्राम राज्य के, समस्त गांवों को देने के, गांवों को ही सत्ता का श्रोत और केन्द्र बनाने के पक्ष में हैं।

पश्चिमी देशों में, यूरोप और अमेरिका में भी, आल्डस हक्सले प्रभृति आधुनिक विचारकों का मत भी इसी पक्ष में है। रूस तक में खुश्चेव महोदय सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कहने लगे हैं। कोई कारण नहीं है कि हमारे देश और प्रदेश में कम से कम स्वशासन के क्षेत्र में सत्ता का विकेन्द्रीकरण क्यों न किया जाय!

यदि राज्य सरकार अभी समस्त सत्ता गांवों को सौंपने के लिये तैयार नहीं है तो उसे कम से कम पंचायतों से लेकर क्रमशः टाउन एरियाओं, नोटीफाइड एरियाओं, नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों को तो स्वशासन के क्षेत्र में अधिक से अधिक अधिकार और वित्तीय साधन देने चाहिए और जिन पांच कबाल शहरों में कारपोरेशन्स कायम किये जा रहे हैं, उनमें तो स्वशासन के क्षेत्र में संक्रान्ति-काल में अनिवार्यतः आवश्यक न्यूनतम प्रतिबन्धों और नियन्त्रणों के साथ लगभग पूर्ण स्वराज्य स्थापित किया जाना चाहिये तथा इनका नाम नगर-निगम न होकर नगर स्वराज्य होना चाहिये। मैं मानता हूं कि वर्तमान युग में यह नगर प्रजातन्त्र यूनान के लगभग २,००० वर्ष पुराने प्रजातन्त्र नहीं हो सकते, लेकिन मेरा विश्वास है कि यदि हमें सत्ता के विकेन्द्रीकरण के ध्येय और आदर्श के प्रति सच्चाई से काम लेना है तो हमें जिन शहरों में कारपोरेशन कायम करने हैं उनमें स्वशासन के क्षेत्र में अवश्य ही सत्ता का अधिक से अधिक लगभग पूर्ण विकेन्द्रीकरण करना चाहिये।

हम इन शहरों में स्वशासन के क्षेत्र में अपनी देशकालावस्था के अनुकूल तथा अमेरिका में इस टाइप की जो मुख्य बुराइयां अनुभूत हुई हैं उनके परिष्कार के साथ अमेरिकन सभापतीय ढंग के स्वशासन का प्रयोग क्यों नहीं करते? समूचे देश के लिये उसका प्रयोग अभी वांछनीय न हो तो न सही, प्रदेशों के लिए भी अभी वह व्यावहारिक न हो तो न सही, इन शहरों के सीमित क्षेत्र में तो उसका प्रयोग हो ही सकता है? पूर्ण विकेन्द्रीकरण और अमेरिकन सभापतीय ढंग के स्वाशसन की बात भी छोड़ दी जाय तब भी यह बात तो किसी तरह समझ में नहीं आती कि कार्य-पालक अध्यक्ष म्यूनिसिपल कमिश्नर की जगह मेयर क्यों न हो? और अगर मेयर को गवर्नर तथा अध्यक्ष का ही पद दिया जाय तो फिर डिप्टी मेयरों को कार्यपालक अध्यक्ष क्यों न बनाया जाय? हर हालत में मेयर या डिप्टी मेयर को म्यूनिसिपल कमिश्नर पर वही अधिकार क्यों न हों जो मुख्य मिनिस्टर को मुख्य सचिव पर होते हैं?

हमारे देश मे अब तक जितने कारपोरेशन बने हैं वे सब ब्रिटिश साम्राज्य टाइप के बने हैं। चूंकि अमेरिका के अलावा फ्रान्स, बल्गेरिया, ऐस्टोनिया, लिथुआनियां और टर्की में भी मेयर ही कार्यपालक अध्यक्ष हैं। ब्रिटिश राष्ट्र संघ में अवश्य ब्रिटिश साम्राज्य अर्थात् ब्रिटेन के उपनिवेशों में ही जन प्रतिनिधियों से भिन्न व्यक्ति या व्यक्ति-समूह कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। लेकिन स्वयं ब्रिटेन में तो चुनी हुई कौंसिलों या कारपोरेशन इत्यादि पर नीति निर्धारण, विधायन, प्रशासन और कार्यपालिका की पूरी जिम्मेदारी होती है। कार्यपालक अधिकारी उनकी आज्ञाओं का पालन करने के लिये बाध्य, उनके सेवक मात्र होते हैं।

हमारे देश में और प्रदेश में अब तक हमने ब्रिटेन से भिन्न ब्रिटिश साम्राज्य की पद्धति को अपनाया। यह बात विशेषतः ध्यान देने योग्य और विचारणीय है।

राज्य सरकार के नियंत्रणों पर विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि स्वीटजरलैण्ड में जहां सरकारी नियंत्रण से ग्राम स्वाधीनता मिली हुई है वहीं स्वशासन में सब से अधिक क्षमता पाई जाती है। इस सम्बन्ध में हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पन्त ने भी जब कि वे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तब अपनी एक टिप्पणी में इस बात पर जोर दिया था कि हमें अच्छे से अच्छे जनहितकारी काम में सफलता तभी मिल सकती है जब कि स्वशासन की पूरी जिम्मेदारी उसके चुने हुये प्रतिनिधियों पर हो। पंत जी ने अपनी टिप्पणी में यह भी लिखा है कि चुने हुए जन प्रतिनिधियों के कारपोरेशन स्पष्टतः शहरों के हितों की रक्षा करने तथा उनके हितों के साधन के लिये सुयोग्य हो सकते हैं। फिर क्या कारण है कि हम स्वशासन के नाम पर नौकरशाही शासन की स्थापना अथवा नौकरशाहीकरण करें? क्या जिन शहरों में हमें प्रदेश के मुख्य मिनिस्टर और भारत के प्रधान मंत्री मिले हैं उनमें कार्यपालक अध्यक्ष होने की योग्यता व उत्तरदायित्व की भावना तथा क्षमता रखने वाले मेयर या डिप्टी मेयर अथवा संस्थायें नहीं मिल सकतीं? क्षमता (efficiency) की वेदी पर हमें विकेन्द्रीकरण की बलि नहीं देनी चाहिये। हम ग्रामीकरण न भी करें तब भी कम से कम जिन शहरों में कारपोरेशन कायम करें उनमें नगरीकरण से प्रारम्भ तो अवश्य ही करें। क्षमता की दृष्टि से भी हमारे सामने ब्रिटिश साम्राज्य-काल में अहमदाबाद नगरपालिका का वह गौरवपूर्ण उदाहरण विद्यमान है जिसमें स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रभृति की चेयरमैनी में राष्ट्रीय स्वतंत्रता-संग्राम में पूर्ण योग देने के साथ-साथ (ब्रिटिश नौकरशाही से आयरलैण्ड और अमेरिका के ढंग की टक्करें लेने के साथ-साथ) आदर्श प्रशासन और नगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदर्शित कर दिखाया।

इस दृष्टि से धारा ८३ और ५३४ में राज्य सरकार को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, उनमें काफी कमी की जानी चाहिये। यह बात विशेष रूप से विचारणीय है कि अब तक म्यूनिसिपैलिटीज पर सरकार का जितना नियंत्रण था उससे कहीं कम कारपोरेशन पर रहे। धारा १०५ (अ) में कारपोरेशन में नये ओहदों के सृजन के अधिकारों पर जो प्रतिबन्ध लगाये हैं वे उस अधिकार को ही बेकार कर देते हैं।

स्वशासन संस्थाओं में सत्ता के विकेन्द्रीकरण का एक अत्यन्त आवश्यक अंग उनके लिये पर्याप्त वित्तीय साधनों को सुलभ करना भी है। इन शहरों में तो इसके लिये पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली, परिवहन आदि नगर प्रजातन्त्रों को सौंपे जाने चाहिये। कुछ उद्योगों का नगरीकरण किया जाना चाहिये। यथासम्भव समस्त सार्वजनिक भूमि भी स्वशासन संस्थाओं को सौंपी जाय। कुछ करों की सम्पूर्ण आमदनी और कुछ करों में से निश्चित हिस्सा स्वशासन संस्थाओं को मिलना चाहिये। संस्थाओं को केवल कर लगाने की एजेन्सी बना देना या उन्हें मुख्यतः अपने करों द्वारा लगाई जाने वाली आमदनी पर आश्रित कर देना जनतन्त्र और स्वशासन के विकास के लिये कदापि वांछनीय नहीं है, बल्कि निश्चित रूप से अहितकर सिद्ध होगा।

इस दृष्टि से करों के सम्बन्ध में जो नवां अध्याय है उसका पुनः संशोधन अवश्य हो। मैं मानता हूं कि मेरे इन प्रस्तावों का परिणाम यह होगा कि स्वशासन संस्थाओं के वित्तीय साधन एक सरकार के वित्तीय साधनों को कम करके बढ़ेंगे। लेकिन मेरा मत है कि जहां हमें केन्द्र की वित्तीय स्थिति को इस समय सुनिश्चित रीति से सुदृढ़ करना है वहां वित्तीय साधन बढ़ाने के लिये राज्य सरकार के वित्तीय साधनों में कमी करने में कोई हानि नहीं होगी। कुल मिलाकर लाभ ही है। प्रशासकीय दृष्टि से ही कई बातें विचारणीय हैं। इनमें प्रमुख यह हैं---(१) डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नरों के कर्तव्य और अधिकार निर्धारित करा दिये जायं तो अच्छा होगा, (२) मेडिकल आफिसर को राज्य सरकार द्वारा सीधे नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। कबाल नगरों के वर्तमान प्रशासकों में से कुछ कुशल और अनुभवी प्रशासकों का मत यही है और नगरपालिकाओं के शासन का अब तक का अनुभव भी इसी मत की पुष्टि करता है।

हमारे वर्तमान अध्यक्ष माननीय खेर साहब की अध्यक्षता में १६३८ में स्वशासन के सम्बन्ध में जो कमेटी मुकर्रर की गई थी उसकी स्वशासन विभाग बोर्ड मुकर्रर करने की सिफारिश पर विचार करके उसे स्वीकार किया जाना चाहिये जिससे एक ओर नियंत्रण और दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण की समस्या का सुन्दर समाधान और सामंजस्य हो सके।

मुझे दुःख है कि मैं समिति को अपने उपर्युक्त मतों के पक्ष में नहीं कर सका फिर भी समिति ने विधान सभा में पेश किये गये मसौदे में जो कुछ भी आधार भूत संशोधन कर दिये हैं उनके लिये मैं समिति का आभार मानता हूं।

२७ अगस्त, १६५७।

श्री कृष्णदत्त पालीवाल

विधान सभा

विमति टिप्पणी

प्रवर समिति ने मूल निगम विधेयक में कुछ उल्लेखनीय संशोधन किये और उनसे विधेयक में काफ़ी सुधार हो गया। समिति के सदस्यों के सम्मुख देश के विभिन्न निगमों के उदाहरण थे। वर्तमान निगमों की कुछ कमियों को दूर करने के प्रयत्न में, अनेक विवादजनक प्रश्नों का सन्तोषप्रद हल निकाला गया। समिति की कार्यवाहियों के दौरान में श्री विचित्रनारायण जी शर्मा ने सदस्यों की बहुत सहायता की। वास्तव में, उन्होंने बिना किसी प्रकार का सुझाव देते हुए कि सरकार विधेयक का संशोधन किस रूप में करना चाहेगी, सदस्यों को मुक्त रूप से निर्णय लेने का अवसर दिया।

समिति ने उन सुझावों में से, जो प्रस्तुत किये गये, बहुतों को स्वीकृत किया और कुछ खंडों को, जो या तो कार्यान्वित नहीं हो सकते थे या आपत्तिजनक थे, निकाल दिया और इस दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किये। मेयर की पदस्थिति के विषय पर काफी वाद-विवाद हुआ। क्या मेयर का पद एक विशिष्ट नागरिक पर प्रदर्शित सम्मान के रूप में होना चाहिये, या मेयर के कुछ अधिशासी अधिकार भी होना चाहियें? वर्तमान निगमों में से अधिकांश में मेयर अधिशासी प्राधिकारी नहीं होता, केवल पीठासीन अधिकारी होता है, जो उस संस्था को जिसे निगम कहा जाता है, आलोकित करता है। कुछ नगरों में मेयर केवल नाममात्र के लिए अध्यक्ष होता है। इस सम्बन्ध में मद्रास के एक भूतपूर्व मेयर ने खुले शब्दों में कहा था कि अपने पद के प्रथम ६ महीनों में मेयर को अभिनन्दन पत्र दिये जाते हैं और शेष ६ महीनों में उसे बिदाई की दावतें दी जाती हैं। मेयर का कार्यकाल सामान्यतया १ वर्ष का होता है और वह विशिष्ट नागरिकों में से पारी-पारी से चुना जाता है। विशेष रूप से मद्रास के निगम में, जो भारत का सबसे पुराना निगम है, इस विशिष्ट पद के लिए साम्प्रदायिक आधार पर पारी-पारी से चुनाव होता है।

प्रवर समिति की कार्यवाहियों के दौरान में मैंने सदस्यों को इस बात से प्रभावित करने का प्रयत्न किया कि मेयर को केवल नाममात्र के लिए अध्यक्ष नहीं होना चाहिये, वरन् उसके कुछ न कुछ अधिशासी अधिकार भी होने चाहियें। इस सिलसिले में एक बार समिति इस राय से सहमत प्रतीत हुई और मेयर का कार्यकाल १ वर्ष के बजाय ४ वर्ष कर दिया और साथ ही वह कार्यकारिणी और विकास समितियों का पदेन सभापति भी हो। इससे उसको कमिश्नर द्वारा नियंत्रित शासन में भी हस्तक्षेप करने का कुछ अधिकार हो जाता। बाद में समिति ने मेयर की पदस्थिति में परिवर्तन करने का निश्चय किया और उसका कार्यकाल १ वर्ष का कर दिया। इसके साथ ही साथ समिति ने डिप्टी मेयर का कार्यकाल ५ वर्ष करने का निश्चय किया, जो निगम के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त हो और यह भी निश्चय किया कि वह कार्यकारिणी तथा विकास समितियों का भी सभापति होगा। मैं यह कहूंगा कि यह एक असंगत बात है। इससे मेयर केवल नाममात्र का अध्यक्ष ही नहीं रहेगा वरन् उसकी पदस्थिति और भी कम हो जायगी। मेयर का पद पूर्ण रूप से डिप्टी मेयर द्वारा ढांप लिया जायगा, जो यथार्थ में निगम का प्रमुख व्यक्ति होगा। यह भी हो सकता है कि मेयर के पद के लिए व्यक्ति ही ढूंढ़े न मिलेंगे। मैं विनम्रता पूर्वक समिति द्वारा स्वीकृत सुझाव से असहमति प्रकट करता हूं।

समिति ने राज्य सरकार और कमिश्नर के सम्बन्ध में भी काफ़ी विचार-विनिमय किया। मूल विधेयक सरकार को कतिपय ऐसे अधिकार देता है, जिससे कुछ हद तक कमिश्नर, अप्रत्यक्ष-तया निगम की राय का अनादर कर सकता है। सूचना मंगाने, आंकड़े प्रस्तुत करने तथा निगम के प्रशासन से सम्बन्धित अन्य मामलों में कमिश्नर से प्रत्यक्ष लिखा-पढ़ी करने के लिए सरकार अधिकारों को लेना चाहती है। यह तो ऐसा प्रस्ताव है, जो नहीं माना जा सकता है।

इसमें सन्देह नहीं कि कमिश्नर निगम का अधिशासी प्राधिकारी होता है। उसे नगर निगम द्वारा निर्धारित नीति को पालन करना है। इसके साथ-साथ उस पर निगम और राज्य सरकार दोनों का नियंत्रण नहीं हो सकता। हालांकि राज्य सरकार कमिश्नर से जो भी सूचना मांगना चाहे मांग सकती है, किन्तु मेरी राय में सरकार को ऐसी सूचना मेयर के द्वारा अथवा निगम को सम्बोधित प्रश्नों द्वारा मांगनी चाहिये। ये दो मौलिक संशोधन हैं जिन पर मैं जोर देना चाहता हूं और इसके साथ ही सदन में और भी संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखता हूं।

२८ अगस्त, १९५७।

गुरु नारायण

संसद भवन

विमति टिप्पणी

विधेयक का खंड ५ (ख)——मैं उस संशोधन से सहमत नहीं हूं जो पदावलि "स्थायी समिति" के स्थान पर "कार्यकारिणी समिति" रख कर किया गया है। मेरा यह भी मत है कि "एक स्थायी समिति" के बजाय "स्थायी समितियां" की व्यवस्था होनी चाहिये। निगम के सम्मुख विभिन्न कार्यों के नियंत्रित करने का प्रश्न है जैसे, शिक्षा, लेखा, स्वास्थ्य, कर तथा वित्त से सम्बन्धित, निर्माण, भवन, नगर-नियोजन एवं विकास। इनमें से प्रत्येक कार्य इतना बृहत् है कि उसके लिए एक अलग स्थायी समिति की आवश्यकता है। कलकत्ता, मद्रास और कुछ अन्य नगरों के निगम सम्बन्धी अधिनियमों में 'समितियों' की व्यवस्था है, न कि एक 'समिति' की, और यह ठीक भी है। यहां पर यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि यदि यह राय स्वीकृत की जाय तो इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण विधेयक में कतिपय संशोधनों की आवश्यकता होगी।

विधेयक का खंड ५७——चूंकि म्यूनिसिपल कमिश्नर निगम का मुख्य अधिशासी प्राधिकारी (Chief Executive Authority) है, इसलिए उसमें प्रशासकीय ज्ञान और निपुणता होना आवश्यक है और उसकी नियुक्ति करते समय इस बात को ध्यान में रखना अत्यावश्यक है। इसलिए मेरी राय में खंड ५७ (१) में शब्द 'राज्य सरकार द्वारा' के पश्चात् निम्नांकित शब्द बढ़ा दिये जायं :——

> "उसकी अधिशासी और प्रशासकीय योग्यताओं के आधार पर उस पद में उसके वास्तविक अनुभव अथवा उस पद के कर्तव्यों के विषय पर उसके ज्ञान का विशेष ध्यान रखते हुए"

विधेयक का खंड ५८ (१)——मेरी राय में म्युनिसिपल कमिश्नर के मासिक वेतन और भत्ते की सीमाओं की व्यवस्था विधयक में ही होनी चाहिय, न कि इस मामले को पूर्णतया राज्य सरकार की ही मर्जी पर छोड़ दिया जाय। लगभग अन्य सभी नगरों के निगम सम्बन्धी अधिनियमों में इस सम्बन्ध में स्पष्ट उपबन्ध हैं। उदाहरण स्वरूप——

नागपुर	..	१,००० रु० से लेकर १,५०० रु० प्रति मास तक
जबलपुर	..	१,००० रु० से लेकर १,५०० रु० प्रति मास तक
बम्बई	..	२,००० रु० से लेकर ३,००० रु० प्रति मास तक
मद्रास	..	२,५०० रु० प्रतिमास से अनधिक
बंगलोर	..	१,४०० रु० प्रति मास से अनधिक
कलकत्ता	..	३,००० रु० प्रति मास से अनधिक

हमारे प्रयोजनार्थ १,५०० रु० प्रतिमास की अधिकतम सीमा समुचित होगी। अतएव, मेरा यह मत है कि खंड ५८ (१) में शब्द "उतना मासिक वेतन और ऐसे भत्ते" के स्थान पर शब्द "१,५०० रुपये मासिक से अनधिक वेतन और भत्ते के रूप में" रख दिये जायं।

२८ अगस्त, १६५७।

पीताम्बरदास

विमति टिप्पणी

विधेयक के उपबन्धों तथा संयुक्त प्रवर समिति द्वारा किये गये संशोधनों से सामान्यतया सहमत होते हुये भी मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि इस असहमति टिप्पणी में ऐसी बातों का उल्लेख करूं जिनके सम्बन्ध में सरकार और विधान मंडल को ध्यान देने की आवश्यकता है। नगर निगम स्थापित करने का यही उद्देश्य है कि नागरिक प्रशासन के स्तर को ऊंचा किया जाय और उन्हें यथा सम्भव सब प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाय। इसलिये इसका विचार करना है कि विधेयक के उपबन्ध इन मूल सिद्धांतों के अनुकूल हों और जहां तक कि वे इसके विपरीत पड़ते हों मैं अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता हूं कि जब विधेयक विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तो मैं संशोधन रख सकूं।

खंड ५ में "इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के हेतु" नगरपालिका प्राधिकारियों को उत्तरदायी बनाते हुये यह व्यवस्था की गई है कि "ऐसी स्थिति में जब निगम विद्युत सम्भारण अथवा सार्वजनिक गमनागमन उपक्रम अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोगी सेवायें स्थापित अथवा अर्जित करे तो निगम की ऐसी अन्य समिति या समितियां, जैसा कि वह राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उनके लिये स्थापित करे।" विधेयक में संलग्न "उद्देश्य और कारणों" के अनुसार भी जब निगम स्थापित हो जावेंगे, उनके "अन्तर्गत वर्तमान नगरपालिका बोर्ड के सभी सामान्य कृत्य होंगे।" विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों तथा कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के कृत्य भी प्रस्तावित निगमों को सौंप दिये जायं तो मितव्यता तो होगी ही साथ ही संघर्षों एवं दोहरे प्रयासों की भी समाप्ति हो जायगी। विधेयक के उपबन्धों के अनुसार सम्मिलित नगरपालिका प्रशासन एक विराट कार्य होगा, क्योंकि प्रस्तावित निगमों में इस समय म्युनिसिपल बोर्ड को सौंपे गये समस्त कार्य होंगे और साथ ही साथ इस राज्य के बड़े-बड़े नगरों की वर्तमान अवस्था में सुधार करने का कार्य भी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि खंड ५ के उप-खंड (ङ) का प्रारूप बनाते समय इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान नहीं रक्खा गया था जिसमें ऐसी स्थिति में जब निगम केवल "विद्युत् संभारण अथवा सार्वजनिक गमनागमन उपक्रम अथवा अन्य सार्वजनिक उपयोगी सेवायें स्थापित अथवा अर्जित करे" निगम को, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से उनके सम्बन्ध में, ऐसी अन्य समिति या समितियों स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान म्युनिसिपल बोर्डों में भी कई समितियां होती हैं जिनमें से मुख्य शिक्षा, जन स्वास्थ्य, कर की अपीलों, जल संभारण इत्यादि से संबंधित हैं। इसलिये मेरा यह निश्चित मत है कि ऐसी विशेष समितियों, जिनको निगम अपने कार्यों, कृत्यों तथा दायित्वों को पूरा करने के लिये उचित समझे, की स्थापना के लिये विधेयक में ही व्यवस्था होनी चाहिये थी। जब यह सुझाव संयुक्त प्रवर समिति के सम्मुख रक्खा गया तो इसके विरुद्ध इस आधार पर बहस की गयी कि इससे निगम की स्थायी समिति के अधिकार कम हो जायेंगे जिसका नाम संयुक्त प्रवर समिति ने बदल कर निगम की कार्यकारिणी समिति रख दिया है। मुझे दुःख है कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। ये विशेष समितियां, निगम की कार्यकारिणी समिति, जिसकी कुल सदस्यता एक दर्जन के लगभग है, के अधीन बड़ी अच्छी तरह से कार्य कर सकती थीं। इसके विपरीत यदि मेरा सुझाव स्वीकृत नहीं किया जाता है तो स्थायी समिति अपने हाथों में सब अधिकार ले लेगी और तानाशाही के रूप में कार्य करेगी, जो चुने हुये लोगों की इस छोटी समिति में सब अधिकार सीमित हो जाने से स्वाभाविक ही है। स्थायी समिति के सम्बन्ध में मेरी यह धारणा है कि इसे लगभग राज्य मंत्रि मंडल के ढंग की होना चाहिये और इसके कार्य निगम की प्रस्तावित पारिनियत (statutory) समितियों द्वारा किये जायं तथा इसके समस्त निर्णयों का अनुसमर्थन निगम का मंत्रिमंडल (cabinet) करे, चाहे इसका नाम स्थायी समिति हो अथवा कार्यकारिणी समिति हो। निगम को संपूर्ण रूप से राज्य विधान मंडल की तरह होना चाहिये, जिसका मुख्य कार्य म्युनिसिपल बोर्ड तथा कुछ बड़े नगरों में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों और कानपुर में कानपुर अरबन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के सम्मिलित कार्यों को करने के लिये नीति निर्धारित करना होना चाहिये। प्रस्तावित विशेष समितियों में सदस्यों की संख्या ९ से कम और ११ से अधिक नहीं होनी चाहिये जिसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समिति के सदस्यों में से निर्वाचित होंगे।

खंड ६ में निगम का संगठन निर्धारित किया गया है। संयुक्त प्रवर समिति ने मूल खंड में संशोधन किया है जिसका फल यह हुआ है कि निगम के कौंसिलरों द्वारा निर्वाचित किये जाने वाले एल्डरमैनों की संख्या कुल कौंसिलरों की संख्या के नवें भाग से अधिक न होगी। संयुक्त प्रवर समिति ने राज्य सरकार द्वारा एल्डरमैनों के नाम निर्देशित किये जाने के उपबन्धों को भी निकाल दिया है। मुझे दुःख है कि इस सम्बन्ध में संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधनों से मैं सहमत नहीं हो सकता। समिति द्वारा किये गये परिवर्तनों पर विचार प्रकट करने के पूर्व मैं इस समय सरकार तथा विधान मंडल का ध्यान विभिन्न निगमों, जो कि इस समय देश में कार्य कर रहे हैं, के संगठनों के उन उपबंधों की ओर आकर्षित करूंगा जिनमें शिक्षितों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गई है। मेरे पास सिटी आफ लाहौर कारपोरेशन ऐक्ट सुलभ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पंजाब यूनिवर्सिटी की सीनेट के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। ऐसे ही उपबन्ध अन्य स्थानों में भी हैं। निगम के मुख्य कार्यों में से एक कार्य यह भी होगा कि वह सहस्त्रों विद्यार्थियों की शिक्षा के विभिन्न स्तरों की देख-रेख करे, और यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी यदि शिक्षा के हितों की एकदम उपेक्षा की जाती है।

इस राज्य में इस विधेयक द्वारा प्रथम बार पूर्णरूप से म्यूनिसिपल प्रजातंत्र का प्रयोग प्रारम्भ किया जायगा। नागरिक प्रजातंत्र के विकास के साथ-साथ नागरिकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी और वास्तव में हम सब के लिये बड़ा ही दुर्दिन होगा यदि बड़े-बड़े नगरों में प्रथम प्रजातंत्र के नागरिक प्रशासन की सत्ता अपढ़, अनुभवहीन और नागरिक कार्यों में दिलचस्पी न लेने वाले लोगों के हाथों में आ पड़े, क्योंकि इससे उस बड़े प्रयोग की नौका ही डूब जायगी जिसको कि राज्य सरकार प्रारम्भ करना चाहती है, और उस हालत में ठीक भी है। जब तक कि उन कार्यों की हर शाखा के विशेषज्ञ, जिनकी नागरिक विकास में इतनी आवश्यकता है, निगम में न होंगे। इसलिये मैं विधेयक में मूल रूप से की गई व्यवस्था को दोहराऊंगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा उन वर्गों या जाति के, जिनका अन्यथा प्रतिनिधित्व न था, प्रतिनिधित्व करने के एकमात्र उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों के नाम निर्देशन की व्यवस्था थी।

इसके अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता के व्यक्ति केवल उस नगर के संबंधित क्षेत्र के विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व के उपबन्धों द्वारा आकर्षित किये जा सकते हैं। पिछले दस वर्षों में इस देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली को कार्यान्वित करते समय निर्विवाद रूप से यह देखा गया है कि वृहत् ज्ञान और बुद्धि के सम्मानित लोग बहुधा वयस्क मताधिकार के आधार पर होने वाले निर्वाचनों में भाग नहीं लेते। भारत के संविधान में इसलिये ठीक ही केन्द्र और राज्यों में दो विधान मंडलों की व्यवस्था की गई है जिसमें ऐसे विद्वान् लोगों का प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया गया है, तथा विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिये राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जो भी संबंधित हों, नाम निर्देशन करने की व्यवस्था है। नगर निगमों के मामले में यह सम्भव नहीं है, जिसमें केवल एक ही सदन होगा। इसलिये उसे पूर्णरूपेण प्रतिनिधात्मक सदन बनाने का सुझाव है, चाहे राज्य सरकार को विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिये कुछ व्यक्तियों का नाम निर्देशन करना पड़े और उनसे अपना प्रतिनिधि चुनने को कहना पड़े।

खंड ८ में मूलतः यह व्यवस्था की गई थी कि "निगम का विघटन नहीं होगा, किन्तु सदस्यों की वह संख्या जो नियत की जाय, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सेवा निवृत्ति होती रहेगी।" समिति की कई बैठकों में इस खंड पर वाद-विवाद हुआ और समिति की रिपोर्ट के आलेख में, जैसी कि सदस्यों को घुमाई गई थी, यह कहा गया था कि समिति कौंसिलरों की वार्षिक तथा एल्डरमैन की द्विवार्षिक सेवा निवृत्ति के पक्ष में नहीं थी। इसलिये उन्होंने यह व्यवस्था की थी कि निगम का कार्यकाल चार वर्ष होगा, इस प्रतिबन्ध के साथ उसे दो वर्ष तक के लिये बढ़ाया जा सकता है, यदि आवश्यक हो तो प्रायः १ वर्ष के लिये और आपात की स्थिति में एक और वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। इस प्रश्न पर समिति की २२ अगस्त की बैठक में पुनः

विवाद हुआ जिसके फलस्वरूप अब यह व्यवस्था की गई है कि निगम का कार्य–काल पांच वर्ष होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निगम का कार्य-काल दो वर्ष के लिये बढ़ा सकती है–यदि आवश्यक हो तो प्रायः एक वर्ष के लिये और आपात की स्थिति में एक और वर्ष के लिये। खंड १४ में भी यह व्यवस्था की गई है कि मेयर की पदावधि १ वर्ष की होगी और डिप्टी मेयर की पदावधि निगम के कार्याकाल के साथ समाप्त होगी। मुझे आशंका है कि यदि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा २२ अगस्त को लिये गये निर्णयानुसार अभिलिखित खंडों को लागू किया जाता है तो बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी, जिससे उन उद्देश्यों को बड़ी क्षति पहुंचेगी, जिनको लेकर निगमों की स्थापना की जा रही है। मेयर के वार्षिक निर्वाचन से निगम में दलबन्दी के अलावा उसके मस्तिष्क में सदैव अरक्षा का भाव रहेगा और मेयर को अपने सम्मुख अपनी पदावधि के कुछ बाकी महीनों का काटना ही दिखलाई देगा। इसके अतिरिक्त उन चरित्रवान तथा योग्य व्यक्तियों की संख्या, जो इस सम्मान के पद पर आसीन हो सकें, बहुत कम है, क्योंकि मेयर की पदस्थिति अपने नगर के प्रथम नागरिक के रूप में होगी। यदि निगमों को अपने मेयरों का वार्षिक चुनाव करने को कहा जायगा तो एक समय ऐसा आयगा जब इस उच्च पद पर के लिये व्यक्ति द्वितीय और तृतीय श्रेणी के नागरिकों में से चुने जायेंगे। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि निगम के सदस्यों की पदावधि वे चाहे जिस वर्ग के हों, ४ वर्ष होनी चाहिये। और यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि राज्य सरकार द्वारा उनकी पदावधि कुल १ वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जो एक बार में कम से कम ६ मास तक के लिये होगी।

मेयर और डिप्टी मेयर की पदावधि के सम्बन्ध में फिर से अभिलिखित खंड १४ सभी के लिये एक बड़ी चिन्ता का विषय होगा क्योंकि मेयर की पदस्थिति तो केवल नाम मात्र के लिये अध्यक्ष के रूप में रह गई है, जबकि निगम के समस्त अधिशासी कार्य डिप्टी मेयर के हाथ में देने की व्यवस्था की गयी है, जिनको, स्वाभाविक रूप में, यदि किसी को देना था, तो स्वयं मेयर को दिया जाना चाहिये था। डिप्टी मेयर की पदावधि निगम के कार्यकाल के साथ समाप्त होने की व्यवस्था कर दी गई है। डिप्टी मेयर के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के उपबन्धों की व्यवस्था की गई है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि यदि इन खंडों को लागू किया गया तो बड़ी गड़बड़ी होगी और परिणाम यह होगा कि पूर्णरूप से नागरिक प्रजातंत्र के प्रथम प्रयोग का प्रारम्भ हमें बड़ी आपत्ति में डाल देगा। मेयर को नाम मात्र के लिये अध्यक्ष बनाने और डिप्टी मेयर को, जिसकी पदावधि ५ वर्ष की होगी, जब तक कि वह अन्यथा अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटा न दिया जाय, अधिकार देने से इस महान प्रयोग की हंसी उड़ेगी। इसलिये मेरे विचार में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों को दो वर्ष की निश्चित अवधि के लिये चुना जाना चाहिये और वे दूसरी अवधि के लिये भी पुनः चुने जा सकते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को इन दोनों उच्च पदों के निर्वाचन के लिये अर्ह न होना चाहिये, यदि वह इन पदों पर लगातार तीन बार पूर्ण अवधियों के लिये (in a substantial capacity) पदासीन रह चुका हो। मेयर और डिप्टी मेयर का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा साथ ही साथ होना चाहिये जिससे कि उन व्यक्तियों को, जो क्रमशः सर्वाधिक और दूसरे स्थान पर (second in order of votes) मत प्राप्त करें, डिप्टी मेयर घोषित किया जा सके। डिप्टी मेयर के विरुद्ध "अविश्वास के प्रस्ताव" के उपबन्धों को, जिसकी व्यवस्था प्रवर समिति ने की है, हटा देना चाहिये क्योंकि मेरे सुझाव के अनुसार डिप्टी मेयर की पदावधि दो वर्ष की होनी चाहिये न कि पांच वर्ष की। यदि इस प्रथम अधिनियम में, जो राज्य सरकार के बड़े नगरों में नागरिकों के अपने गणतंत्र की स्थापना करेगा, "अविश्वास के प्रस्ताव" की व्यवस्था की गई तो हमें यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट के उन उपबंधों की याद आवेगी जिसे एक विदेशी शासन ने बनाया था। इन दोनों पदों से निगम सम्मानित होगा और इन्हें, उनके लिये दो वर्ष की प्रस्तावित छोटी सी अवधि के दौरान में गन्दगी से बचाना चाहिये, तथापि यदि जनता इन दो पदों के आसीन अधिकारियों से सन्तुष्ट न होगी, तो उनका पुर्नानिर्वाचन न हो सकेगा।

मूलतः विधेयक में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था की गई थी कि स्थायी समिति में मेयर भी रहेगा जो उसका पदेन सभापति होगा और उसकी पदावधि एक वर्ष होगी। बाद

को जैसा कि रिपोर्ट के आलेख में बताया गया है, स्थायी समिति जिसका नाम बदल कर कार्यकारिणी समिति कर दिया गया है, का कार्यकाल निगम के कार्यकाल के साथ समाप्त होने की व्यवस्था की गई है। यह भी व्यवस्था की गई है कि उसके आधे सदस्य प्रतिवर्ष पारी-पारी से सेवा निवृत होंगे और यह कि कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। तथापि २२ अगस्त की बैठक में संयुक्त प्रवर समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के फलस्वरूप अब यह सुझाव दिया गया है कि डिप्टी मेयर इस समिति का और विकास समिति का भी पदेन सभापति होगा। तथापि मेरा यह विचार है कि कार्यकारिणी और विकास दोनों ही समितियों का सभापति मेयर को स्वयं होना चाहिये और इन दोनों समितियों का पदेन उप सभापति डिप्टी मेयर होना चाहिये। इससे दोनों को निगम के अधिशासी कार्यों के संपर्क में रहने का अवसर मिलेगा।

सामान्य व्यक्ति नागरिक प्रशासन की महानता से अनभिज्ञ होता है। योजना रूपी पागलपन (Plan madness) के इस युग में, जब चारों ओर करों में अति वृद्धि हो रही है और जिन्होंने वास्तव में, उस पर अत्यधिक भार डाल रखा है, विधेयक में प्रस्तावित नगरपालिका कर उसके लिये काफी कष्ट प्रद सिद्ध होंगे। यह एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि "For forms of government let fools contest, that is best which governs the best."

जनता अब किसी ऐसे नये प्रयोग के लिये इच्छुक नहीं है जिसमें अतिरिक्त कर सम्मिलित हों। यद्यपि यह सत्य है कि प्रस्तावित निगमों की स्थापना होने से वर्तमान नागरिक प्रशासन का स्तर उठने के फलस्वरूप कर लगाने के नये साधन और वर्तमान करों में वृद्धि हो जावेगी, तथापि इस सम्बन्ध में, जहां तक सम्भव हो, जनता की भावनाओं का अधिक से अधिक सम्मान करना चाहिये। इसलिये प्रस्तावित करों का भार यथा सम्भव कम करने के हेतु म्युनिसिपल कर–निर्धारित के अध्याय का संशोधन किया जाना चाहिये जिससे कि नागरिक प्रशासन के पुनर्गठन का उद्देश्य उनके विनाश के रूप में परिवर्तित न हो जाय।

नियंत्रण के अध्याय के सम्बन्ध में कुछ कहने के पश्चात् ही मैं अपनी असहमति टिप्पणी समाप्त करूंगा। इस अध्याय के अन्तर्गत राज्य सरकार ने निगमों पर नियंत्रण करने के असाधारण अधिकारों को अपने हाथों में लेने का प्रस्ताव किया है। नागरिक स्वराज्य पर सीमित नियंत्रण इस महान् प्रयोग के सफल होने में बहुत सहायता प्रदान करेगा, किन्तु विधेयक में प्रस्तावित प्रतिबन्ध-रहित नियंत्रण प्रस्तावित नागरिक स्वराज्य की जड़ ही काट देगा। उचित तो यह होगा कि म्युनिसिपल कमिश्नर को, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निगम का मुख्य अधिशासी अधिकारी होगा, निगम के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये। निगम के होते हुये राज्य सरकार का म्युनिसिपल कमिश्नर से सीधे पत्र-व्यवहार करना प्रजातांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध होगा। इसलिये, खंड ५२७ के उपखंड (२) में राज्य सरकार को म्युनिसिपल कमिश्नर को किसी भी समय यह आदेश देने कि "इस अधिनियम के कार्यपालिका प्रशासन से सम्बद्ध या संसक्त कोई सूचना, प्रतिवेदन, स्पष्टीकरण या आंकड़े, जहां तक कि प्रत्येक का संबंध हो, प्रस्तुत करे और म्युनिसिपल कमिश्नर यथास्थिति बिना अनुचित विलम्ब के उन्हें प्रस्तुत करेगा" की जो व्यवस्था की गई है, उसका मैं पूर्णतः विरोध करूंगा। यह बहुत बड़ा अधिकार है। यह न्याय व्यवहार के समस्त सिद्धान्तों के विरुद्ध इसलिये है कि निगम का एक अधीनस्थ कर्मचारी बिना मेयर अथवा स्वयं निगम का परामर्श लिये राज्य सरकार से सीधे पत्र-व्यवहार करेगा। यदि प्रस्तावित नागरिक प्रशासन के ढांचे को प्रजातंत्रात्मक नाम के अनुकूल बनाये रखना है, तो इस व्यवस्था को हटा देना चाहिये। इसके अतिरिक्त निगमों पर राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्याय को यथासम्भव नियंत्रण कम करने की दृष्टि से संशोधित करना चाहिये, न कि नागरिक प्रजातंत्र पर अनियंत्रित नियंत्रण रक्खा जाय, जिसे राज्य सरकार इस महान् उद्देश्य से प्रारम्भ करने जा रही है कि बड़े नगरों के नागरिकों को अपने प्रशासन के उत्तरदायित्व का भार स्वयं उठा सकने की शिक्षा मिले।

इस टिप्पणी को समाप्त करने के पूर्व, मैं समिति के सभापति श्री विचित्र नारायण जी शर्मा, स्वशासन मंत्री तथा समिति के अन्य सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समिति की कार्यवाहियों क दौरान में समय-समय पर मेरे सुझावों को ध्यान से सुना। यदि सदस्यों को सभापति का, जो विभिन्न बातों को व्यापक दृष्टि से रखते थे, विद्वतापूर्ण पथ-प्रदर्शन प्राप्त न हुआ होता, तो वे उस योग को, जो उन्होंने कार्यवाहियों के दौरान में दिया, देने में समर्थ न हो पाते।

२८ अगस्त, १९५७।

वीरन्द्र स्वरूप

हिमाचल अकादमी

विमति टिप्पणी

मैंने प्रवर समिति की रिपोर्ट पर निम्नांकित असहमति की टिप्पणी के अधीन हस्ताक्षर किये हैं :—

मुझे इस बात का दुःख है कि अनेक बातों पर मैं अपने सहयोगियों (colleagues) के विचारों से सहमत नहीं हूं। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बहुमत की रिपोर्ट से मेरा मतभेद है।

अध्याय १

मेरा दृढ़ मत है कि नगर प्रशासन (municipal administration) से वर्तमान बुराइयों को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन में पूर्ण स्वायत्तता (autonomy) होनी चाहिए।

प्रदेश के स्थानीय प्रशासन का वर्तमान ढांचा (structure) इस अर्थ में स्वायत्त (autonomous) नहीं है कि सरकार, कमिश्नर तथा जिला प्राधिकारी, जिनके इशारे पर चलने के लिए स्थानीय निकाय मजबूर हैं, स्वयं अपनी भारी जिम्मेदारियों के कारण स्थानीय निकायों के प्रशासन की ओर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दे सकते। अतएव जनता द्वारा नियंत्रण आवश्यक है।

स्वशासन विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) सरकार द्वारा नियुक्त की गयी थी और निम्नांकित व्यक्ति उसके सदस्य नियुक्त किये गये थे।

(१) श्री जे० एल० साठे, आई० सी० एस०, कमिश्नर, बनारस डिवीजन, (२) खान मुहम्मद मुश्ताक अली खां, उप-सचिव, स्वशासन, (३) श्री ए० जी० खेर, एम० एल० ए०, माननीय स्वशासन मन्त्री के सभा सचिव, (४) श्री चन्द्र भाल, एम० एल० सी०, माननीय स्वशासम मन्त्री के सभा सचिव, (५) पण्डित भगवत नारायण भार्गव, एम० एल० ए०, (६)प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र, एम० एल० सी०, तथा (७) श्री गोपाल नारायण सक्सेना, एक्जीक्यूटिव अफसर, म्युनिसिपल बोर्ड, सीतापुर।

समिति की बैठकें २५ नवम्बर, १९३७ तथा १२ जनवरी, १९३८ के दरम्यान हुईं। तत्कालीन माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री समिति के अध्यक्ष थे। उक्त माननीय मन्त्री की अनुपस्थिति में श्री ए० जी० खेर, एम० एल० ए० ने अध्यक्षता की थी। २६ नवम्बर, १९३७ को श्री ए० टी० नकवी, आई० सी० एस०, समिति के सचिव नियुक्त हुए।

उक्त समिति के बहुमत ने ब्रिटिश संविधान के आधार पर एक स्वायत्त शासन बोर्ड बनाये जाने की सिफारिश की थी।

मैं उनकी रिपोर्ट से वास्तविक उद्धरण नीचे दे रहा हूं, जो उक्त पुस्तक के पृष्ठ ७ पर अंकित हैं।

"We feel that the present system of control over the Local Bodies is defective and should be entirely changed. It is not necessary for us to discuss the defects in the present system, and it will be, in our opinion, sufficient to say that since the principle of popular control over all institutions is to be extended, all control by Local Officials over these institutions should disappear. Whatever may have been the merits and demerits of control over Local Bodies, that control ought to go and popular control should take its place.

With this end in view, we are agreed and recommend that a Local Self-Government Board with a strong inspectorate should be formed to control and

supervise the working of Local Bodies. There should be twenty elected members and some experts on this Board, but the number of experts should not exceed twenty-five per cent of the entire number of members on this Board.

Functions of this Board, briefly, shall be both advisory and administrative.

After the formation of this Board it is not necessary that any power may be left with Commissioner and the District Magistrates. We, therefore, recommend that, barring a few emergency powers, which it may be ultimately necessary to leave with them, the District Magistrates and the Commissioners will have nothing to do with the Local Bodies. The appellate and judicial work at present done by the District Magistrates and Commissioners should be transferred to the Judicial Officers of the district concerned."

स्वशासन समिति की रिपोर्ट, भाग २

अध्याय १

समिति में नियुक्त व्यक्ति

(१) श्री ए० जी० खेर, एम० एल० ए०, अध्यक्ष, (२) श्री बी० एन० तीवारी, एम० एल० ए०, (३) श्री सी० बी० गुप्त, एम० एल० ए०, (४) श्री आर० एस० पंडित, एम० एल० ए०, (५) चौधरी खलीकुज्ज़मां, एम० एल० ए०, (६) पण्डित हरिश्चन्द्र वाजपेयी, एम० एल० ए०, (७) श्रीमती उमा नेहरू, एम०एल०ए०, (८) श्री के० डी०मालवीय, एम०एल० ए०, (९) राय बहादुर एन० के० मुकर्जी, एम० एल० सी०, (१०) श्री जहूर अहमद, एम० एल० ए०, (११) श्री चन्द्र-भाल, एम० एल० सी०, (१२) श्री द्वारिका प्रसाद, एम० एल० ए०, (१३) श्री भगवत नारायन भार्गव, एम० एल० सी०, (१४) प्रोफेसर कृष्ण चन्द्र, एम० एल० ए०, (१५) श्री अब्दुल हकीम, एम० एल० ए०, (१६) श्री एस० सी० चटर्जी, एम० एल० ए०, (१७) श्री दयाल दास, एम० एल० ए०, (१८) नवाब मोहम्मद जमशेद अली खां, एम० एल० ए०, (१९) श्री इजहार अहमद फारूकी, एम० एल० सी०, (२०) एस० ऐजाज रसूल, एम० एल० ए०, (२१) श्री जीवा लाल द्विवेदी, एम० एल० ए०, (२२) श्री देव नरायन भारतीय, एम० एल० ए०, (२३) लेफ्टि० सुल्तान आलम खां, एम० एल० ए०, (२४) श्री एस० एन० सप्रू।

यह समिति स्वायत्त शासन से सम्बन्धित वर्तमान विधि की संरचना (structure) तथा उसके साधन (machinery) सभी पहलुओं की जांच करने तथा उनके सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें देने के लिए बनायी गयी थी। इस समिति ने एकमत से स्वशासन बोर्ड तथा स्वशासन लोक सेवा आयोग के निर्माण के लिए सिफारिश की थी।

इस समिति की सिफारिश उसी की भाषा में नीचे दी जाती है :

"Hitherto Government have exercised supervision and control over Local Bodies through the District Officers and Commissioners. These Officers have not generally taken sufficient interest in the problems affecting local bodies owing to the fact that they had their own heavy duties to perform. Moreover, public opinion is now emphatically against any control being exercised by Government servants in the administration of Local Bodies as this has led to unwarranted interference by them in their internal affairs. Quite apart from the above considerations the growing complexity of problems affecting Local Bodies has made it absolutely necessary that the control and guidance over them should be in the hands of a body composed of people having intimate experience of their working and some trained experts, who can give undivided attention to their duties. We have for this purpose suggested the creation of a Local Self-Government Board with an efficient inspectorate which may supersede and control the administration

of District and Municipal Bodies. In our opinion the Local Self Government Board should consist of a whole-time salaried President and thirty members consisting of ten representatives of the Provincial Legislature, ten representatives of the District and Municipal Boards and ten nominees of Government including expert Departmental Heads, such as the Inspector-General of Civil Hospitals, the Director of Public Health, the Superintending Engineer, Public Health Department, the Director of Public Instruction and the Chief Engineer, Buildings and Road Branch."

उक्त समिति ने एक स्वशासन लोक सेवा आयोग स्थापित करने के लिए भी सिफारिश की थी। समिति की सिफारिश नीचे लिखे शब्दों में दी जाती है :—

"We have recommended the setting up of a Local Self-Government Public Service Commission for the recruitment of the candidates to the superior services under the Local Boards. We have suggested that President and Secretary of the Local Self-Government Board should be respectively the Chairman of this Commission, and the members should be temporarily appointed for the occasion by Government from among its permanent officials unconnected with the Local Self-Government Department. This method of appointment will protect the members from unhealthy canvassing. The Commission will meet once or twice a year for a period not exceeding two months in the aggregate, which would be quite sufficient in our opinion for the disposal of its work."

उपर्युक्त परिस्थितियों में तथा उक्त समितियों के उपयोगी सुझाव तथा सिफारिशों को देखते हुए यह नितान्त आवश्यक है कि इस प्रदेश में एक स्वायत्त शासन बोर्ड और एक स्वायत्त शासन लोक सेवा आयोग रहे जिससे कि नगर निगम (Municipal Corporation) यथोचित रीति से कार्य कर सकें।

इसलिये :

(१) स्वायत्त शासन बोर्ड तथा स्वायत्त शासन लोक-सेवा आयोग के निर्माण के लिए तुरन्त लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट बनाया जाय। अध्याय १ की धारा (२) में उपधारा (४) के आगे निम्नांकित उपधारा ४-क बढ़ा दी जाय :

"४-क—बोर्ड से तात्पर्य लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार बनाये गये स्वायत्त शासन बोर्ड से है।"

धारा २ में उपधारा (१) के आगे एक नयी उपधारा ९-क बढ़ा दी जाय, जैसा कि नीचे दिया गया है :

"९-क—आयोग से तात्पर्य लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऐक्ट तथा उसक अधीन निर्मित नियमों के अनुसार बनाये गये स्वायत्त शासन लोक सेवा आयोग से है।"

(२) शिक्षा समिति नगरपालिका प्राधिकारियों में अवश्य सम्मिलित की जाय। यह निगम की सबसे अधिक महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। यह किसी से कम महत्वपूर्ण नहीं है, किन्तु नगरपालिका प्राधिकारियों में इस समिति का कोई उल्लेख नहीं है।

(३) खंड ८—शांति-काल में निगम का कार्यकाल बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। गम्भीर राष्ट्रीय आपात की स्थिति में या जब कि देश की शांति और व्यवस्था को खतरा हो, निगम का कार्यकाल केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने की सम्भावना होना चाहिए।

मेयर के लिए योग्यता की शर्त की अनावश्यकता

खंड (११)--मेयर के लिए कोई योग्यता की शर्त आवश्यक नहीं है। तीसरी बार निर्वाचन क लिए खड़े होने के वास्ते सरकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

खंड (१२)--मेयर का निर्वाचन विशेष संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए। उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार और एकल संक्रमणीय मत द्वारा न किया जाना चाहिए। उसे केवल बहुमत (bare majority) द्वारा किया जाय।

विशेष संकल्प की परिभाषा अध्याय १ में दी जानी चाहिए।

प्रत्येक कक्ष में केवल एक स्थान (seat) होना चाहिए

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के सम्बन्ध में मुझमें और मेरे सहयोगियों में मतभेद था। मेरे विचार में प्रत्येक कक्ष में केवल एक स्थान (seat) होना चाहिए। इस समय प्रत्येक कक्ष में कितने ही स्थान हो सकते हैं, जैसा कि सरकार आज्ञा द्वारा निर्धारित करे। इससे निगम के कार्य में असंख्य कठिनाइयां पैदा होंगी। पहली बात तो यह है कि ऐसी परिस्थिति में वास्तविक (true) प्रतिनिधित्व न रहेगा। दूसरी बात यह है कि जिम्मेदारी विभाजित रहेगी। कोई भी यह महसूस नहीं करेगा कि वह सम्बन्धित कक्ष का एकमात्र प्रतिनिधि है। आम जनता के हित को हानि पहुंचेगी। इस समय बंगलौर, कलकत्ता, मद्रास और पटना में एक स्थान वाले कक्ष हैं। ये सभी निगम भली प्रकार कार्य कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं कलकत्ता निगम की अनुसंधान समिति (Investigation Committee) की रिपोर्ट दे रहा हूं। खंड १, जनवरी, १९४९ :

समिति में निम्नांकित व्यक्ति थे :

(१) माननीय श्री जस्टिस विश्वास, जज, कलकत्ता उच्च न्यायालय, (२) श्री पी० सी० चौधरी, रिटायर्ड एकाउन्टेंट जनरल, बंगाल, (३) श्री एच० पी० भानमिक, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर जनरल, मद्रास।

"The Commission is not in favour of any constituency returning more than one Councillor. To have two or three councillors in a ward, on the other hand to indroduce the principle of divided responsibility to the detriment of the civic interest of the ward concerned....."

म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति

खंड ५७--म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति निगम द्वारा मेयर की सहमति से की जानी चाहिए।

खंड ५८--म्युनिसिपल कमिश्नर का वेतन तथा भत्ता निगम द्वारा नियत किया जायगा। यह वेतन १,००० रु० (एक हजार रुपये) मासिक से अधिक न होना चाहिए।

खंड ८७--सभी बैठकें जनता के लिए खुली रहनी चाहिए, और दर्शक दीर्घा का प्रबन्ध मेयर द्वारा किया जाना चाहिए, जब तक कि मेयर अन्यथा निर्णय न करे।

अध्याय ९

खंड १६९--बोझा लिये हुए कुलियों पर कोई कर न लगाया जाना चाहिए।

खंड १७४--ऐसी किसी इमारत या भूमि पर कर न लगाया जाय जिसका वार्षिक किराया १८० रु० (एक सौ अस्सी रुपये) से कम हो।

परिवृद्धि कर (Betterment tax)

खंड १८२--परिवृद्धि कर बढ़े हुए मूल्य के चौथाई अंश से अधिक न होना चाहिए। इस समय परिवृद्धि कर बढ़े हुए मूल्य के आधे के बराबर की धनराशि होगी।

अध्याय १२

खंड २७५--भूमि का अर्जन उसके स्वामी की सहमति से किया जाना चाहिए। अर्जित भूमि का यथोचित मूल्य दिया जाना चाहिए।

अध्याय १३

खंड ३२६--मैं यह बिलकुल उचित नहीं समझता कि मकान का स्वामी मकान बन जाने के बाद मकान में रहने या उसका प्रयोग करने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र दे। मकान का बनना समाप्त हो जाने के बाद एक महीने के भीतर म्युनिसिपल कमिश्नर को जो समाप्ति का नोटिस दिया जायगा वह पूर्णतः पर्याप्त है।

खंड ३२८, उपधारा (३)--म्युनिसिपल कमिश्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह नोटिस देने के पहले किसी संरचना (structure) पर घेरा डाले, अथवा उसे गिराये, दृढ़ करे या उसकी मरम्मत करे। ऐसे मामलों में इस आशय का नोटिस दिया जाना चाहिए कि नोटिस मिलने के पश्चात् २४ घंटे के भीतर कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

खंड ३३६--भू-गृहादि से सामान (materials) हटाने के लिए अध्यासी (occupier) को समुचित अवकाश (कम से कम ३० दिन) का दिया जाना चाहिए।

खंड ३६८--मेरी राय है कि गरीब और अमीर का कोई विचार किये बिना न्याय का द्वार सब के लिए सामान रूप से खुला होना चाहिए। प्रत्येक दावेदार (claimant) को न्यायाधिकरण (tribunal) के समक्ष अपना दावा आसानी के साथ प्रस्तुत कर सकने की सम्भावना होनी चाहिए। दावेदार को यह आदेश नहीं दिया जाना चाहिए कि वह सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करे। इस समय ऐसी व्यवस्था है कि न्यायाधिकरण भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में दावे पर तब तक विचार न करेगा जब तक कि दावेदार वह धनराशि, जो न्यायाधिकरण प्रतिभूति के रूप में निर्धारित करे, जमा न कर दे। इस प्रतिभूति की उच्चतम सीमा ७,००० रु० है। इस कठिनाई के कारण बहुत से निर्धन तथा अधिकारपूर्ण दावेदार अपने वास्तविक दावों को पेश न कर पायेंगे। पहले तो उनकी भूमि बिना उनकी सहमति के ही अर्जित कर ली जायगी। दूसरे वे न्यायालयों में अपने दावे पेश करने से वंचित हो जायेंगे।

अध्याय १५

खंड ३८९--अस्वास्थ्यकर मकान के स्वामी को आदेश दिया जाना चाहिए कि वह म्युनिसिपल कमिश्नर की नोटिस मिलने के दो महीने के भीतर उसे रहने के योग्य बना दे। गृह स्वामी को अपना मकान रहने योग्य बनाने के लिए पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्याय १६

खंड ४४१--जब प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट को यह सूचना मिले कि किसी ऐसे मकान का, जिसका उल्लेख उपधारा (१) (क), (ख), (ग) में है, प्रयोग अभ्यासिक वेश्यावृत्ति (habitual prostitution) के प्रयोजनार्थ या वेश्यागृह (brothel) के रूप में किया जा रहा है तो वह उस मकान के स्वामी, किरायेदार, प्रबन्धक या अध्यासी को स्वयं या अभिकर्ता द्वारा अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलवायेगा और उसका यदि यह समाधान हो जाय कि उक्त मकान का प्रयोग खंड (क), (ख), (ग) में उल्लिखित रूप में किया जा रहा है तो वह ऐसे स्वामी, किरायेदार,

प्रबन्धक या अध्यासी को लिखित आदेश देगा कि वह ऐसी आज्ञा में लिखित अवधि क भीतर, जो उस दिनांक से तीन दिन से कम न होगी, ऐसे प्रयोग को बन्द कर दे।

(२) यदि कोई व्यक्ति, जिस के विरुद्ध उपधारा (१) के अधीन किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा आज्ञा दी गयी है, ऐसी आज्ञा में दी गयी अवधि के भीतर उक्त आज्ञा का अनुपालन न करे, तो सिद्ध दोषी होने पर उसे ६ महीने की कड़ी कैद या प्रति दिन २०० रु० जुर्मानें की सजा या दोनों ही सजाएं दी जा सकेंगी।

इस घृणित अपराध की रोकथाम अवश्य की जानी चाहिए। २५ रु० प्रतिदिन जुर्माने से यह बुराई दूर न होगी।

अध्याय २२

खंड ५३४--कोई भी निगम अवक्रान्त न किया जाना चाहिए। बहुत ही कम मामलों में विघटन (dissolution) संभव हो। विघटन के पश्चात् यथाशीघ्र नया निर्वाचन कराया जाना चाहिए। विघटन के पश्चात् ६ महीने से अधिक समय के लिए नया निर्वाचन स्थगित न किया जाना चाहिए।

खेर समिति ने भी इस विचार का समर्थन किया है।

"We are strongly against supersession of a District or Municipal Board being allowed under any circumstances but we have no objection to Government dissolving a board when it persists in making default in the performance of its statutory duties, in exceeding or abusing its powers or in creating deadlock provided warning has first been issued. In the interest of the Board as also of the general public we strongly think that a Board should not be dissolved more than once during its term."

२८ अगस्त, १९५७।

शिवराज बहादुर

विमति टिप्पणी

मैं उक्त विधेयक से, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा पारित हुआ, मौलिक मतभेद रखता हूं।

यद्यपि प्रवर समिति ने मूल विधेयक में बहुत से प्रमुख परिवर्तन किये हैं और उनमें बहुतों को आंशिक रूप से आवश्यक भी समझता हूं, तथापि मेरी मूल सैद्धान्तिक सम्मतियां इस प्रकार हैं :—

यह नगरपालिका निगम विधेयक प्रान्त के उन प्रमुख वृहत्तर नगरों के लिये सोचा जा रहा है जो आज की परिवर्तित स्थिति के दृष्टि बिन्दु से अधिक स्वावलम्बी, स्वतन्त्र तथा स्वशासनीय होंगे।

हम अपने देश की जनता में स्वशासन की भावना इन्हीं स्वायत्त शासनीय संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण देकर फैलाना चाहते हैं। अतः यदि हम इन वृहत्तर नगरों में वास्तविक स्वशासन की मात्रा के बढ़ाने का आरम्भ कर देवें तो अति उत्तम हो।

मेरा विचार है कि चाहे जितना हम वर्तमान स्वशासन संस्थाओं की असफलताओं पर निराश हों, हमें उन असफलताओं के कारण ढूंढ़ कर और उन्हें असम्भव बना कर स्वशासन की मात्रा बढ़ाने में संकोच नहीं करना चाहिये अन्यथा हम कभी भी अपनी स्वायत्व शासनीय संस्थाओं को स्वावलम्बी नहीं बना पायेंगे। इन्हें अधिकाधिक स्वामित्व और दायित्व देना अपना ध्येय होना चाहिये।

दूसरे आज हमें विकेन्द्रीयकरण की ओर भी कदम उठा कर चलना है। अतः इसका आरम्भ भी अभी इन्हीं वृहत्तर नगरों से कर दें अन्यथा अन्य नगर निकायों अथवा जिला बोर्डों के लिये कोई आदर्शित मार्ग नहीं छोड़ सकेंगे।

तीसरे यह नगरपालिकाएं एवं नगर निगम अधिकाधिक राज्य के निर्देशन, अवलम्बन तथा मार्ग प्रदर्शन के लिए आश्रित न रह कर स्वतन्त्र विचार तथा निर्णय लें, अपने साधन स्वयं जुटायें तथा अपने अधिकारी स्वयं उत्पन्न करें। यह स्वायत्त शासन अधिकारी इन्हीं संस्थाओं के हों, न कि राज्य द्वारा प्रदान किए हुए और इन्हीं की ओर देखते हुए हों।

इन नगर निगमों को राज्य अपने ऋण को सुरक्षित रखने के लिए दायित्वपूर्ण समझे। उनकी सम्पत्ति और साधन को दृष्टि में रख कर सहायता ऋण देवें किन्तु इससे अधिक उनकी स्वावलम्बन की स्वतन्त्रता पर अतिक्रमण न करे।

यह नगर निगम वास्तविक रूप में शक्तिशाली हो। जनता दायित्वपूर्ण कार्य करने का स्वभाव बनावे। इन्हें गलती करने का मौका दिया जावे जिससे वह समझदारी से अनुभव प्राप्त करें। जनता के टैक्सों का व्यय जनता के प्रतिनिधि ही दायित्वपूर्ण करें। राज्य का अतिक्रमण कम से कम हो। चौखम्भे राज्य संचालन का यह वास्तविक रूप में दूसरे नम्बर का खम्भा बने।

इन्हीं सैद्धान्तिक बातों को लेकर निम्न परिवर्तन विधेयक में होना आवश्यक है :

विधेयक (खंड ५-ङ) के पश्चात् नया खंड जोड़ दिया जावे जिसके अन्तर्गत अन्य समितियां शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रक्षा आदि भी निर्मित हों।

खंड ६—कौंसिलर अकेले सदस्य कक्ष निर्वाचनों में चुने जायें।

खंड ८—निगम की अवधि ४ वर्ष हो और विशेष संकटापन्न परिस्थिति में उसकी अवधि-काल एक वर्ष तक और बढ़ा दी जा सकती है। यह स्थायी संगठन हो। सदस्य निवृत नहीं हुआ करें।

खंड १४—(१) मेयर की पदावधि निगम की अवधि की समाप्ति तक हो किन्तु डिप्टी मेयर की पदावधि एक वर्ष की हो।

खंड १४—(ए) अविश्वास के प्रस्ताव : मेयर के विरुद्ध केवल २/३ मतों के बहुमतों से स्वीकार समझा जाय, यद्यपि डिप्टी मेयर के विरुद्ध आधे मतों के अधिक पर ही मान लिया जावे।

खंड ४४--निगम का निर्वाचन उसी प्रकार एलेक्शन कमीशन के अन्तर्गत हो जिस प्रकार प्रान्तीय विधायनी सभाओं का होता है।

खंड ५०--कार्यकारिणी समिति का संगठन

(अ) डिप्टी मेयर उसका पदेन सदस्य हो,

(ब) अन्य १२ सदस्य जो निगम द्वारा निर्वाचित हो--अवधि दो वर्ष तथा आधे सदस्य प्रत्येक वर्ष पारी-पारी सेवा निवृत्त हों।

खंड ५३---विकास समिति का संगठन

(अ) डिप्टी मेयर उसका पदेन सदस्य हो,

(ब) अन्य १२ सदस्य जो निगम द्वारा निर्वाचित हों, जिसकी अवधि केवल १ वर्ष हो।

खंड ५५ (अ) शिक्षा समिति का संगठन

(१) निगम द्वारा निर्वाचित १२ सदस्य

(२) २ सदस्य संयोजित जो शिक्षा सम्बन्धी विषयों में विशेष अनुभवी हों;

(३) समिति के सदस्य ही अपने बहुमत से समिति का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चुन लें;

अवधि दो वर्ष रखी जावे।

खण्ड ५५ (ब) स्वास्थ्य समिति

नोट : उसी प्रकार संगठित हो जिस प्रकार शिक्षा समिति का संगठन है, केवल स्वास्थ्य आफिसर उसका पदेन सदस्य हो,

खंड, ५५ (स) अन्य आवश्यक समितियों का संगठन।

खंड ५७ (१) म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति मेयर, कार्यकारिणी समिति की सलाह एवं कारपोरेशन की स्वीकृति से करेगा।

(२) उसका वेतन नियोजन की अन्य शर्तें, छुट्टियां, पेंशन, भविष्य निधि आदि का निश्चय उन नियमों के अन्तर्गत हो जो स्वायत्त शासन अधिकारी तथा निम्न कर्मचारियों के निमित्त एक स्वायत्त शासन सेवाओं की नियमावली के अन्तर्गत बने।

खंड ८२—प्रतिबन्ध अन्त में जोड़ दिया जाये।

(१) उपर्युक्त कार्यवाही उस समय के उपरान्त ही ली जावेगी जब कथित सदस्य के सम्बन्ध में एक जांच कमीशन द्वारा कथित आरोपों की प्रारम्भिक जांच हो गई हो,

(२) उपरोक्त जांच कमीशन में कार्पोरेशन के निर्वाचित दो सदस्य हों तथा उसका चेयरमैन एक न्यायाधीश हो जो फर्स्टक्लास मैजिस्ट्रेट से कम न हो।

खंड १०६ : (१) निगम के अन्तर्गत सभी नियुक्तियों के लिये मेयर उन स्वायत्त शासन सेवाओं, नियमावली के अधीन उत्तरदायी होगा। वह इन नियुक्तियों को २०० रु० माहवार से ऊपर वाले पदों के लिये म्युनिसिपल कमिश्नर की सहायता एवं एक समिति स्टाफ सेलेक्शन कमेटी की सलाह से करेगा।

(२) २०० रु० माहवार से अन्यून वेतन वालों की नियुक्ति केवल म्युनिसिपल कमिश्नर व डिप्टी मेयर की समिति की सलाह पर करेगा।

(३) मेडिकल आफिसर की नियुक्ति राज्य के स्वास्थ्य विभाग की सलाह से करेगा,

(४) ५० रु० माहवार तक के वेतन के कर्मचारी विभागाध्यक्षों द्वारा किए जायेंगे यद्यपि अंतिम स्वीकृत मेयर की आवश्यक है ।

खंड ११२

(३९) श्रमिक वर्ग के गरीब लोग जैसे झल्ली, बोझा ढोने वाले पल्लेदार मजदूर, रिक्शा चलाने वाले तथा अन्य निम्नआय वालों को निर्माण कार्य के लिये ऐसे निबन्धों पर और ऐसी शर्तों के आधीन जो निगम द्वारा विहित की जावे ऋण देना ।

(४०) उप-धारा (३९) के वर्णित लोगों के कल्याणार्थ अन्य कार्य (मेजर्स) जैसी सस्ती दुकानें खुलाना, स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना स्वरूप दुग्धशाला खुलाना, व्यायाम स्थान, अखाड़ा आदि बनाना, रात्रि पाठशालाएं खुलाना आदि करना ।

(४१) शिक्षित बेकारों के लिये छोटे-छोटे धन्धों व उद्योगों के खोलने में सहायता देना व उन्हें अल्पकालीन नौकरियां दिलाना ।

११३ (४३) असहाय विधवाओं, अरक्षित स्त्रियों व बालिकाओं के लिए सहायता गृह खोलना, एवं वृद्ध अशक्त स्त्रियों के लिये जीवन निर्वाह के साधन देना अथवा उक्त सहायता कार्य सम्बन्धी संस्थाओं को अनुदान देना।

(४४) वेश्यावृत्ति को निषेध करने हेतु सभी साधन जुटाना।

(४५) अश्लील कार्य व चित्र, पोस्टर व उनके प्रदर्शन के रोकने व निषेध के साधन जुटाना।

खंड १५०

(च) हटा दी जावे।

नोट : राज्य सरकार के इन सभी हस्तक्षेपों को हटा देना चाहिये जो निगमों के इन कार्यों में भी दखल दे जो इन्हें स्वनिर्णय के स्वभावतः अधिकार देते हों।

खंड १६९

(२) (अ) प्रतिबन्ध बढ़ाया जावे—

अपने स्वयं के प्रयोग तथा उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तु जो स्वयं उत्पन्न की गई है तथा जिसका भार ५ सेर से अधिक न हो अथवा ५ रुपये के मूल्य से अधिक न हो, उपरोक्त कर से मुक्त समझी जावेगी ।

(ब) प्रतिबन्ध यह भी है कि उन पशुओं पर भी टैक्स अथवा टोल नहीं लगेगा जो बाहर से गाड़ी खींचने या बोझा ढोने के लिये उपयोग में लाये गये हैं और जो अस्थायी रूप से नगर-पालिका की सीमा के भीतर प्रवेश कर रहे हों।

खंड २४७

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि :

(ग) यह मल निस्तारण म्युनिसिपल कमिश्नर किसी ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से नहीं करायगा जहां की आसपास की बस्तियों के लोगों के एतराज न प्राप्त कर लिये गये हों, तथा उन एतराजों को अमान्य न समझा गया हो,

(घ) उपरोक्त एतराजों की अमान्यता होने पर वह न्यायाधीश को प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं जो उन्हें मल निस्तारण योजना के उचित निर्णय देने तक उसे रोक सकता है।

(ङ) उप-धारा (घ) के अधीन दिये गये प्रार्थना-पत्र की सुनवाई और निस्तारण करने में न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विधिवत की जावे। उस सम्बन्ध में न्यायाधीश द्वारा दी गई आज्ञा अन्तिम होगी और उससे दोनों पक्ष बाध्य होंगे।

खंड २४६

(२) ख के बाद बढ़ा दिया जाय :

स्पष्टीकरण--इस धारा में शब्द " संडास प्रणाली " के सम्बन्ध में यह समझा जावेगा कि उसके अन्तर्गत शौच के लिये रखा गया वर्तन अनिवार्य रूप से उसका आवश्यक अंग होगा जिससे यह शौच अथवा मलमूत्र सन्डास के फर्श पर न गिरने पावेगा।

कुछ आवश्यक सुझाव

(१) इस विधेयक में प्रत्येक अध्याय में राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित आज्ञाओं, नियमों, उपबन्धों, तथा अनुकूलनों की चर्चा है। इन तमाम नियंत्रणों की इतने व्यापक रूप में मैं उनकी आवश्यकता नहीं समझता। जितना ही अधिक राज्य सरकार, चाहे सामान्यता के नाम पर चाहे इष्टकारी के नाम पर, अपने नियंत्रण सुरक्षित रखती जाती है उतना ही अधिक वह इन वृहत्तर नगर निकायों को पंगु बनाती जाती है और विकेन्द्रीकरण और स्वावलम्बन के लक्ष्य से दूर होती जाती है।

अतः यद्यपि मैं उन सभी खंडों के नम्बर यहां नोट नहीं कराना चाहता जो राज्य नियंत्रण के हैं और जो प्रत्येक अध्याय में बहुतायत रूप से उपस्थित हैं तथापि मैं उनको अनावश्यक और प्रतिक्रियावादी समझता हूं। यह हमारे नवीन विचारों की स्वतन्त्रता को संकुचित करते हैं। राज्य सरकार का नियंत्रण कुछ बातों में स्वीकार किया जा सकता है जैसे उसके द्वारा दिये गये ऋणों की अदायगी की सुरक्षा, निम्नतर की गुटबन्दी द्वारा निगमों की प्रगति में अवरोध उत्पन्न की स्थिति, टैक्सों का उचित नियंत्रण न हो सकना आदि। अपितु नियमों को अपनी सेवाओं की भर्ती, संगठन, संचालन तथा विघटन सब ही के लिये उसे एक स्वतंत्र स्वायत्व शासनीय सेवाओं की नियमावलियों के अन्तर्गत संबंधित रहना चाहिये। यह सेवाओं का शैक्षणिक अंग भी है। जनता प्रत्यक्षरूप में उत्तरदायी होती है। उसका शिक्षण उसके द्वारा ही हो तो अच्छा है। सरकार चाहे तो अधीक्षण रक्खे, परन्तु यह सलाहकारी रूप में हो।

(२) दूसरा विषय अधिक महत्व का है। हमें राज्य संचालन के लिये चौखम्भा राज बनाने की मंशा से इस दो नम्बर के खम्भे को अपने क्षेत्र में रक्षा और शान्ति व्यवस्था भी स्थापित करने का दायित्व वहन करना चाहिये। नगर निगमों को अपने आवश्यकतानुसार नगर-रक्षक दल का संगठन करने की क्षमता भी देना उचित होगा। यह नगर रक्षक दल निगमों का अपना पृथक प्रबन्ध होगा। उसमें सैनिक अथवा सेवकदल की भर्ती, संगठन, संचालन तथा विघटन सभी निगमों में एक प्रान्तीय योजना स्वरूप होना चाहिये। उनका मुख्य कार्य निगम के सभी कामों के वहन में सहायक होना, अवरोधों व अवरोध वाहकों को दूर रखने में समर्थ होना तथा निगम उपनियमों के पालन कराने आदि में योग देना आदि होंगे।

इसके साथ यह भी मान लेना आवश्यक होगा कि शान्ति व्यवस्था रक्षक दल के साथ ही कुछ विशेष प्रकार के मैजिस्ट्रेटों की व्यवस्था की आवश्यकता होगी। अतः यह व्यवस्था भी ठीक उसी प्रकार होना चाहिये जैसे नगर रक्षक दल के सम्बन्ध में आवश्यक हो।

(३) यह निगम सरकार द्वारा प्रस्तावित नियन्त्रणों के कारण, बहुत शीघ्र विघटन अथवा अवक्रान्त नहीं होने चाहिये। यह शक्ति उपभोग अंतिम अवस्था में ही किया जावे जब कि अन्य उपाय असम्भव हो जावे और यह कदम असम्भावी ही न हो।

इस शक्ति प्रयोग की सीमा-अवधि कम से कम रखी जानी चाहिये। ६ माह से अधिक ले जाना उचित न होगा, तदुपरान्त नव-चुनाव द्वारा अथवा नव व्यवस्था द्वारा पुनः स्थापना शीघ्र कर देना उचित होगा। जनता अथवा प्रतिनिधि अपनी त्रुटियां जान लेने के बाद शीघ्रातिशीघ्र अपने कर्तव्य पर आरूढ़ हो जावें।

अन्त में मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस संयुक्त प्रवर समिति द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मौलिक सुधार किये गये हैं जिनमें सभी सदस्यों तथा विशेष कर प्रवर समिति के सभापति महोदय का विशिष्ट योग रहा है। उसके लिये हम सब ही आभारी हैं।

जो अन्यान्य सुधार अथवा संशोधन इस मूल विधेयक में प्रवर समिति द्वारा किये गये और जिनका उल्लेख मैंने अपने नोट में नहीं किया उसका अर्थ यह अवश्य है कि मुझे वह पसन्द आये हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं।

यह विधेयक विस्तृत होने के साथ-साथ शीघ्र पारित होने के योग्य है जिसमें उन नगरों में जिनके लिये यह प्रस्तावित है इसके द्वारा अपना उपयोग शीघ्र कर लेने में समर्थ हों। उनका विघटन कई साल पहले हो चुका है अतः अब विलम्ब न होकर इस विधेयक को पारित करके शीघ्र लागू हो, यही निवेदन है।

२८ अगस्त, १९५७।

मोतीलाल अवस्थी

संसद भवन

(देखिये पीछे पृष्ठ ८७९ पर)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९५७

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने का

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२।

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ को एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त संशोधित किया जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार, तथा प्रारम्भ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ कहलायेगा,

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा,

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३३, १९५२ की धारा ३ का संशोधन।

२--उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ की धारा ३ में:--

(१) शब्द "लगाई गई दर के २५ प्रतिशत के हिसाब से आकलित (Computed) की जायगी" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और दिनांक १९ जुलाई, १९५७ से इस प्रकार रखा गया समझा जाय:-

"लगायी गयी दर पर उस दर के हिसाब से जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के समय-समय पर नियत करे और जो लगाई गई दर के २५ प्रतिशत से अधिक न होगी, आकलित की जायगी।"

(२) द्वितीय और तृतीय प्रतिबंधकों में संख्या और शब्द "९ आना" के स्थान पर "६ आना" रख दिया जाय और इसे दिनांक १९ जुलाई, १९५७ से रखा हुआ समझा जाय।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १६५२ में उत्तर प्रदेश में विद्युत शक्ति के उपभोग पर, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन उपभुक्त शक्ति (एनर्जी) पर लिये जाने वाले मूल्य की दर के २५ प्रतिशत के हिसाब से ड्यूटी लगाने की व्यवस्था है:—

(क) एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगायी जायगी यदि मूल्य ६ आना प्रति यूनिट से अधिक हो,

(ख) यदि मूल्य ६ आना प्रति यूनिट से कम हो तो एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इतनी कम धनराशि होगी कि लिये जाने वाले मूल्य की दर से मिलकर ६ आना प्रति यूनिट से अधिक न हो, और

(ग) उस एनर्जी के सम्बन्ध में जिस पर "बन पार्ट टैरिफ" के अनुसार दर लगाई गई हो, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी १ आना प्रति यूनिट से अधिक न होगी।

राज्य के औद्योगिक विकास के हित में औद्योगिक व्यवसायों द्वारा उपभुक्त बिजली पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी २५ प्रतिशत से कम करके २० प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है तथा गृहकार्यों के निमित्त बिजली का उपभोग करने वालों को कुछ राहत देने के लक्ष्य से बिजली की दर छः आने प्रति यूनिट से अधिक होने पर ड्यूटी न लगाये जाने का प्रस्ताव है, जब कि आजकल बिजली की दर ६ आने प्रति यूनिट से अधिक होने पर ड्यूटी नहीं लगती है।

अतएव इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य उपभुक्त शक्ति (एनर्जी) पर लिये जाने वाले मूल्य की दर के २५ प्रतिशत से अनधिक दर से, सरकार को बिजली की दर समय-समय पर सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके नियत करने का तथा अधिनियम की धारा ३ के द्वितीय प्रतिबंधकों में आये हुये शब्द "६ आना" के स्थान पर "६ आना" रखने का अधिकार प्रदान करना है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
विद्युत् मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१३७ एल० ए०—१६५७—७६६।